Friday, 01 July, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Fumigated On 18-9-92 Parliament Library

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18, शुक्रवार, 1 जुलाई, 1977/10 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 18, Friday, July 1, 1977/Asadha 10, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	Oral Answers to Questions —	
*तारांकित प्रश्न संख्या 286 और 291 से 294	Starred Questions Nos. 286 and 291 to 294	1—13
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 9	Short Notice Question No. 9	14—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	Written Answers to Questions —	
तारांकित प्रश्न संख्या 284, 285, 287 से 290 और 295 से 303	Starred Questions Nos. 284, 285, 287 to 290 and 295 to 303 . .	20—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 2327 से 2346, 2348 से 2383, 2385 से 2410 और 2412 से 2437	Unstarred Questions Nos. 2327 to 2346 2348 to 2383, 2385 to 2410 and 2412 to 2437	28—90
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	91—91
समितियों के लिए निर्वाचन—	Elections to Committees—	
(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	(i) Central Silk Board .	95
(दो) तम्बाकू बोर्ड	(ii) Tobacco Board	96
(तीन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	(iii) Marine Products Export Development Authority ; . . .	96
अनुदानों की मांगें, 1977-78—	Demands for Grants, 1977-78—	
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय—	Ministry of Agriculture and Irrigation—	
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	97—98
श्री ब्रिज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	98
श्रीमती रशीदा हक चौधरी	Shrimati Rashida Haque Choudhry	99
श्री चरण नरजरी	Shri Charan Narzary	99—100
श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी	Shri Subhas Chandra Bose Alluri	100—101
श्री एस० ननजेश गौडा	Shri S. Nanjesha Gowda	101—102
श्री पी० के० कोडियन	Shri P.K. Kodiyan	102
डा० वसन्त कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	103
श्री हरगोविन्द वर्मा	Shri Hargovind Verma	104
श्री लहान सिडवाकोम	Shri Lahanu Shidava Kom	104—105

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ, PAGES
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . . .	105
श्री के० मालन्ना	Shri K. Mallanna . . .	105—106
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar . . .	106—107
रुग्ण हथिनी सुन्दरकली के उपचार के बारे में विधेयक—पुरःस्थापित—	*Re* Treatment being given to *Sunderkali*, a sick elephant .	107
	Bills—introduced—	
(एक) मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, डा० सुशीला नायर का	(i) Mental Health Bill by Dr. Sushila Nayar	107—108
(दो) भारतीय कृषि कर्मकार विधेयक, श्री चित्त बसु का	(ii) By Indian Agricultural Workers Bill by Shri Chitta Basu ; . . .	108
(तीन) जीवन बीमा निगम (समझौतों का प्रत्यावर्तन) विधेयक, श्रीमती पार्वती कृष्णन का	(iii) Life Insurance Corporation (Restoration of Settlements Bill by Shrimati Parvathi Krishnan . . .	108
अनिवार्य प्रौढ शिक्षा विधेयक, श्री सी० के० चन्द्रप्पन का—वापिस लिया गया	Compulsory Adult Education Bill by Shri C.K. Chandrappan Withdrawan—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	109—111
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narayan Nayak	111
श्री सरत कार	Shri Sarat Kar	111—112
श्री सोगत राय	Shri Saugata Roy	112—113
श्री श्याम प्रसन्न भटटाचार्य	Shri Shyamprasanna Bhattacharya	113
श्री एस० कुन्डु	Shri S. Kundu . . .	113—114
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	115
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . . .	115—116
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	Shri Hukmadeo Narain Yadav .	116
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	116—117
श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	Shri Ambika Prasad Pandey .	117
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	117
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . .	118—119
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu . .	119
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	119—121
भारत मे विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक,— श्री समर गुह का	Publication and Import of Political Literature by Foreign Missions in India (Regulation) Bill Shri Samar Guha	121
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider;—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	121

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 1 जुलाई, 1977/10 आषाढ़, 1899 (शक)

Friday, July 1, 1977/*Asadha* 10, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कपास के मूल्यों की स्वैच्छिक अधिकतम सीमा

*286. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री कल्याण जैन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन ने चालू मौसम के दौरान कपास के मूल्यों की स्वैच्छिक अधिकतम सीमा तत्काल लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से देश में रुई के मूल्यों में किस सीमा तक कमी होगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार रुई के मूल्यों को कम करवाने के लिए किन अन्य उपायों पर विचार कर रही है, ताकि गरीब लोग सस्ता कपड़ा खरीद सकें ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). जी हां । सामान्य अपील के प्रत्युत्तर में ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन ने 4-6-1977 से चालू मौसम के दौरान कपास के मूल्यों पर स्वैच्छिक अधिकतम सीमा लागू करने का विनिश्चय किया है ।

रुई की कीमतें पहले ही 50 रु० से लेकर 100 रु० प्रति कैंडी तक कम हो गई है ।

सरकार ने रुई की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक उपाय किये है, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं :

1. विदेशों से रुई का आयात;
2. सूती वस्त्र मिलों का 31–10–1977 तक ओ० जी० एल० आधार पर मानव-निर्मित रेशे के आयात की अनुमति दी गई है;
3. सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि 1–1–1977 से वे अपने कुल उपभोग का कम से कम 10 प्रतिशत गैर-सूती रेशा इस्तेमाल करें;
4. मिलों तथा व्यापारियों पर स्टाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ताकि उपलब्ध रुई सभी मिलों को न्यायोचित रूप से उपलब्ध की जा सके । मध्यवर्ती उपाय के रूप में विशेष समिति, जिसे आगामी खरीफ एवं रबी मौसम के दौरान रुई के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए गठित किया गया था, की सिफारिशों का राज्य सरकारों की मार्फत क्रियान्वित किया जा रहा है ।
5. दीर्घावधि उपाय के रूप में देश में रुई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहे हैं ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन कारणों से कपास के मूल्य में इतनी वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप कंट्रोल के कपड़े के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है और सरकार कपड़ा सस्ती दरों पर बेचने के लिए क्या करना चाहती है ।

श्री मोहन धारिया : श्रीमान, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि दुर्भाग्य से गत वर्ष कपास का उत्पादन केवल 58 लाख गांठें हुआ है जबकि देश में इसका उत्पादन 70 से 71 लाख गांठें हुआ करता था । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक था । कपास के कपड़े को समुचित मूल्य पर बेचने के लिए हमने जितने कपास का आयात किया था उसे सहायता प्राप्त दर पर बेचा जा रहा है । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका मूल्य बढ़ रहा है । देश में कपास के उत्पादन में हुई गिरावट से इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है । इस कमी को पूरा करने के लिए हमने 14 लाख गांठें आयात करने की योजना बनाई है । इसमें से अधिकांश देश में पहले ही पहुंच चुका है । साथ ही कुछ कृत्रिम धागे भी यहां पहुंच हैं । हमने इन मिलों को कहा है कि वे कपास धागे के साथ 10 प्रतिशत कृत्रिम धागे का प्रयोग करें । हमने इस तरह के कई उपाय किये हैं ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : गत 2 वर्षों के दौरान ऐसा हुआ कि मौसम के प्रारम्भ में, कपास के बाजार में आने के समय कपास के मूल्य कम रहे और उस समय निगम ने उत्पादकों की आवश्यकताओं अनुसार कपास नहीं खरीदा । किन्तु उसके बाद उसका मूल्य बढ़ गया और अन्ततोगत्वा यह परिणाम निकला कि कपड़े का मूल्य भी बढ़ गया । अतः क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि सरकार क्या उपाय करने की सोच रही है ताकि

अगले मौसम में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को घाटा न उठाना पड़े ।

श्री मोहन धारिया : श्रीमान ऐसा केवल कपास के बारे में ही नहीं हुआ अपितु सभी कृषि उत्पादों के साथ हुआ है । वहां भी यही स्थिति उत्पन्न हुई है । मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं । हमने भारतीय कपास निगम को अनुदेश जारी किया है कि वह बाजार में जाकर जो कुछ भी समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, उस पर कपास खरीद ले । यदि मूल्य समर्थन मूल्यों से कम हों तो उन्हें स्तर को बनाए रखने के लिए खरीद-दारी करनी चाहिये । राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के अतिरिक्त यह कार्यवाही की गई है । यदि हम अपनी सहकारिताओं तथा उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करें तो इससे भी काफो लाभ होगा और मैं इस दिशा में अवश्य ही भरसक प्रयास करूंगा ।

Shri Kalyan Jain : Mr. Speaker, the Hon. Minister in his statement has mentioned some measures to control the price of Cotton. One of the measures is this that some quantity of Cotton would be imported. The Hon. Minister knows that on the one hand they are exporting Cotton to Bangla Desh and on the other hand they are talking of importing it. Secondly I want to know whether the Hon. Minister would think over the question of reducing the rate of interest in the Banks which is exorbitant. will it not facilitate the cloth mills to purchase raw materials ?

Shri Mohan Dharia: Mr. Speaker, Sir, I have said that we are importing Cotton. I agree that anything which is produced in the country should not be imported. But as there has been fall in its production, there was no other way except to import it. So far as the question of Bangla Desh is concerned, I would look into the matter whether we are exporting Cotton to Bangla Desh.

Shri Kalyan Jain : Mr. Speaker, Sir, in order to control or reduce the price of Cotton on the one hand it is being said that Cotton will be imported but on the other hand it is being exported. Is it not contradictory ?

Shri Mohan Dharia : There is no contradiction in it. There are some neighbouring countries and if they require we will import more and export to them.

Shri Kalyan Jain : I asked about the rate of interest in Banks. That has not been replied to.;

Shri Mohan Dhaira : It is true that the rate of interest in Banks should not be high. But this question is related to the Ministry of Finance.

श्री एस० आर० दामानी : भूतपूर्व तथा वर्तमान सरकार द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप कपास की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है, अन्यथा स्थिति बहुत खराब होती । आपने कहा है कि आप उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । आप कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक । उपाय क्या कर रहे हैं ? इसके साथ साथ क्या आप समुचित मूल्य होने पर हमारे पड़ोसी देशों से कपास का आयात करके उसका बड़ा भंडार बनाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री मोहन धारिया : कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये जा सकते हैं पहला उपाय अधिक उपज देने वाले कपास के बीजों का उपयोग । दूसरे अधिक भूमि पर कृषि की खेती करना । तत्पश्चात हम किसानों को उर्वरक तथा अन्य साधन ठीक समय पर उपलब्ध कर सकते हैं । कृषि मंत्रालय इस तरह के विभिन्न उपाय कर रहा है । जब मूल्य कम हों, तब आयात करने का सुझाव अच्छा है ।

Shri Firangi Prasad : I want to know the factors responsible for decline in the production of Cotton from 71 lakh bales to 58 lakh bales.

Shri Mohan Dharia : In our country cotton is produced mostly in those areas where there are permanent irrigation facilities. Because of this, we have to depend on monsoons. This is the main cause of it.

श्री बी० राचैया : पहले वर्ष में कपास का उत्पादन लगभग 14 लाख गांठें कम हुआ है। प्रति कैंडी के मूल्य में पहले ही लगभग 50 रुपये से 100 रुपये तक की गिरावट आई है और इससे कपास उत्पादों को नुकसान हुआ है। क्या सरकार किसानों के लि कपास का मूल्य निर्धारित करने में उत्पादन लागत को ध्यान में रखेगी।

श्री मोहन धारिया : कृषि मुल्य आयोग ने इतना ही किया है। यह स्वाभाविक है कि अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व वह सरकार के पास आता है। हम यह कोशिश करेंगे कि उत्पादकों की कहां तक मदद की जा सकती है ताकि उन्हें कठिनाई न उठानी पड़े।

श्री सोनूसिंह पाटिल : क्या माननीय मंत्री जी को सज्ञात है ग्रि कपास समिति में बफर स्टाक आपरेशन की एक सिफारिश यह है कि जब बिक्री अधिक न हो रही हो तो कपास निगम को 10 प्रतिशत कपास औसत मूल्य पर खरीद लेना चाहिये।

श्री मोहन धारिया : इस बारे में मुझे सूचना देने की जरूरत है।

डा० सरोजिनी महिषी : वरलक्ष्मी जैसे लम्बे रेशे वाली कपास को उगाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे है। ऋण पत्र खूलने और वास्तविक आयात के बीच की अवधि के दौरान यदि भारत के किसानों को प्रोत्साहन दिए जायें तो वे स्वयं लम्बे रेशे वाली कपास उगा सकते हैं और इस तरह आयात को रोक सकते हैं। देश में उपलब्ध अनुसन्धान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे है।

श्री मोहन धारिया : यह प्रश्न कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। हमें किसान को अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीट नाशक दवाइयां, ऋण सुविधायें और उसके उत्पादन के बदले में समुचित मूल्य जैसी सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कृषि मंत्रालय ने इन सब कार्यक्रमों को आरम्भ कर दिया है और मुझे आशा है कि इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

Shri Hukum Chand Kachwai : What is the present demand of Cotton of cloth mills? How much Cotton is being imported? You have said that you are going to increase the acreage of land under cotton and you are making inputs like seeds, fertilizers etc. available to farmers. I want to know the acrage of land in which Cotton has been produced and what are the year-wise figures in this regard?

Shri Mohan Dharia : As I have already stated last year the production of Cotton was 71-72 lakh bales and this year it has come down to 58 lakh bales. That is why there has been shortage of cotton in the Country. The measures that are being taken to increase the production of Cotton have already been indicated. I would require notice for furnishing the figures for the last three years. I would request him to give a separate notice addressed to the Minister of Agriculture.

श्री पी० राजगोपाल नायडू: माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वे किसानों को कीटनाशक दवाएं आदि सप्लाई कर रहे हैं। क्या ये चीजें उन्हें कम कीमत पर सप्लाई की जायेंगी?

श्री मोहन धारिया : ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात होगा सरकार ने हाल में उर्वरक तथा कीटनाशक दवाई की कीमत में कमी की है। मैं जानता हूं कि फिर भी गरीब किसान उन्हें नहीं खरीद सकते।

Shri Shiv Narain : The new Government have reduced the price of cotton. Will you kindly make efforts to reduce the price of clothes also ?

Shri Mohan Dharia : It is our attempt to increase production of standard cloth so that it may be made available to the people. We have to see that propoer distribution of standard cloth is done and that too at reasonable prices.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह सर्वविदित है कि कपास के बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी होती है, जिससे उत्पादक तथा उपभोक्ता को हानि होती है। बाजार नियमित हो, तथा उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिले इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उन्हें समुचित मूल्य मिल सके और उन्हें बाध्य होकर अपना कपास कम कीमत पर न बेचना पड़े। कपास के उत्पादन में कमी होने का एक कारण यह भी है कि उसे उसके उत्पादन के बदले में लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता।

श्री मोहन धारिया : किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले, हमने कपास निगम को कहा है कि वह उस समय खरीददारी करे जबकि इसके मूल्य में कमी आ रही हो। दूसरे, सरकार का प्रयास यह है कि किसानों की सहकारी समितियों को खरीद के लिए प्रोत्साहन दिया जाये और सहकारिता मंत्री के रूप में मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे किसानों की सुदृढ़ खरीद संस्थाएं बनवाने में रुचि लें। हम सदस्यों के साथ पूरा सहयोग करना चाहेंगे।

खाद्य तेल के आयातकर्ताओं द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

†291. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में खाद्य तेल के निर्यातकर्त्ताओं द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिये घोषित की गई कार्यवाही के कोई वांछित परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) : ऐसे बहुत से लाइसेंसों को, जिनके आधार पर उनके जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कोई आयात नहीं किए गए या पुख्ता आयात वचनबद्धताएं नहीं की गई, अवैध कर दिया गया है और अब लाइसेंस आवेदक द्वारा की गई पुख्ता आयात बचनबद्धताओं के आधार पर ही जारी किए जा रहे हैं। इस समय जारी किए जा रहे लाइसेंसों के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। अनुभव के आधार पर और दुरुपयोग के संदेह वाले जिन मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं उनके निष्कर्षों के आधार पर और आगे कार्यवाही की जाएगी। इस बीच राज्य व्यापार निगम से कहा गया है कि खाद्य तेल के और अधिक आयात करने के लिए वे अपनी क्रियाविधि को ठीक करें।

श्री पी० के० कोडियन : मंत्री जी यह समझते हैं कि उन्होंने जो उपाय किए हैं, उनके फलस्वरूप अब किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा। खाद्य तेल का व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। इस व्यापार में न केवल लाइसेंसधारी अपितु वनस्पति निर्माता, मूंगफली के कुलक तथा अन्य कई बड़े-बड़े व्यापारी लगे हुए हैं और उन्होंने सरकार की आंखो में धूल झौंकने कई उपाय निकाले हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि खाद्य तेल के आयात के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र पर रोक लगाई जायेगी या आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा।

श्री मोहन धारिया : अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि हम राज्य व्यापार निगम को अधिक आयात करने के लिए कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा के दौरान कहा कि खाद्य तेल का 90 प्रतिशत आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है। यह ठीक है कि हमने कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों को तेल के आयात की अनुमति दी है, किन्तु फिर हमने यह सुनिश्चित करने में पूरी सतर्कता बरती है कि अभ्यर्थी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा। और इसका आयात तोल तीन महीनों के अन्दर होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया हो तो स्वाभाविक रूप से हमें कुछ अन्य कार्यवाही करनी पड़ेगी। किन्तु ऐसी स्थिति में, जबकि देश में खाद्य तेल की बहुत कमी है, हमें सभी सभंव स्रोतों से तेल लेना है। हम केवल यह नहीं होने देंगे कि कोई व्यक्ति देश में खाद्य तेल की कमी को देखकर उसका आयात करके अनुचित लाभ उठाये और इस दिशा में सरकार पूरी तरह सतर्क है।

श्री पी० के० कोडियन : राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयातित तेल वनस्पति उद्योग में चला गया है। ये वनस्पति उद्योग इस तेल का दुरुपयोग इस रूप में करते हैं कि वे इसकी जमाखारी करते हैं और इस प्रकार बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर देते हैं और तत्पश्चात इस कमी से वे लोग अन्धाधुन्ध लाभ कमाते हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित तेल के भविष्य में इधर-उधर नहीं दिया जायेगा।

श्री मोहन धारिया : देश की तेल की प्रति वर्ष की खपत 6 लाख टन है। अब जब कि कच्चे माल की कमी है और हम वनस्पति निर्माताओं को उतना कच्चा माल नहीं दे पायेंगे तो समूचे उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए 75 प्रतिशत कच्चा माल राज्य व्यापार निगम या सरकार द्वारा वनस्पति उद्योग को देना पड़ता है। इस बात के बावजूद भी कि देश में तेल का अभाव है, हमने यह सुनिश्चित किया है, कि देश में वनस्पति का अभाव न हो और इस वर्ष के दौरान वनस्पति के उत्पादन में कमी नहीं आई।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, हमारी आपसी बातचीत के कारण वनस्पति निर्माता 16.5 किलोग्राम के टिन का मूल्य 168 रुपये से घटा कर 158 रुपये करने को सहमत हो गये हैं। यही नहीं उन्होंने कहा है कि यदि व्यापारियों ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, तो उनके व्यापार नामे रद्द कर दिये जायेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि उन के निर्वाचन क्षेत्र में इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें हो, तो वे मेरा ध्यान उन की ओर दिलायें ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I would like to know the quantity of edible oil available in the country. The quantity imported from foreign countries and the steps proposed to be taken to make the country self sufficient in this regard.

Shri Mohan Dharia : The total consumption of edible oil in the country is 35 lakh tonnes, out of which 32 lakh tonnes is produced in the country.But the production during the last year was 26 lakh tonnes and as such there was heavy fall in the production. So we

have to import. But we do not want to depend an import for long.So we have taken such steps during the present kharif season, which may result in increase in the production. We a sowing oil seeds in more area, particularly the command areas, under irrigation. We have undertaken the programme of high yield varities.

Shri Samjibhai Damor : The edible oils are in short suply and the prices thereof have doubled after taking over by Janta Government. On one hand Government is importing and on the other groundnut seed is being exported.

Shri Mohan Dharia : The decision of exporting H.P.S. seed was taken by Congress Government, not by our Government We have discountinued the export. The shortage of edible oils is not due to our Government, but due to old Government. because the production during their regime was less.

श्री आर० के० महालगी : मैं जानना चाहता हूं कि हाल में कितने लाइसेंस दिये गये हैं और किस किस को ?

श्री मोहन धारिया : मई, 1977 तक 686 करोड़ रुपये के 6,183 लाइसेंस दिये गये हैं। मेरे पद भार संभालने से पहले 547 करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये थे। हमने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें ही लाइसेंस दिये गये जो ये वचन दें कि तीन महीने के अन्दर तेल का आयात करेंगे। विगत में ऐसा नहीं किया गया था।

Shri Satish Aggarwal : Is it a fact that licences worth Rupees 540 crores were issued by the Congress Government and if so, whether the oil was actually imported or not and whether there is any such information that many of the importers purchased the oil outside and it was sold outside ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा था, यह सच है कि कतिपय ऐसे आरोप प्राप्त हुए हैं कि तेल देश से बाहर खरीदा गया और मूल्य ऊंचे होने के कारण देश से बाहर ही ब्लेक में बेच दिया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इन आरोपों की जांच कर रही है। जब यह किया गया उस समय देश में भारी कमी थी तथा इस से देश को भारी हानि हुई है।

पड़ोसी देशों के सहयोग से तस्करी को रोकने की कार्यवाही

*292. **श्री निहार लास्कर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत पड़ोसी देशों से तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही करने हेतु आग्रह कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। तस्करी को रोकने के लिए किये गये उपायों के संबंध में भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच हमेशा पारस्परिक सहयोग रहा है।

(ख) ये उपाय द्विपक्षीय संधि के उपबंधों के अन्तर्गत अथवा सीमाशुल्क और पुलिस विभागों के अधिकारियों की इन देशों में उनके समपदी अधिकारियों के बीच समय-समय पर होने वाली बैठक द्वारा किये जाते हैं।

श्री निहार लास्कर : ऐसे उत्तर से कोई बात स्पष्ट नहीं होती। हमारी मुख्य समस्या यह है कि तस्करी को कैसे रोका जाये और पड़ौसी देशों की सहायता से ऐसा किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि पड़ौसी देशों के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई हैं, क्या सरकार को इस वार्ता से लाभ हुआ है और क्या इस वार्ता के परिणामस्वरूप तस्करी पर रोक लगाई जा सकी है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तस्करी रोक रहे हैं और इसके लिए पड़ौसी देशों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने ही देश में तस्करों को रिहा कर रहे हैं। पिछले दिनों समाचार पत्रों में यह समाचार छपे थे कि तस्करों के रिहा किये जाने के बाद देश में तस्करी बहुत बढ़ गई है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या हैं?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि एक ओर आप तस्करी पर रोक लगा रहे हैं और दूसरी ओर तस्करों को रिहा कर रहे हैं। तस्कर यह सरकार बनने से पहले रिहा किये गये थे। इन्हें यह सोचे बिना कि रिहा के बाद यह क्या करेंगे, रिहा कर दिया गया था। परन्तु यह बात संगत नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। आप का प्रश्न था कि क्या भारत तस्करी को रोकने के लिए पड़ौसी देशों से बातचीत कर रहा है। मैंने कहा है, जी हां। भारत तथा पड़ौसी देशों में सदा सहयोग रहा है। अब आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की बातचीत हुई। यह एक विचित्र प्रश्न है, परन्तु फिर भी में बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर हाल में हमारी श्रीलंका से बातचीत हुई है। हाल में हमारे अधिकारियों ने श्रीलंका में कोलम्बों में उन के अधिकारियों से बातचीत की थी और उन्होंने 1975 में हुए सम्मेलन में किये गये निर्णयों के कार्यान्वियन की प्रगति पर समीक्षा की थी। इस समय भारत और लंका के बीच किस तरह तस्करी होती है, इस पर चर्चा की गई थी। तस्करी को कैसे रोका जाये, इस बारे में विचार विमर्श हुआ था। अत: इस प्रकार की बातचीत हुई थी। पड़ौसी देशों के साथ जब सम्मेलन होते हैं, तो इसी प्रकार की बातचीत होती है। उदाहरण के तौर पर भारत और नेपाल के बीच संधिया हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच कुछ उपबन्ध हैं, तथा उन के अतिरिक्त बातचीत हुई थी। इस के अतिरिक्त यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री निहार लास्कर : पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में थल मार्ग से जो तस्करी हो रही है, क्या सरकार को उस की जानकारी है? फिर ये समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत और बंगला देश के बीच बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आप का प्रश्न नहीं समझ पाया। हमारे पड़ौसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश और बर्मा। जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है भारत और बर्मा के बीच बहुत कम व्यापार होता है तथा तस्करी भी कम है। इस तरह बंगला देश के बारे में गहन समझौता है कि किस प्रकार तस्करी को रोका जाये। तस्करी के बहुत कम अवसर हैं। जहां तक भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध है, अधिक तस्करी नहीं है। थोड़ी बहुत तस्करी होती है तो वह पश्चिमी तट से या समुद्र मार्ग से होती है। यही क्षेत्र है जहां तस्करी होती है। जहां तक श्री लंका का सम्बन्ध है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच बहुत थोड़ी तस्करी होती है। परन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा है, बहुत कड़े उपाय किये गये हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि तस्करी को नियंत्रण में रखा जाये। थल मार्ग से बहुत कम तस्करी होती है। ज्यादातर तस्करी समुद्र द्वारा होती है।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether the hon. Minister is aware that nearly 150 smugglers surrendered before Shri Jayaprakash Naryan about a fortnight ago? May I know whether other smugglers who are large in number want to follow suit and if not the measures proposed to be taken by Government against them in order to check smuggling?

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्री जय प्रकाश नारायण के समक्ष सौ अथवा इससे अधिक तस्करों ने शपथ ली है। इस बारे में मैं और कुछ नहीं बता सकता। जहां तक अन्य तस्करों द्वारा ऐसी शपथ लेने के लिए किये जाने वाले प्रयासों का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसा तो व्यक्ति को स्वतः करना होता है। जो लोग श्री जय प्रकाश नारायण के पास शपथ लेने के लिए गये थे, वे अपनी इच्छा से गये थे और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया।

जहां तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे तस्कर अपनी गतिविधियां पुनः आरम्भ न करें, इस के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, इस के उत्तर में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम उन तस्करों पर नजर रखे हुए हैं जिन के इस कार्य में सक्रीय होने की आशंका है और शेष तस्करों के बारे में जैसा मैं ने पहले कहा है, उन पर नजर रख कर तस्करी की रोकथाम की जाती है और यह काम मुख्यतया समुद्र द्वारा किया जाता है। हम तटीय पोतों के सम्बन्ध में भी रोकात्मक कार्यवाही करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि वे किन-किन देशों से आते हैं और इस प्रकार हमें काफी जानकारी मिल जाती है और समय-समय पर हम काफी माल जब्त कर लेते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : जब किसी देश में किसी वस्तु का नितान्त अभाव हो और वही वस्तु पड़ौसी देश में काफी अधिक मात्रा में फालतू हो, तो क्या अभाव वाले देश के लिए उन वस्तुओं की तस्करी के प्रति आंखें मूंदना स्वभाविक नहीं है ? इस प्रकार क्या आप को सहयोग के बदले वास्तव में असहयोग नहीं मिलता?

श्री एच० एम० पटेल : क्या सदस्य महोदय चाहते हैं कि मैं इस का उत्तर दूं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में पड़ौसी देशों के साथ सहयोग करने के लिए संयुक्त व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई विशेष कठिनाई है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नियमित अन्तराल में बातचीत कर सकती है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार द्वारा मुक्त किये गये व्यक्ति पड़ौसी देशों में भाग गये हैं और वहां से वे यह अवांछित कार्य खुले आम कर रहे हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय के पहले भाग के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि हमें इस मामले में अपने पड़ौसी देशों से पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं किसी संयुक्त निकाय की बात कर रहा था।

श्री एच० एम० पटेल : यह अन्य देशों की इच्छा पर निर्भर है। यह एक प्रकार की संयुक्त निकाय है, जहां तक कि इस बात का सम्बन्ध है कि अधिकारी नियमित अन्तराल के बीच मिलते हैं और देशों के बीच तस्करी रोकने के लिए निर्णय लेते हैं। नेपाल, बंगला देश और श्रीलंका की थल सीमाओं पर ऐसी व्यवस्था है और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हुई हैं। परन्तु बर्मा के साथ पूर्ण सहयोग नहीं है। बर्मा के साथ बहुत कम व्यापार है और ऐसी व्यवस्था जरूरी नहीं समझी गई।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह सच है कि कुछ लोग दूसरे देशों में भाग गये हैं, परन्तु हम अपने गुप्तचरों के द्वारा उन का पीछा करते हैं तथा हमें कुछ के बारे में जो-जो मध्य पूर्व और अमीरात में गये हैं, उनकी जानकारी है। इस से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने विभिन्न देशों के नाम लिये तो एक मालदीव रह गया। मंत्री महोदय ने यह समाचार पढ़ा होगा कि एक कांग्रेस संसद सदस्य श्री यशपाल कपूर ने भारी मात्रा में श्रीलंका और मालदीव को मुद्रा की तस्करी की थी। क्या वित्त मंत्रालय इस की जांच कर रहा है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं एक देश मालदीव को भूल गया था। माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान उस ओर दिलाया है। मैं उन्हें इस के लिए धन्यवाद देता हूं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं इस के लिए अवश्य कार्यवाही करूंगा कि जहां तक संभव हो, मुद्रा की तस्करी को रोका जाये। उपाय वहीं होंगे, चाहे वस्तुओं का मामला हो अथवा मुद्रा का।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने पूछा था कि क्या आप ने समाचार पढ़ा है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं ने स्वयं समाचार नहीं पढ़ा है, लेकिन चूंकि अब माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया है, मैं मामले को देखूंगा।

श्री सौगत राय : मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि थल मार्ग से होने वाली तस्करी के बारे में माननीय मंत्री इतने अनभिज्ञ हैं। उन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पटसन मौसम में बंगला की सीमा से हजारों पटसन की गांठों की पश्चिम बंगाल में तस्करी की जाती है और इस से भाव गिर जाते हैं। इस वर्ष हमारे देश में पटसन की कमी होने के कारण पटसन की तस्करी की फिर संभावना है।

दूसरे नेपाल के रास्ते जिस का चीन से सीधा सम्बन्ध है, चीनी माल तथा माऊ की पुस्तक "रैड बुक" की भारी मात्रा में तस्करी की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि बंगाला देश और नेपाल के रास्ते चीन से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि तस्करी के बारे में वह मुझ से बेहतर जानते हैं। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पास आंकड़े हैं कि हम ने कितना माल पकड़ा है। मैं ने केवल यही कहा था कि थल मार्ग की अपेक्षा समुद्री मार्ग से अधिक तस्करी होती है। यह सच है कि थल मार्ग से तस्करी होती है, परन्तु समुद्री मार्ग से उस से कहीं ज्यादा होती है।

श्री विनोदभाई बी० सेठ : क्या सरकार को पता है कि सरकारी अधिकारियों, विशेष कर सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और अन्य ऐसे विभागों के अधिकारियों के साथ मिल कर तस्करी होती है ? (**अन्तर्बाधायें**) तट पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां उच्च अधिकारियों को 'पगड़ी' देनी पड़ती है। क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हमें मालूम है कि तस्करी तट पर होती है।

जहां तक अधिकारियों की मिलीभगत की बात है, मैं उसकी अवश्य जांच करूंगा।

मूल्य सूचकांक पर मूल्यों के स्थिरीकरण का प्रभाव

*293. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख औद्योगिक गृहों ने स्वेच्छा से अपने उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका आम मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बम्बई के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा कीमतों को स्थिर रखने का निर्णय 31 मई, 1977 को घोषित किया गया था। इसी प्रकार की एक घोषणा कलकत्ता के उद्योग पतियों ने 3 जून, 1977 को की थी ।

(ख) यद्यपि विनिर्मित वस्तुओं का थोक, मूल्य सूचकांक (1970–71=100) 28 मई, 1977 तथा 11 जून, 1977 को समाप्त होने वाले सप्ताहों में कमोवेश स्थिर रहा, 'जबकि' 18 जून 1977 को समाप्त होने वाले सप्ताह में सूचकांक पूर्वगत सप्ताह के मुकाबले में 0.4% बढ़ा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या माननीय मंत्री औद्योगिक गृहों के प्रतिनिधियों से मिले हैं, यदि हां, तो उन औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं, क्या उन्होंने सरकार के पास मूल्य स्थिर करने के अपने इरादे के बारे में कोई पत्र भेजा है ?

श्री मोहन धारिया : बजट पेश होने से पहले मैं उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से ही नहीं बल्कि विभिन्न मजदूर संघों के नेताओं और अन्य विशेषज्ञों से भी मिला था। मैंने उन से कहा कि देश में मूल्य स्थिर करने की ही नहीं बल्कि मूल्यों को कम करने की भी जरूरत है । वर्तमान स्तर पर मूल्य स्थिर करने का मतलब तो यह हुआ कि हमने वर्तमान स्तर पर लोगों के दुखों को स्थिर कर दिया।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं जानना चाहती हूं कि सरकार कौन से ठोस कदम उठाना चाहती है ? मजदूर संघों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि ने क्या सुझाव दिये ?

श्री मोहन धारिया : सरकार ने पता लगा लिया है कि किन-किन वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ये वस्तुएं हैं, तेल, सरसों के तेल और नारियल के तेल समेत खाद्य तेल तथा अन्य तेल, वनस्पति, चाय, कपड़ा आदि । समस्या यह है कि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में क्या किया जाये । कपड़े के बारे में, हम अधिक कपास का आयात कर सकते हैं या कपास का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तिलहनों के बारे में भी हम ऐसा कर सकते हैं। चाय पर हमने 5 रुपये प्रति किलो का उत्पादन शुल्क लगा दिया है। साथ ही हमने उत्पादकों से 80 प्रतिशत तक चाय नीलामी के लिये लाने के लिये कहा है । साथ ही हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम कपास, तिलहनों, दालों और पटसन आदि का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। एक वृहत वितरण प्रणाली किस प्रकार बनाई जाये इस सम्बन्ध में भी हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार हम पहले कीमतों को बढ़ने से रोकने और फिर उन्हें कम करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं । ताकि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिल सकें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उन्होने यह नहीं बताया कि मजदूर सघों और अन्य प्रतिनिधियों ने क्या-क्या सुझाव दिये थे ।

श्री मोहन धारिया : उनके सुझाव थे, (1) एक बृहत वितरण प्रणाली बनाना और (2) उत्पादन बढ़ाना। फिर मेरे कांग्रेसी मित्रों ने कपड़ा मिलें और अन्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये भी आग्रह किया।

Shri Hukam Deo Narain Yadav : May I know whether Government have any policy for fixing the prices ? The selling price of a commodity should not be more than 1½ times of the cost of its production. Then only we will be able to freeze the prices and check the onward trend of the prices. Will Government impress upon the industrialists to follow such a policy ?

श्री मोहन धारिया : यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं मानता हूं कि उत्पादन का उचित मूल्य तय किये बिना और लाभ की सीमा निर्धारित किये बिना हम उचित मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। इसलिये जब मैंने बृहत वितरण प्रणाली का उल्लेख किया तो इसमें ये सभी सुझाव शामिल हैं और मैं इन सब पर विचार करूंगा।

Dr. Baldev Prakash : Is it not a fact that the offer of voluntary price squeeze by the major industrial houses is nothing but an attempt to throw dust into the eyes of the Government ? These industrial houses have stopped supplying the goods. yarn is not being supplied to Nylon, Fibre, Silk Industry in Punjab for the industrialists do not find it profitable. May I know whether Government propose to take some stern steps against them ?

श्री मोहन धारिया : जैसा मैंने कहा कुछ लोग, देश में संकट के समय स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं मूल्य वृद्धि हमें विरासत में मिली है। हम स्थिति का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। पंजाब में कृत्रिम धागे की सप्लाई के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि मेरे कहने पर धागा उत्पादकों की बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह तय हुआ कि उत्पादक स्वेच्छा से तय किये मूल्य पर धागा सप्लाई करेंगे और पहले जो उन्होंने धागा सप्लाई नहीं किया था वह भी दे देगें और यदि उन्होने ऐसा नहीं किया तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्रबंध का पुनर्गठन

***294. श्री आर० के० अमीन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्रबंध के पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ताकि इनके कार्यकरण में अधिक ताल मेल सुनिश्चित हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्य रूप दिया जायेगा ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (*a*) and (**b**) The question is under examination with a view to achieving greater efficiency and ensuring closer co-ordination between the two Corporations.

श्री आर० के० अमीन : बड़ी अच्छी बात है कि सरकार दोनों कारपोरेशनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा करने के बहुत लाभ हैं क्योंकि इस से हम केन्द्रीयकरण की ओर प्रवृत्त होंगे। पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विकेन्द्रीयकरण करने के भी लाभ हैं। अतः तालमेल बिठाने और एक नया ढांचा तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Purushottam Kaushik: A Committee has been constituted to go into the merits of the matter. The secretary of the Ministry is the Chairman of the Committee and the Managing Directors and Chairmen of both the corporations and the Joint Secretaries of the Ministry are its members. The Committee is looking into the matter and I will be able to

say something only after the receipt of the report of the Committee. While considering the report of the Committee, the points raised by the Hon'ble Member will also be taken into account and thereafter the House will be given the necessary information.

श्री आर० के० अमीन : इण्डियन एयर लाइन्स के मुख्य माहनगरीय केन्द्रों को जाने वाले और वहां से आने वाले विमानों में उपलब्ध सेवायें और सुविधायें अन्य केन्द्रों को जाने वाले और वहां से आने वाले विमानों में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं से बेहतर हैं। क्या माननीय मंत्री इस भेदभाव को दूर करने बारे में विचार करेंगे ?

Shri Purushottam Kaushik : Government will look into it.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के विलय का भी कोई प्रस्ताव समिति के समक्ष है ? क्या कुछ ट्रंक मार्गों पर इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया इस समय सहयोग नहीं कर रही है जिस के कारण दोनों के राजस्व को हानि हो रही है ?

Shri Purushottam Kaushik : There is no proposal to merge both the Corporations. But efforts are being made for the appointment of a Chairman for both the bodies.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : ये दोनों कारपोरेशन मुख्य मार्गों जैसे दिल्ली-बम्बई, दिल्ली कलकत्ता आदि पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच है ?

Shri Purushottam Kaushik : I will look into it and assure you to improve the situation.

Shri Chandra Shekhar Singh : What are the terms of reference of the Committee ?

Shri Purushottam Kaushik : The terms of reference of the Committee are :

(1) To identify the areas of greater coordination between Air India and Indian Airlines keeping in mind the overall national interest and recommend specific measures ;

(2) To examine problems relating to development of tourism and movement of cargo by air and recommend measures ; and

(3) To examine any other aspect of air transport and make recommendations.

The Committee has held a few meetings.

अल्प सूचना प्रश्न संख्या के बारे में

Re. Short Notice Question.

प्रो० आर० के० अमीन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आज नोटिस आफिस गया और मैंने मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं उसकी एक प्रति मांगी। उन्होंने कहा कि वे यह प्रति 12 बजे से पहले नहीं देंगे। यह प्रश्न काल है। यह प्रति सभा पटल पर रखी है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय का उत्तर क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल पर रख दी गई है।

प्रो० आर० के० अमीन : उत्तर की प्रति मुझे नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल पर रख दी गई है। क्या यह उपलब्ध नहीं है ?

श्री आर० के० अमीन : मुझे 12 बजे तक नहीं मिली।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा पटल पर रखे गये विवरणों को सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिये। क्या आप उन्हें ऐसा करने के लिये कहेंगे ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे तो यह प्रति मिल गई।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य कहते हैं कि उन्हें उत्तर की प्रति मिल गई। कुछ कहते हैं उन्हें नहीं मिली। यह चर्चा का विषय नहीं है। कुछ गड़बड़ी है। इस बात की जांच की जायेगी।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

खाद्य तेल के आयात के लिये लाइसेंस

9. **श्री आर० के० अमीन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री निहार लास्कर :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने खाद्य तेल के आयात के लिये केवल कुछ ही बड़े लाइसेंस दिये थे और वर्तमान सरकार ने उन्हें जारी रहने दिया यद्यपि उनमें से कुछ ने केवल थोड़ी सी मात्रा में तेल आयात किया :

(ख) क्या वे आयातित तेल की बिक्री पर बहुत अधिक दर पर मुनाफा लेते हैं और वे अभी भी ऐसा कर रहे हैं ;

(ग) क्या जनता और सरकार को मालूम होते हुए भी तेल के कुछ बड़े आयात कर्ता अपनी बिक्री पर 10 प्रतिशत से भी अधिक मुनाफा लेते हैं और अब भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं ; और

(घ) खाद्य तेल का पर्याप्त मात्रा में आयात सुनिश्चित करने और आयात कर्ताओं को अत्याधिक मुनाफा कमाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जनवरी, 1977 में सरकार ने सीधे मानव खपत के लिए गैर सरकारी पार्टियों को खुले लाइसेंसों के अन्तर्गत खाद्य तेलों तथा तिलहन के आयात की अनुमति देने का फैसला किया। इस नीति के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति स्टाक तथा बिक्री के लिए आवेदन कर सकता था और आवेदित मूल्य के लिए लाइसेंस दिए गए जिनकी वैद्यता अवधि 12 मास थी। तद्नुसार मार्च 1977 तक 3675 पार्टियों को 526 करोड़ रुपये मूल्य के लाइसेंस दिए गए। इस नीति के चालू रहते यह देखा गया कि हालांकि भारी मूल्य के लाइसेंस दिए जा चुके हैं, किन्तु वास्तविक आयात बहुत ही कम हुए थे। लाइसेंस धारियों द्वारा किए जा रहे कई कदाचारों की सूचनाएं भी प्राप्त हुई।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अप्रयुक्त लाइसेंस बाजारों में न चलते रहे और दिए गए लाइसेंसों

और वास्तविक आयातों के बीच काफी अनुरुदता भी बनी रहे सरकार ने लाइसेंस नीतियों में निम्ननोक्त परिवर्तन किए :—

(i) वे सभी लाइसेंस अवैध कर लिए गए जिसके आधार पर उनके जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि में कोई आयात या पुख्ता आयात बचन बद्धता नहीं की गई हैं।

(ii) अतिरिक्त लाइसेंसिग को आवेदन द्वारा की गई पुख्ता वचन बद्धता से सम्बद्ध कर दिया गया। इस प्रक्रिया द्वारा आवेदन को पहले विदेश स्थित संभरक के साथ पुख्ता संविदा करनी पड़ती है और उसका प्रमाण लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है जो आयात वचन बद्धता तथा संविधा में बताए गए सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार लाइसेंस जारी करेगा :

3. साथ ही उन पार्टियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई जिन पर कदाचार का सन्देह था। 13 पार्टियों के मामले अब जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेजे गये हैं इनमें वे छः मामले भी शामिल हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन की जांच के लिए वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशक को भी भेजे गये हैं। इन जांचों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। आगे कार्यवाही निष्कर्षों को देखकर की जाएगी।

4. आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन विभागीय कार्यवाही 2143 पार्टियों के खिलाफ की गई है। इनमें उपर्युक्त 13 पार्टियों तथा अन्य शामिल है जिन्होंने आवश्यक जांच करने में आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया।

5. सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जारी किये गये लाइसेसों के आधार पर अब तक लगभग 50 करोड़ रु० के खाद्य तेल और तिलहन का आयात किया गया और ऐसी आशा है कि सितम्बर, 1977 के अन्त तक लगभग 70 करोड़ रु० का और माल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा अनुमान है कि सितम्बर, 1977 के अन्त तक सीधी खपत के लिए निजी व्यापार लगभग 120 करोड़ रु० के तेल और तिलहन का आयात कर लेगा। मात्रा की दृष्टि से यह लगभग 2,00,000 में 0 टन बैठेगा।

6. सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ आयातकों ने आयातित तेल की बिक्री से भारी लाभ कमाया है। सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि उपभोक्ताओं के लिए कीमत का स्तर नीचे बना रहे। ऐसे कदम उठाये गये हैं कि महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों पर राज्य व्यापार निगम तथा आई० ओ० पी० ए० के पास उपलब्ध आयातित तेल के स्टाक से लगभग 8.50 रु० प्रति किग्रा० के हिसाब से लोगो को परिष्कृत तेल उपलब्ध हो। ऐसे भी कदम उठाये गये हैं कि सीधी खपत के लिए खाद्य तेलों के आयात में राज्य व्यापार निगम की भूमिका को बढ़ाया जाये। आशा है कि इन उपायों से आयातित तेल की उपलब्धि ही नहीं बढ़ेगी बल्कि साथ ही इस से तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने में भी सहायता मिलेगी।

श्री आर० के० अमीन : उत्तर से प्रतीत होता है कि 3675 पार्टियों को 526 करोड़ रुपये की लागत के लाइसेंस दिये गये। इतने अधिक लाइसस क्यों दिये गये? मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि कुछ आयात कर्ताओं को बहुत बड़े बड़े लाइसेंस दिये गये और बहुत से आयातकर्ताओं को छोटे छोटे लाइसेंस दिये गये इसका क्या कारण हैं?

क्या मंत्री महोदय ने जांच के बाद पता किया है कि कुछ पार्टियों को जनवरी के महीने में बड़े बड़े लाइसेंस देने के क्या कारण हैं। यह महीना इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोक सभा इस महीने की

18 तारीख को भंग हुई थी। चुनाव का वातावरण था। क्या इसका सम्बन्ध चुनाव के लिये राशि एकत्र करने से नहीं है? हम यही जानना चाहते हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर से यह पता चलता है कि सरकार को यह सूचना मिली थी कि कुछ आयात कर्ताओं ने बहुत लाभ कमाया था। उत्तर में यह नहीं बताया गया कि उस अर्जित लाभ का उपयोग करने के लिये क्या किया गया। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार कुछ पार्टियों ने तेल का ठेका लिया और फालतू तेल लेकर विदेश गये और क्रयादेश रद्द कर दिये। उस फालतू तेल को 100 रुपये से 150 रुपये प्रतिटन तक बेचा गया। उनमें से कुछ साक्ष्य समाप्त करने के उद्देश्य से विदेश गये। क्या मंत्री महोदय के पास यह सूचना है कि कुछ ठेकों के फालतू तेल 100 रुपये 150 रुपये प्रति टन की दर से बेचने के लिये रद्द किया गया। कुछ आयातकर्ता अपने साथियों के साथ अन्य पार्टियों के साक्ष्यों को समाप्त करने के लिये बाहर गये।

श्री मोहन धारिया : मैं कह चुका हूं कि जहां भी हमें किसी का संदेह हुआ हमने उस मामले को तुरन्त सी० बी० आई को सौंपा। बिना ठोस साक्ष्यों के इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। चुनाव से पहले लाइसेंस क्यों दिये गये। इसका क्या उद्देश्य था? राज्य व्यापार निगम की सेवायें क्यों नहीं ली गयीं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते है और अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन बिना साक्ष्य के मेरे लिये कुछ कहना उचित नहीं है।

फालतू तेल के बारे में मैं कह चुका हूं कि खरीद की गयी मूल्य बढ़ने के कारण माल तथा तेल को देश में लाये बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना पड़ा। इस प्रकार के सभी मामले सी० बी० आई० को सौंपे गये हैं। इस मामले में भी तथ्यों का पता लगाये बिना मैं कुछ नहीं कह सकता।

मुझे यह मालूम नहीं कि कुछ पार्टियां साक्ष्य समाप्त करने के उद्देश्य से विदेश गयी हैं लेकिन विदेश से आने वाला सारा पैसा बैंकों द्वारा ही आता है। यदि बाहर कमाये गये लाभ को वहीं के बैंक में जमा किया गया हो तो इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता। हमने अधिकारियों को यथा सम्भव जांच के लिये कहा है और मुझे आशा है कि वे पूरा प्रयत्न करेंगे।

प्रो० आर० के० अमीन : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने थोड़े तेल के आयात के लिये लाइसेंस दिये थे। मुझे पता चला है कि स्टीमरों को बादलों के बहाने बंदरगाहों पर खड़ा रखा गया और उन्हें किनारे पर तेल नहीं लाने दिया गया।

दूसरे इन छोटे छोटे आयातकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिये इन्हें रेलवे वैगन नहीं दिये जाते। मुझे पता है कि राज्य व्यापार निगम ने बम्बई में सभी रेलवे वैगन रिजर्व कर लिये हैं और छोटे छोटे आयात-कर्ताओं के लिए कोई भी वैगन नही है।।

श्री मोहन धारिया : सभा को इस बात का पता है कि हर प्रकार के खाद्य वस्तु के आयात हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय स्वीकृति देता है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि देश में आने वाली हर वस्तु की जांच पड़ताल शीघ्र ही की जाये। रेलवे वैगन के मामले में भी कोई कठिनाई नहीं है। यदि कोई है, तो माननीय सदस्य उसे हमारी जानकारी में लायें, जिस पर मैं विचार करूंगा।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या यह सच है कि भारतीय जन प्रशासन संस्थान को सरकार ने खाने के तेल सम्बन्धी खोटाले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये कहा है। यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी? इन व्यापारियों ने खाद्य तेल के शुल्क मुक्त आयात लाइसेंस के उद्देश्यों को ही समाप्त कर दिया है। इससे अधिक पेचिदगी तथा कमी

हो गयी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खाद्य तेल के सम्बन्ध में मौसम के शुरू होने से कोई नीति अपनाने जा रही है अथवा खाद्य तेल निगम स्थापित करने सम्बन्धी कोई योजना उसके विचराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ? यदि नहीं तो किसानों को उचित मूल्य दिलाने तथा खाद्य तेल को उचित दर की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री मोहन धारिया : यह ठीक है कि हमने भारतीय जन प्रशासन संस्थान दिल्ली को इन सब बातों का अध्ययन करने के लिये कहा है और उन्होंने तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। यह बात ठीक है कि जारी किये गये लाइसेंस के अनुसार तेल का आयात नहीं किया गया। अब हमने राज्य व्यापार निगम की मशीनरी को सक्रिय कर दिया है और कृषि, वित्त तथा योजना मंत्रालय के परामर्श से हमने अगामी वर्ष के लिए योजना बनायी है। अगामी वर्ष में अपनायी जाने वाली नीति विचाराधीन है और हम इस नीति को अपनायेंगे ताकि हमें यह पता लग सके कि किस वस्तु का आयात किया जाये और हम ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर न करें जो लाभ कमाने के लिए देश के हितों का ध्यान न रखें। क्या हम देश की जरुरत के तेल सम्बन्धी समूची समस्या पर ध्यान दे रहे हैं, इसके उत्तर में मैं हां ही कहूंगा। समस्या का समाधान कैसे हो, हम इस पर विचार कर रहे हैं और सम्भव हो तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि तेल तथा तेल बीजों सम्बन्धी एक निगम की स्थापना की जाये ताकि यह आगामी वर्ष तथा भविष्य के लिये योजना बना सके।

श्री निहार लास्कर : मंत्री महोदय को पहले तो उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य तेल उपलब्ध करना है और दूसरे इनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भवष्य में ऐसा न हो। मंत्री महोदय ने अप्रैल के महीने में घोषणा की, कि एक लाख अथवा इस से अधिक आबादी वाले शहरों में उचित दर की दुकानों द्वारा खाद्य तेल का वितरण किया जायेगा क्या यह प्रबन्ध कर दिये गये हैं। यदि नहीं तो इस दिशा में क्या प्रगति की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रश्न को विस्तारपूर्वक चर्चा के दौरान ही उठाया जा सकता है। यह अल्प सूचना प्रश्न है। केवल प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। लेकिन आप सारी नीति के बारे में जानना चाहते हैं। इन्हें सारी नीति के बारे में पूछना उचित नहीं है।

श्री मोहन धारिया : सभा को इस बात का पता है कि शोधित तेल महत्वपूर्ण केन्द्रों पर (व्यापारी नहीं उपभोक्ताओं को) 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलों के हिसाब से मिलता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह कहीं भी नहीं मिलता।

श्री मोहन धारिया : यह महत्वपूर्ण केन्द्रों में मिलता है कलकत्ता में भी मिलता है **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह कहीं भी नहीं मिलता।

श्री मोहन धारिया : मैं आज सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में यह कल उपलब्ध किया जायेगा तथा किया भी जा रहा है। लेकिन कठिनाई यह है कि सरसों, मूंगफली तथा नारियल के तेल के विभिन्न स्वादों के कारण इसे पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन आयात किये गये तेल में से हमने कुछ शोधन के लिये आरक्षित किया है और राज्य सरकारों के परामर्श तथा सहयोग से ऐसा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग नीति से सम्बन्धित है और म नहीं समझता कि मैं इसे अनुमति दे सकता हूं।

1966 LS—2.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मार्च 1977 तक 526 करोड़ रुपये के मूल्य के लाईसेंस जारी किये गये : लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने मई 1977 तक सभा को यह क्यों नहीं बताया कि 686 करोड़ रुपये के लाईसेंस जारी किये गये तथा राज्य व्यापार निगम को 300 करोड़ रुपये के मूल्य के लाईसेंस जारी किये गये। 1 करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक वाले कितने लाईसेंस मई तक जारी किये गये। 14 जून 1977 को मंत्री महोदय ने राज्य सभा में बताया था कि वास्तविक आयात सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। बीस दिन बीत गये हैं। क्या आप वास्तविक सूचना प्राप्त करने में सफल हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। वास्तव में 45 करोड़ रुपये की कीमत का ही आयात किया गया है। इसका मतलब यह है कि लगभग 641 करोड़ रुपये का दुर्विनियोग किया गया। 14 जून 1977 को आपने राज्य सभा में कहा था कि 13 पार्टियों के मामले सी० बी० आई० को सौंपे गये हैं और 6 पार्टियों के प्रवर्तन निदेशालय को। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है।

श्री मोहन धारिया : मैं सी० बी० आई० को इसे शीघ्र निपटाने के लिये कह सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 20 दिन के अंदर क्या प्रगति हुई है।

श्री मोहन धारिया : यह मामला सी० बी० आई अथवा प्रवर्तन निदेशालय से सम्बन्धित हैं, इसलिये मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमने उन्हें इस मामले को निपटाने के लिये कहा है क्यों कि देश तथा सभा इस बारे में चिंतित है। एक करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक के 130 लाईसेंस जारी किये गये। 10 करोड़ रुपये के मूल्य के 30 और 50 के बीच लाईसेंस जारी किये गये। अन्य प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्य यदि मुझे समय दें तो बाद में सूचना दूंगा।

Shri Tej Pratap Singh : What action has been taken by the Government against those who violated terms and conditions of the licences ?

Shri Mohan Dharia : I have already stated that all such cases have been referred to the C.B.I. and the investigation is going on.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय की नीति में दो त्रुटियां हैं। मंत्री ने कहा है कि तेल का आयात तीन महीने के अंदर किया जायेगा और मंत्री यह भी जानते हैं कि अक्तूबर में नई फसल आजायेगी। एक ओर तो आयात किया गया तेल और दूसरी ओर नई फसल इसका तेल बीजों के उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि तेल के बीज और अधिक क्षेत्रों में बीजे जायेंगे। क्या इससे वर्तमान संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है ? यदि एक फसल अधिक क्षेत्र में बीजी जाये तो इसका प्रभाव अन्य फसलों पर भी पड़ेगा। ऐसा करने के स्थान पर क्या प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि अधिक क्षेत्र में तेल के बीज न बीजे जायें।

श्री मोहन धारिया : मेरे विचार में मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैंने कहा था कि वर्तमान फसल कैसी है और हमारी जरूरत क्या है ? मैंने यह भी कहा था कि आयात पर निर्णय लेते हुये हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। मैं माननीय सदस्य की इस बात को मानता हूं कि उत्पादकों को उचित दाम मिलने चाहिये और यदि मूल्य गिर जायें तो हमें सहकारी संस्थाओं अथवा राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेन्सियों से सीधी खरीद करनी चाहिये। लाभ तो केवल बिचौलिये को ही प्राप्त होता है इस बारे में क्या किया जाये, यही एक समस्या है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : फसल वाले क्षेत्रों के बारे क्या स्थिति है ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले कह चुका हूं कि हम यह सोच रहे हैं कि और अधिक क्षेत्र में खेती कैसे की जाये और अधिक पैदावार वाले बीज कैसे बोने शुरू किये जायें।

श्री श्यामनंदन मिश्र : आरोप लगाया गया है कि कुछ आयात कर्ता साध्य समाप्त करने के लिये विदेशों को गये थे। प्रश्न यह है कि क्या जांच के बाद मंत्रालय ने दोषी आयातकर्ताओं के पासपोर्ट जब्त करने के लिये कोई कदम उठाये थे ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहन धारिया : इन आरोपों को जब हम एक बार सी० बी० आई को सौंपते हैं तो उन पर कार्यवाही करना उनका काम है ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : : यह काम मंत्रालय का है ।

श्री मोहन धारिया निश्चय ही मैं उनसे बात करूंगा कि मैं आपके प्रश्न के प्रभावों को समझता हूं ।

Shri Chander Shekhar Singh : May I know whether some conditions laid down at the time of issuing licences, if so, what was the necessity of referring this case to the C.B.I. ? Then it is a very simple question.

Shri Mohan Dharia : No condition was laid down. Licence-holder can import within 12 months. Only the cases of selling goods abroad were referred to C.B.I.

Shri Chander Shekhar Singh : Was not any condition laid down ?

Shri Mohan Dharia : Unfortunately no such condition was imposed on them.

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मंत्री महोदय ने कहा है कि आयसत किये गये तेल को 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुछ चुने हुये केन्द्रों द्वारा वितरित किया जा रहा है । इससे कम आबादी वाले शहरों के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या उन्हें व्योपारियों की दया पर छोड़ा जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : यह एक साधारण सा तर्क है । ये केन्द्र उन बड़े क्षेत्रों में हैं जहां तेल की अधिक खपत होती है । यदि हम बड़े बड़े उपभोक्ता केन्द्रों में इसकी सप्लाई करें तो इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों तथा मध्यम दर्जे के शहरों का ध्यान भी रखा गया है ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : ग्रामीण क्षेत्रों में तेल नहीं है । देश भर में उपलब्ध नहीं है । इसकी कमी है ।

श्री पूर्ण सिन्हा : क्या यह सच है कि आयातित स्टाक में से खाद्य तेल की कुछ मात्रा इस मास के आरम्भ में आसाम को भेजी गयी थी और मालूम हुआ कि उसमें मिलावट थी और खाने योग्य नहीं था और इसे सरकारी आदेश द्वारा वितरित करने से रोका गया। यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहन धारिया : इस प्रकार की किसी शिकायत की मुझे जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे देखें ।

श्री तरुण गोगोई : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार बड़े बड़े शहरों के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं । और इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों पर अवश्य पड़ेगा और फिर भी देश में तेल की कमी चल रही है ।

श्री मोहन धारिया : मुझे कमी का पता है । पूरे स्टाक के बिना मैं इस योजना को लागू नहीं कर सकता । रेपसीड तेल के 28000 टन के स्टाक होने के बाद ही मैं इसे लागू कर सकता हूं । एक

ग्रोर तो हमने ग्रधिकाधिक ग्रायात की योजना बनायी है दूसरी ग्रोर हम ग्रायातित तेल की सप्लाई ग्रधिक क्षेत्रों में कर रहे हैं ।

श्री डी० बी० पाटिल : मंत्री महोदय ने बिचौलियों को हटाने के बारे में कुछ कहा है । क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ग्रौर यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्य से ग्रपील करना चाहूंगा कि यदि हमारी सहकारी संस्थायें ठीक हों तो हम माल सीधे उपभोक्ताग्रों तक पहुंचा सकते हैं । मैं सभा को पहले ही ग्राश्वासन दे चुका हूं कि मेरी ग्रोर से इस बारे में पूरा पूरा सहयोग मिलेगा ।

श्री सोनुसिंह पाटिल : तेल के बीजों तथा तेल की कमी को ध्यान में रखते हुये मंत्री महोदय क्या तेलबीजों के एकाधिकार क्रम तथा समेकित नीति पर विचार करेंगे ? क्या उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि तेल बीजों के दाम पिछले वर्ष की तुलना में दुगने हो गये हैं जिससे बहुत हानि हो रही है । इस स्थिति का सामना करने के लिये वे क्या करने जा रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया : एकाधिकार क्रय का सुझाव विचारणीय है । तिलहन के मूल्य वृद्धि के बारे में मैंने कृषि मंत्री से बात की है ।

श्री ग्रार० के० महालगी : सी० बी० ग्राई० की जांच रिपोर्ट कब तक ग्रायेगी ?

श्री मोहन धारिया : हमने उन्हें कह दिया है कि हमें रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र चाहिये ग्रौर उन्होंने भी कहा है कि वे पूरा प्रयास करेंगे ।

श्री ग्रार० के० महालगी : कोई समय सीमा तो होनी चाहिये ।

श्री मोहन धारिया : यह सम्भव नहीं क्योंकि इससे कुछ विदेशी कम्पनियां सम्बद्ध हैं ग्रौर जांच विदेशों में होती है । यदि यहीं होती तो इसमें इतना विलम्ब न होता । इसलिये ग्रधिक समय लगने की सम्भावना है ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं जानता हूं कि मंत्री उन ग्रायात कर्ताग्रों से बहुत नाराज हो गये हैं जिन्होंने तेल ग्रायात के मामले में लोगों से धोखा किया है ग्रौर माल बाहर बेच कर बहुत लाभ कमाया है । क्या मंत्री महोदय ने ग्रखाद्य तेल ग्रर्थात सरसों के तेल के निर्यात पर विचार किया है ताकि सरसों के तेल के कारखाने बंद हो जायें ग्रौर बेरोज़गारी हो जाये ?

श्री मोहन धारिया : यह भिन्न प्रश्न हैं । ग्रर्थात् ग्रखाद्य तेल की ग्रावश्यकता तथा ग्रायात की मात्रा सम्बन्धी दो प्रश्नों को मिलाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है इस बारे में भिन्न दृष्टि कोण ग्रपनाया जाना चाहिये । मेरी नाराज़गी देश के हितों के लिये बाधक नहीं होगी । मेरी नाराज़गी देश के हित में है कि यदि कोई देश के ग्रहित में काम करता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

चाय कम्पनियों में विदेशी साम्य पूंजी को कम करना

*284. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व ग्रौर बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में काम कर रही स्टर्लिंग चाय-कंपनियों को कहा था कि वे 31 मार्च, 1977 तक ग्रपनी विदेशी साम्य पूंजी को कम करने की एक व्यापक योजना पेश करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्देश का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी स्टर्लिंग चाय कम्पनियों को इस आशय के निदेश जारी कर दिए हैं कि वे भारत में अपने कारोबार को, प्रस्ताव के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, उन भारतीय कम्पनियों को अन्तरित कर दें, जिनकी शेयर पूंजी में अनिवासियों के शेयर 74 प्रतिशत से अधिक न हों। कुछ मामलों में यह समय-सीमा इस वर्ष के अन्त में और कुछ मामलों में आगामी वर्ष की प्रथम छमाही में समाप्त हो जायेगी।

(ख) और (ग). बैंक के निदेश कानूनी किस्म के हैं और कम्पनियां इस संबंध में अपने प्रस्ताव भेज रही हैं।

बन्द पड़े जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

***285. श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में बन्द पड़ी कुछ जूट मिलों का प्रबन्ध अपने नियन्त्रण में ले लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस क्षेत्र के श्रमिक संघों ने मांग की है कि सरकार को इन मिलों का प्रबंध अपने नियन्त्रण में लेने की बजाय इनका पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दो बन्द पड़ी पटसन मिलों अर्थात् खारदाह कं० लि० तथा यूनियन जूट मिल का प्रबन्ध, सरकार द्वारा 16 मई, 1977 को अपने नियन्त्रण में ले लिया गया है ;

(ग) तथा (घ). इन मिलों के राष्ट्रीयकरण की कोई प्रस्थापना इस समय विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कार्य

***287. श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कार्य असंतोषजनक पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उसके कार्य को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय वस्त्र निगम को विरासत में मिली समस्याओं अर्थात् पुरानी मशीनें तथा बेशी श्रमिक आदि को

देखते हुए सरकार यह नहीं समझती कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय वस्त्र निगम का काम असन्तोषजनक है। मिलों के कार्यकरण में सुधार के लिए इस निगम ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :-

(1) मशीनों का आधुनिकीकरण नवीकरण :
(2) बेशी श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण;
(3) केन्द्रीकृत आधार पर कच्चे माल की भारी मात्रा में खरीद;
(4) उत्पादन के ढांचे का विविधिकरण; और
(5) विपणन नीति में परिवर्तन।

मूल्य वृद्धि पर रोक

*288. **श्री पी० त्यागराजन :**
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेच्छा से वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर रोक हेतु सहमति के लिए उद्योगपतियों में हुए कथित समझौते को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) जिन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं होगी उनके कुल मूल्य की अपेक्षा उन वस्तुओं का जिनके मूल्य वृद्धि पर रोक होगी, सम्भावित मूल्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार मूल्य-वृद्धि पर अधिक निम्नतर स्तर पर रोक लगाने हेतु प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) समाचार पत्रों में यह घोषणा छपी थी कि बम्बई और कलकत्ता में स्थित बहुत से उद्योगपतियों ने स्वेच्छा से यह निर्णय किया है कि वे हानि में चल रही यूनिटों को छोड़ कर 31 दिसम्बर, 1977 तक अपने द्वारा तैयार की जाने वाले वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ायेंगे। उसमें यह भी कहा गया था कि उनके द्वारा इस बात के लिये भी प्रयत्न किये जाएंगे कि जहां तक संभव हो, निवेशों की लागत में होने वाली किन्ही भी वृद्धियों को खपा लिया जाये, यदि लागत में ये वृद्धियां बहुत अधिक न हों,

(ख) इसे मूल्य स्थिरता के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों की सीमा व अनेकता को ध्यान में रखते हुए इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकेगा कि उनका मूल्य कितना होगा और तैयार की गई तथा बेची गई वस्तुओं के कुल मूल्य में उसका अनुपात क्या होगा।

(ग) तथा (घ). उद्योग तथा व्यापार, राजनैतिक दलों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 7 जून, 1977 को हुई एक बैठक में प्रमुख व्यापारिक घरानों को कहा गया था कि प्रयत्न यह होना चाहिए कि मूल्यों को वर्तमान स्तर पर स्थिर रखने के बजाय उन्हें कम किया जाये।

Opium Processing Plant at Jhalawar

289. Shri Chaturbhuj : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state whether Government propose to set up an opium processing plant in Jhal war district which is leading in opium cultivation but is an economically backward district ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : There is presently no proposal to set up an opium processing plant either at Jhalawar or elsewhere. However, a proposal to set up a plant for extraction of alkaloids from lanced poppy capsules in the poppy growing areas of Madhya Pradesh and Rajasthan is under consideration. Final decision about the location of the plant has not yet been taken.

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानचालकों तथा एयर कार्पोरेशन एम्प्लाईज यूनियन की मांगें

*290. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमानचालकों और एयर कार्पोरेशन एम्प्लाईज यूनियम ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्दी ही पूरी न की गईं, तो वे हड़ताल कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) उनकी कितनी मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) उनकी हड़ताल के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों ने हड़ताल पर जाने की धमकी नहीं दी है, तथापि इण्डियन एयरलाइन्स को एयर कार्पोरेशन एम्प्लाईज़ यूनियन से 3 जून, 1977 की तारीख का एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें 20 जून, 1977 से हड़ताल की घोषणा का प्रस्ताव था। परिणामत:, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, कानपुर द्वारा 18 जून, 1977 को दोनों पक्षों के साथ समझौता कार्यवाही शुरू की जानी थी परन्तु इसी बीच एयर कार्पोरेशन एम्प्लाईज़ यूनियन ने प्रबंधक वर्ग के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श पुन: आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की। लिहाजा समझौता कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है, और विचार-विमर्श का काम इस समय चालू है।

(ख) एयर कार्पोरेशन एम्प्लाईज यूनियन की मांगें उत्पीड़न के तथाकथित मामलों के निरीक्षण, कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के और अधिक अवसर, शिफ्ट प्रणाली, स्थानांतरण नीति, कर्मचारियों की संख्या वृद्धि तथा सेवा की अन्य सामान्य शर्तों के बारे में हैं।

(ग) मांगों पर एयर कार्पोरेशन एम्प्लाईज़ यूनियन तथा इण्डियन एयरलाइन्स के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है। अगली बैठक जुलाई, 1977 के पहले सप्ताह में होगी। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा स्वीकार की गयी मांगों के बारे में जानकारी विचार–विमर्श की कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता. क्योंकि कोई हड़ताल नहीं हुई है।

टैक्सप्रोसिल संगठन द्वारा धन राशि का एकत्रित किया जाना.

*295. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी संगठन टैक्सप्रोसिल को कोटा शुल्कों तथा जुर्माना के रूप में कर लगाने तथा उसे वसूल करने के असाधारण अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है जब कि अन्य

निर्यात संवर्धन परिषदों को यह प्राप्त नहीं है, जैसा कि 12 मई, 1977 के फिनेन्शियल एक्सप्रैस, बम्बई में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकार किसी विधान पर आधारित है;

(ग) क्या किसी संसदीय समिति ने टैक्सप्रोसिल द्वारा इस प्रकार धनराशि एकत्रित किये जाने पर आपत्ति की है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह संगठन अपने लेखों की सरकार द्वारा परीक्षा कराने से इन्कार करता रहा है हालांकि इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन के माध्यम से परोक्ष रूप से कुछ धन मार्केट विकास निधि से इसके पास पहुंचता है ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) टैक्सप्रोसिल (सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद) कोई शुल्क एकत्र नहीं करता। फिर भी, वह सूती वस्त्रों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने तथा उन देशों के लिये निर्यात कोटे आबंटित करने के उपलक्ष्य में जिनको सूती वस्त्रों का निर्यात कोटे के अधीन किया जाता है, उन से कुछ प्रभार लेती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विपणन विकास फंड से कुछ भी धन टैक्सप्रोसिल को सीधे अथवा भारतीय सूती मिल्स संघ के जरिए नहीं मिलता और टैक्सप्रोसिल द्वारा सरकारी लेखा-परीक्षा कराने से इन्कार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Revised Policy for Grant of Loans by Nationalised Banks

†*296. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether nationalised banks are making changes in their policy of granting loans, and ;

(b) if so, the outline of the revised policy and the time by which it would be enforced ?

The Minister of Finance & Revenue & Banking (Shri H. M. PATEL) : (a) and (b). The lending policy of the public sector banks is governed by the priorities laid down from time to time by Government and the Reserve Bank of India. As a result the Public sector banks are increasingly adopting a need-based approach as distinct from a security-oriented approach which characterised their earlier lending policies.

Some of the basic guidelines which have been issued to them recently are indicated below :

(i) Banks have been advised to revise their branch expansion programme so as to establish at least one commercial bank branch at each of the unbanked Community Development Blocks by June, 1978.

(ii) Banks have been instructed to bring about further refinement in their performance budgeting system on a priority basis with a view to ensuring that budgets become more meaningful and purpose oriented.

(iii) Public sector banks have been advised to formulate credit plans for all the districts in the country by the end of March 1978 so that all the financing institutions in the district can jointly assist in the economic development of the districts which are the recognised administrative units.

(iv) In order to enlarge the flow of credit to the weaker sections of the community, banks have been instructed to ensure that at least 33·3 per cent of their aggregate advances flow to the priority sectors by the end of March 1979.

(v) Government have advised banks to take corrective measures so that rural and semi-urban branches of public sector banks achieve a credit deposit ratio of at least 60 per cent by March 1979.

(vi) To ensure larger flow of credit to the weaker sections of the community, Government have revised the scope and coverage of the Differential Rate of Interest scheme recently under which loans are provided to eligible persons at 4 per cent rate of interest.

(vii) Public Sector banks have been advised to simplify the procedures for sanctioning loans and to take measures to improve their customers' service.

(viii) In order to ensure expeditious disposal of loan applications, instructions have been issued to banks that they should finalise small loan applications involving credit limit upto Rs. 10,000/- within a period of 3-4 weeks from the date of receipt of such applications and above that limit within a period of 3 months.

नए औद्योगिक एककों को उत्पादन शुल्क से छूट

*297. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारी मंडल ने अनुरोध किया है कि नए औद्योगिक एककों को एक विशेष अवधि तक उत्पादन शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन-शुल्क में राहत देने संबंधी योजना के अन्तर्गत, जो 16 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या 198/76—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीन घोषित की गयी थी, विनिर्दिष्ट प्रकार के माल का उत्पादन कर रहे नये एककों को उनके द्वारा अन्यथा देय शुल्क के 25 प्रतिशत तक उत्पादन-शुल्क से छूट पहले ही उपलब्ध है ।

Demand from Bar Associations of Delhi for Deleting certain provision of Income-tax Act

†*298. **Shri Krishna Kumar Goyal:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that various Bar Associations in the capital have made a demand for deleting that section of Income-tax Act, 1961 under which it is compulsory for income-tax lawyers to adopt the special system of accounts ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) Yes, Sir. The Bar Association (Income-tax), New Delhi has forwarded a copy of the Resolution adopted at a meeting of certain Bar Associations held on 4th June, 1977 at the office of the Bar Association (Income-tax), New Delhi suggesting, *inter alia*, the deletion of sub-section (3) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961.

(b) Government is not in favour of deleting the relevant provision.

मारूति लिमिटेड और इससे सम्बद्ध फर्मों द्वारा किया गया निर्यात

*299. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मारूति लिमिटेड तथा इससे सम्बद्ध फर्में अर्थात मारूति हैवी वहीकल्स और मारूति टैक्नीकल्स सोवियत रूस को 'पेट्रोल सेवर' का निर्यात करती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) मारूति कम्पनी द्वारा विदेशों को किये गये सभी निर्यातों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मारूति फर्मों द्वारा विदेशी फर्मों अथवा विदेशी सरकारों के साथ वस्तुओं के निर्यात के बारे में किये गये करारों की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हाजो (आसाम) का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

*300. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम स्थित हाजो को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : साधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं एवं हाजो (असम) में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों के कारण, असम में हाजो का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बचत बैंक खाताधारियों को ब्याज

*301. **श्री शिव सम्पत राम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक वर्ष में दो बार अर्थात् जून और दिसम्बर में, अपने खाते बन्द करते हैं तथा वहां खुले बचत बैंक खातों पर प्रति छमाही ब्याज देते हैं ;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया अपने खाते वर्ष में एक बार अर्थात् अक्तूबर में बन्द करता है तथा अपने ग्राहकों को बचत बैंक खातों पर वार्षिक ब्याज देता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक आफ इण्डिया में बचत बैंक खाताधारियों को अर्धवार्षिक ब्याज देने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक

राष्ट्रीयकृत बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को अपनी लेखा पुस्तकें बन्द करे और तुलन पत्र बनवाये ।

इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 39 और भारतीय स्टेट बैंक (अनषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 39 के अनुसार क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को अपनी लेखा पुस्तकें बंद करें और तुलनपत्र बनवायें।

1970 में, सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया था कि जहां तक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है, बैंकों को चाहिए कि संबंधित बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को वार्षिक लेखों को बंद करने की सांविधिक अपेक्षा के अलावा, वर्ष में 30 जून को पुस्तकों बंद करके प्रत्येक वर्ष के पहिले वर्षार्ध के दौरान बैंक के कार्यचालन का आंतरिक मूल्यांकन करें।

जहां तक बचत बैंक खातों पर ब्याज देने का संबंध है, 14 राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंक बचत जमा खातों पर वर्षार्ध के आधार पर ब्याज देते हैं, किन्तु भारतीय स्टेट बैंक वर्ष के आधार पर नीचे दिये अनुसार ब्याज देता है :

बैंक	अवधि जिसके लिए बचत बैंक खातों पर ब्याज लगाया जाता है	महीना जिस में बचत बैंक खाते में ब्याज जमा किया जाता है
(1) 14 राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी	(क) 1 दिसम्बर से 31 मई तक	जून
(2) भारतीय स्टेट बैंक	(2) 1 जून से 30 नवम्बर तक	दिसम्बर.
	1 अक्टूबर .से 30 सितम्बर तक	अक्टूबर

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक को, सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के समान बचत बैंक खातों पर वर्षार्ध के आधार पर ब्याज देने के बारे में लिखा है।

इण्डियन एयर लाइन्स के चेयरमैन के रूप में श्री पी० सी० लाल का इस्तीफा

*302. **श्री आर०के० महालेगी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वायु सेनाध्यक्ष, श्री पी० सी० लाल ने 14 अप्रैल, 1976 को 12 अप्रैल 1976 के भूतलक्षी प्रभाव से इंडियन एयरलाइन्स के चैयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था ;

(ख) श्री पी० सी० लाल ने भूतलक्षी प्रभाव से अपना इस्तीफा किन कारणों से दिया; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संबद्ध रिकार्ड की जांच करने पर यह पता चला है कि भूतपूर्व वायु-सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल पी०सी० लाल को 1 अगस्त, 1973 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इण्डियन एयरलाइन्स का अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था, परन्तु वे 12 अप्रैल, 1976 से 30 जून, 1976 तक अवकाश पर चले गये तथा उन्हें 1 जुलाई, 1976 से 30 दिन की अवधि का वेतन दिलाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन एम्प्लाईज़ सर्विस रेगुलेशन्स के नियम 13 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये कर्मचारियों की भर्ती का केन्द्रीयकरण

*303. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती के केन्द्रीयकरण के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या राष्टीय बैंकों की एक जैसी यूनिट में अपेक्षित कर्मचारियों की इष्टतम कर्मचारी संख्या निर्धारित करने के लिये कोई समान मानदण्ड बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कनिष्ठ अधिकारियों के संवर्गों और लिपिक संवर्गों की सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करने के वास्ते बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1975 के अधीन फरवरी, 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना की गई थीं । आयोग ने बैंकों के लिए कर्मचारियों की भरती करना अभी आरम्भ नहीं किया है ।

(ख) और (ग). यद्यपि कुछ बैंकों ने अपने कार्य के भार को अपने कर्मचारियों की संख्या से सम्बद्ध करने के अपने मापदण्डों का स्वयं विकास किया है, तथापि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनीय एककों में आवश्यक कर्मचारियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए कोई सामान्य मापदण्ड विकसित नहीं किये गये है ।

द्वि-वर्षीय फार्म निवेश कार्यक्रम

2327. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सहयोग से कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे द्विवर्षीय फार्म निवेश कार्यक्रम से लाखों भारतीयों किसानों को लाभ पहुंचने की आशा है ;

(ख) प्रस्तातित योजना की मुख्य बात क्या है ;

(ग) देश में कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिये यह योजना कहां तक सहायक सिद्ध हो सकती है ; और

(घ) प्रस्तावित योजना से कितने समय में लाभ मिलने आरम्भ हो जायेंगे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को उसके निवेश कार्यक्रम के निम्नलिखित प्रयोजनों के वास्ते सहायता के दो-वर्षीय कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ डालर का ऋण मंजूर किया गया है :

प्रयोजन	राशि (लाख डालर)
1. छोटे सिंचाई कार्य और खेती की भूमि के विकास पर	1750
2. विविध प्रकार की उधारी के लिए ऋण	240
3. प्रशिक्षण . . .	10
जोड़	2000

प्रस्तावित योजना की मुख्य मुख्य बातें ये हैं :—

(1) निवेश कार्यक्रम में प्रयोजनों का व्यापक क्षेत्र शामिल होगा।

(2) इस परियोजना में निर्धारित छोटे किसानों को उधारी का कम से कम 50 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।

(3) देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कर्मचारियों और भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(5) ग्रामीण ऋण व्यवस्था की सक्षमता को सुदृढ़ करना, उधारी कारोबारों के लिए एक से मानक स्थापित करना और ऋणदाता बैंकों द्वारा वित्तीय और तकनीकी मानकों के अनुपालन पर जोर देना।

(ग) यह कार्यक्रम कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में प्रत्यक्ष सहायता का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले वृद्धिशील उत्पादन का मूल्य, 1976 के फार्म गेट मूल्यों के अनुसार, लगभग 330 करोड़ रुपये होने की आशा है।

(घ) परियोजना में कल्पना की गई है कि प्रथम कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता-प्राप्त कृषि ऋण परियोजनाओं के दौरान आरम्भ किये गये कुछ निवेश पूरे किये जायेंगे और कुछ अन्य आरम्भ किये जायेंगे, जो परियोजना अवधि के दौरान पूरे किये जायेंगे तथा हो सकता है उन्हें उस अवधि के बाद भी बढ़ाया जा सके। इस लिए उत्पादन पर परियोजना के प्रभाव का अनुमान केवल मोटे रूप में ही मान कर ठीक होगा। फिर भी छोटे सिंचाई कार्यों और विविध क्षेत्रों में किये गये निवेशों से लाभ मिलने में लगने वाला समय थोड़ा ही होता है।

रबड़ उत्पादकों को पुनर्रोपण के लिये राज सहायता

2328. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ उत्पादकों को इस समय किस दर पर राज सहायता दी जा रही है और वर्ष 1976-77 में इस सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि वितरित की गई ;

(ख) क्या रबड़ उत्पादकों को पुनर्रोपण के लिये राज सहायता देना बन्द कर दिये जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ उपजकर्ताओं को पुनर्रोपण राज सहायता एस्टेट / जोत के आकार के अनुसार, निम्नलिखित दरों के हिसाब से दी जा रही है :

2 हैक्टार तक — 7,500 रु० प्रति हैक्टर

2 हैक्टर, से अधिक तथा 20 हैक्टर तक —5,000 रु० प्रति हैक्टार

20 हैक्टार से अधिक — 3,000 रु० प्रति हैक्टार

1976-77 के दौरान बोर्ड द्वारा उपजकर्ताओं को राज सहायता के रूप में कुल 1,00,08,658 रु० की धनराशि दी गई ।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Public Deposits in Limited Companies

2329. **Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the total amount of public deposits in the limited companies in the country as also the number of the depositors ; and

(b) whether Government propose to devise measures under which depositors' money may remain safe and they may withdraw it in need and the companies may also continue to function smoothly ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) Reserve Bank of India have reported that, according to the *latest* available data, based on the survey of deposits with non-banking companies, the total deposits and the number of deposit accounts with non-banking corporate sector, as at the end of March 1974, were Rs. 1026.6 crores and 27.85 lakhs respectively. The return prescribed by the Reserve Bank does not require the companies to give the number of depositors in addition to the number of deposit accounts.

(b) The directions issued by the Reserve Bank to financial and miscellaneous non-banking companies and the rules issued by the Department of Company Affairs to non-banking non-financial companies restrict the quantum of deposits to be accepted by them to specified ceilings and require them to disclose, in the advertisements soliciting deposits and in the deposit application forms, the prescribed particulars regarding their financial position and management. These measures have been devised to provide protection to the depositors. Government have also accepted the recommendations of the James Raj Study Group on non-banking companies (i) that the non-banking non-financial and certain categories of non-banking financial companies should bring down, in stages, the quantum of their deposits from 50 per cent to 25 per cent of their net owned funds, (ii) that the non-financial companies should maintain in the form of liquid assets (excluding cash in hand) not less than 10 per cent of the deposit liabilities maturing during the course of a year, and (iii) that the non-banking financial and non-financial companies should furnish certain more particulars in their advertisements for deposits, such as (a) the amount of deposits which they can accept under the prescribed ceiling restrictions, (b) the amount of deposits actually received by them on a recent date, (c) the amount of overdue deposits excluding unclaimed deposits, and (d) a declaration that they have complied with the rules of the Department of Company Affairs or the directions of the Reserve Bank, as the case may be, and that the compliance with the rules or the directions does not imply that the repayment of the deposits is guaranteed by the Central Government or the Reserve Bank and that the deposits accepted by them are unsecured liabilities of the companies. While some of these recommendations have been implemented, others are in the process of being implemented.

एयर इण्डिया की कार्य प्रणाली में परिवर्तन

2330. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की कार्य प्रणाली में भारी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयर इंडिया के परिचालनों के ढांचे (पैटर्न) में कोई बड़े परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिसम्बर, 1977 तथा मई, 1978 में उनके विमान बेड़े में दो और बी–747 विमान, जिनके आदेश पहले ही दिये हुए हैं सम्मिलित हो जाने पर एयर इंडिया का यूरोप तथा गल्फ देशों के लिए कुछ और उड़ानें तथा भारत-जापान मार्ग पर भी सप्ताह में दो बी– 747 सेवाएं चालू करने का प्रस्ताव है :

कराधान तथा मूल्य सम्बन्धी स्थायी नीति

2331. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा "मूल्य स्थिरीकरण" की घोषणा का स्वागत करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मण्डलों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि ऐसी कराधान नीति बनाई जाये जो आगामी पांच वर्षों तक लागू रहे;

(ख) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य नियत करने की नीति घोषित करें; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) वाणिज्य मण्डलों में से एक मण्डल ने यह सुझाव दिया था कि कुछ खास-खास परिस्थितियों को छोड़ कर, जहां कम समय के नोटिस पर करों की दरों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए, कर संबंधी नीतियां कम से कम पांच वर्षों तक स्थिर बनी रहनी चाहिएं।

(ख) हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था कि राज्य के अधीनस्थ उद्योगों को चाहिए कि वे भी देश के बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा घोषित मूल्य स्थिरीकरण के अनुरूप मूल्यों को स्थिर करें।

(ग) जहां तक उक्त (क) में दिए गए सुझाव का संबंध है, चूंकि कर संबंधी नीति सरकार के आधारभूत लक्ष्यों और वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार बनाई जाती है, इसलिए करों में समय समय पर परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। जहां तक उक्त (ख) में दिए गए सुझाव का सम्बन्ध है, मामला विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों को गोआ प्रतिपूर्ति भत्ता

2332. **श्री एडुआर्डो फैलोरो** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में सरकारी कर्मचारियों को गोआ प्रतिपूर्ति भत्ता फिर से देना शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। गोआ, दमन और दीव के स्वतंत्र होने के बाद की कठिन और अव्यवस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गोआ प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी दी गयी थी। इस संघ राज्य क्षेत्र में पुन: सामान्य स्थिति होने के पश्चात् इस भत्ते को 1–4–1967 से चरणों में वापस ले लिया गया था ।

Corruption in Puwaya Branch of Bank of Baroda

2333. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state whether he is aware of the corruption prevalent in the Puwaya Branch of Bank of Baroda in Shahjahanpur in Uttar Pradesh about which several persons have made complaints to the officers and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : Bank of Baroda has reported that it has received certain complaints against the staff of its Puwaya Branch in Uttar Pradesh, regarding the delay in sanctioning of loans to small borrowers, their rude behaviour and their soliciting bribe for sanctioning such loans. The bank has been requested to look into these complaints and take such action as considered appropriate against the staff involved as per the established vigilance procedure in the bank.

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2334. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 1975–76 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार उन पर मुकदमा चलायेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को जुलाई 1975 में तीन महीने के लिए ब्रिटेन जाने की मंजूरी दी थी। किन्तु श्री स्वामी ब्रिटेन के अतिरिक्त दूसरे देशों को भी गये, और वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर भारत वापस नहीं लौटे थे। इसीलिए, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 32(9) के उपबन्धों के उल्लंघन के कारण उन्हें "कारण बताओ" नोटिस जारी किया था। मामले पर विभागीय तौर पर न्याय-निर्णय किया गया जिसमें श्री स्वामी पर 5000 रु० का दण्ड लगाया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 32(9), 32(2) और 40 के उल्लंघन के कारण अक्तूबर 1976 में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तीन इस्तगासा-शिकायतें भी दायर की थी।

मार्च 1977 में नई सरकार के बनने पर परिवर्तित परिस्थिति में, इन मामलों की समीक्षा की गई जिससे पाया गया कि हज़ारों व्यक्तियों की मनमाने ढंग से नजरबंदी से उत्पन्न राजनीतिक कारणों से श्री स्वामी को दूसरे देशों को जाना पड़ा था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले तो प्रासंगिक थे। इन परिस्थितियों में इस्तगासे की उपर्युक्त तीनों शिकायतों को सार्वजनिक हित में वापस लेने का फैसला किया गया और वे शिकायतें 28 मार्च, 1977 को वापस ले ली गई।

ऋण नीति

2335. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान ऋण नीति में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1977–78 के लिए संशोधित ऋण नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मई, 1977 को की थी । इस नीति में एक ओर जहां मुद्रा संबंधी प्रतिबंधों पर जोर दिया गया है वहां इसके साथ साथ दूसरी ओर दीर्घावधिक निवेशों को बढ़ावा देने तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है ऋण नीति में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त जमा रकमों की 10 प्रतिशत राशि को रोक रखने की नीति जारी रखी गयी है । नकद प्रारक्षित निधि के 6 प्रतिशत के औसत अनुपात को और (बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत) 33 प्रतिशत की भुगतान क्षमता की शर्त को बराबर बनाए रखा गया है ।

2. पुनर्वित और हुंडियों को फिर से भुनाने के लिए बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का सहारा लेने की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया गया है । उदाहरण के लिए, अनाज वसूली के लिए अग्रिमों के मामले में मूल स्तर, जो पुनर्वित्त का पात्र नहीं है, उसे 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करोड़ कर दिया गया है और बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से हुंडियां फिर से भुनाने की सुविधाएं विशिष्ट कोटे के बजाय रिजर्व बैंक के विवेक के आधार पर दी जाएंगी ।

3. खाता ऋणों और तालिकागत सामान पर दिये जाने वाले अग्रिमों के मार्जिनों में जनवरी 1977 में 10 प्रतिशत की जो वृद्धि कर दी गई थी, लेकिन बाद में जिसमें ढील दे दी गई थी, फिर से लागू कर दी गई है । तेलों और तेलहनों के संबंध में भी मार्जिन में 10 प्रतिशत की वृद्धि दी गयी है ।

4. आयात किए जाने वाले तेलों और तेलहनों या कपास के मामले में चयनात्मक ऋण नियंत्रण में ढील दे दी गई ताकि उनकी सप्लाई की स्थिति में सुधार हो सके ।

5. बैंकों के लागत ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में, चैकों से निकाली अथवा जमा कराई जाने वाली बचत की रकमों और 91 दिन से 5 वर्ष तक की अवधि की सावधिक जमा रकमों के ब्याज की दरें कम कर दी गई हैं ।

6. बैंकों को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर लगभग 14 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर अधिक से अधिक 12.5 प्रतिशत करने के लिए कहा गया है ।

Outstanding Amount of Foreign Debt

2336. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of Finance and Revenue and Banking be pleased to state :

(a) the amount of loans to be repaid by India at present, country-wise ; and

(b) whether India has also advanced loan to any country during the last two years and if so, at what rate ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Yes, Sir. The rates of interest vary from loan to loan ranging from nil to 5 per cent per annum.

STATEMENT

Statement showing the amount of loans (country/source-wise) to be repaid by India as on 31-3-1977 (including loans to Non-Government agencies and Suppliers' Credits),

(*Rs. crores at Pre-Dec.* 1971 *IMF*) *parity rates*)

Sl. No.	Country/Source	Amount
1.	Austria	17·60
2.	Belgium	49·12
3.	Canada;	340·77
4.	Denmark	15·58
5.	France ;	225·57
6.	Federal Republic of Germany	709·41
7.	Italy ;	82·34
8.	Japan	494·05
9.	Netherlands	134·96
10.	Norway	1·50
11.	Sweden	79·92
12.	United Kingdom	986·04
13.	U.S.A.	2594·65
14.	I.B.R.D.	343·97
15.	I.D.A.;	2305·48
16.	Switzerland	19·22
17.	Qatar ;	1·88
18.	Finland	0·20
19.	Spain	3·47
20.	Czechoslovakia	37·80
21.	Poland	12·30
22.	Yugoslavia;	44·02
23.	USSR	377·83
24.	Bulgaria	1·35
25.	German Democratic Republic	25·99
26.	Hungary;	7·39
27.	Rumania ;	28·55
28.	Iran;	510·92
29.	Iraq;	130·87
30.	U.A.E.	52·50
31.	Kuwait Fund for Arab Economic Development;	13·62
	TOTAL	9648·76

मूंगफली के तेल का उत्पादन वितरण और ढुलाई

2337. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूंगफली के तेल और अन्य खाद्य तेलों के उत्पादन, वितरण और ढुलाई के बारे में सरकार ने कोई निश्चित नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इसके क्रियान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में मूंगफली के तेल का उत्पादन होने के बावजूद वहां मूंगफली के तेल की कमी है, और प्रायः गम्भीर कमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में उपभोक्ताओं के लिए इस तेल की अत्यधिक कीमत हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का गुजरात सरकार के साथ संयुक्त रूप से और अथवा पृथक रूप से क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) सरकार खाद्य तिलहनों की उपज बढ़ाने के उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रही है

उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर खाद्य तेल उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने नीचे दिये गए उपाय किए है :—

(I) वनस्पति उद्योग तथा सीधी खपत दोनों के लिए अपेक्षित मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करना;

(II) वनस्पति उद्योग को तेल की मांग के 75 प्रतिशत तक आयातित तेलों का आबंटन करना।

(III) राज्यों को परिष्करण के बाद 8.50 रुपये प्रति किलो ग्राम के अन्तिम उपभोक्ता मूल्य पर वितरण करने के लिए आयातित रेपसीड तेल का आबंटन करना।

(IV) केन्द्रीय सरकार ने खाद्य तेलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे खाद्य तेलों को एक राज्य से दूसरे राज्य लाने ले जाने पर कोई औपचारिक या अनौपचारिक प्रतिबन्ध न लगायें।

(V) आगामी खरीफ तथा रबी के मौसमों में खाद्य तिलहनों को अधिकतम उपज लेने के लिए एक क्रश योजना का कार्यान्वियन।

(ग) तथा (घ) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उस राज्य में मूंगफली के तेल की सप्लाई को स्थिति नाजक नहीं है और वहां पर वर्तमान मूल्य लगभग अखिल भारतीय मूल्यों के बराबर ही हैं।

सरकारी एजेंसियों द्वारा मंगाई जाने वाली औषधियों का बम्बई की एक फर्म द्वारा आयात

2338. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा मंगाई जाने वाली औषधियों का बम्बई की एक फर्म द्वारा 1975 के अन्त में आयात नीति का उल्लंघन कर औषधियों का आयात किये जाने की घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) क्या इस सौदे में राज्य व्यापार निगम के कुछ उच्च अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं और इस फर्म के विरुद्ध तथा राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) मार्च 1974 में राज्य व्यापार निगम के नाम जारी किये गये आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में मैसर्स मूलराज जी. डूगरसी एण्ड कं० प्रा० लि०, बम्बई को दिये गये प्राधिकार-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा भागीकृत औषध के आयात की हाल ही में सरकार को सूचना मिली है। पूरे मामले की जांच चल रही है। फर्म के विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 और आयात निर्यात अधिनियम, 1947 के अधीन भी कार्यवाही शुरु की जा रही है।

Suggestions to Deal With Smugglers who Surrendered

2339. Shri Yagya Datt Sharma : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Shri Jayaprakash Narayan, had made some suggestions for dealing with smugglers who had surrendered ; and

(b) if so, the nature of action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (b) : No Sir ; Government have not received any suggestions from Shri Jayaprakash Narayan for dealing with smugglers. Presumably, the Question refers to the pledge taken by over 100 smugglers before Shri Jayaprakash Narayan at Bombay on the 30th April, 1977 that they would not indulge in smuggling, dissuade and prevent others from continuing such activities and help the Government. As such, no action in the matter on the part of the Government is called for.

रेशम के कीड़े पालने के लिये दिल्ली म शहतूत के वृक्षों का उपयोग

2340. **श्री समर मुखर्जी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेशम के कीड़े पालने के लिये दिल्ली तथा इसके पास उपलब्ध शहतूत के पेड़ों का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) क्या ऐसी योजना के फलस्वरूप बहुत से बेरोजगार लोगों को आंशिक रूप से रोजगार मिल जायेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने दिल्ली के केन्द्र शसित क्षेत्र में शहतूत के पेड़ों का रेशम के कीड़े पालने के लिये उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया था। जलवायु की परिस्थितियों, संभावित उपज तथा किसानों के संभावित पारिश्रमिक पर विचार करके बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योजना अर्थ-क्षम नहीं होगी।

डुकास्वरी काटन मिल का बन्द होना

2341. **श्री रोबिन सेन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डुकास्वरी काटन मिल लिमिटेड (संख्या 3) 1963 से बन्द पड़ी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त मिल का अपने नियन्त्रण में लेने और उसे पुनः खोलने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम पहले ही 105 सूती वस्त्र मिलों के प्रबन्ध की भारी जिम्मेदारी उठा रहा है, अतः केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा प्रबन्ध किये जाने के लिये और अधिक रुग्ण अथवा बन्द मिलों का अधिग्रहण करने के पक्ष में नहीं है। तथापि, यदि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय तथा कानूनी रूप से व्यवहार्य कोई प्रस्थापना की जायेगी, तो केन्द्रीय सरकार उसमें यथासम्भव सहायता करेगी।

Construction Compensatory Allowance to Postal Empoloyees of Maithon Dam

2342. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Central employees of Audit and Accounts of Maithon Dam (Dhanbad) are receiving C.C.A. (Construction Compensatory Allowance) ; and

(b) if so, the reasons for not granting this allowance to postal employees ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (b) The Resident Audit Staff of the Indian Audit and Accounts Department posted at Maithon Dam are getting a Compensatory Allowance (not a Construction Compensatory Allowance). The continuance of this allowance is under review. The question of extension of the allowance to the postal employees will arise only after the result of the review is known.

कांग्रेसी नेताओं और संसद् सदस्यों द्वारा विदेशों की यात्रा

2343. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांग्रेस के कितने संसद् सदस्यों और नेताओं ने 25 जून, 1975 और 20 मार्च, 1977 के बीच सरकारी खर्च पर विदेशों की यात्रा की;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) ऐसी यात्राओं का क्या प्रयोजन था अथवा क्या प्रयोजन थे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सरकारी शिष्टमण्डलों में संसद् सदस्य कार्य विभाग के अनुमोदन से शामिल किए जाते हैं। ऐसे कांग्रेसी संसद् सदस्यों की सूची इस प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न अनुबन्ध 1 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-584/77] में दी गई है, जिन्हें 25 जून, 1975 से 20 मार्च 1977 तक की अवधि के दौरान उस विभाग के अनुमोदन से विदेशों में भेजा गया था अथवा जिन्होंने विदेश-यात्रा की थी।

जहां तक कांग्रेसी नेताओं का संबंध है, शब्द "नेता" की परिभाषा अत्यन्त अस्पष्ट होने के अलावा, किसी राजनीतिक संगठन के सदस्यों की विदेश-यात्राओं का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, कोई ठीक सूचना नहीं दी जा सकती।

(ग) कांग्रेसी संसद सदस्यों के संबंध में सूचना अनुबंध 1 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-584/77] में दी गई है। उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, कांग्रेसी नेताओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जा सकती।

तस्करों तथा कर अपवंचकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिये नोटिस दिया जाना

2344. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान तस्करों और कर-अपवंचकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिये कितने नोटिस दिये गए; और

(ख) भागे हुए तस्करों की संख्या कितनी है; और उन्हें दण्ड देने के लिए की जा रही कार्यवाही की वर्तमान अवस्था क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम में, कर-अपवंचकों की सम्पत्तियों को जब्त करने का कोई उपबन्ध नहीं है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 में उन तस्करों की परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण करने की व्यवस्था शामिल है, जो फरार हो गये हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार फरार लोगों की कुल संख्या 252 है। इन में से 208 फरार-व्यक्तियों की सम्पत्तियों का अभिग्रहण करने की कार्यवाही विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन शुरू कर दी गई है। 208 मामलों में से 40 मामलों में सम्पत्तियों का अभिग्रहण करने के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है। तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 में, तस्करों और उनके सम्बन्धियों तथा उनके सहयोगियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित सम्पत्तियों का समपहरण करने की व्यवस्था है। 31-5-1977 को समाप्त छः महीनों की अवधि में, 361 मामलों में, तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छल-साधकों और उनके सम्बन्धियों एवं सहयोगियों की गैर-कानूनी ढंग से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण की कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन शुरू की गई है। इन में से27 मामले ऐसे तस्करों से सम्बन्धित हैं जो फरार हो गये हैं। इन 27 में से 12 मामलों में सम्पत्ति का समपहरण किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। बाकी मामलों में कार्यवाही की जा रही है।

अत्यावश्यक वस्तुओं की सुधरी सप्लाई के उपबन्ध में धारिया समिति की सिफारिशें

2345. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं की सुधरी हुई सप्लाई सम्बन्धी धारिया समिति की सिफारिशें क्रियान्वित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं और उनके शीघ्र क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख) आवश्यक वस्तु तथा आम खपत की वस्तुओं से सम्बन्धित समिति ने आवश्यक वस्तुओं के रूप में इनका चयन किया था—अनाज, दाल, आम पहना जाने वाले कपड़ा, चीनी, गुड़ व खंडसारी खान के तेल व वनस्पति घी, दूध, अण्डे व मछली, स्टैन्डर्ड जूते, मिट्टी का तेल व घरेलू ईंधन, आम प्रयोग में आने वाले भेषज तथा दवाइयां, साइकिल साइकिल टायर व ट्यूबें, दियासलाइयां, ड्राई सैल व हरीकेन लालटेन, साबुन व अपमार्जक तथा पाठ्य पुस्तकें व लेखन सामग्री। समिति ने इस बात पर बल दिया कि उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं तथा पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए देश भर में क्रमबद्ध रूप में एक सुनियोजित वृहद् उत्पादन, प्राप्ति तथा वितरण कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अद्यतन किया जा रहा है। उसके बाद इस मामले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा तत्पश्चात् मुख्य मंत्रियों और दूसरे सम्बन्धित व्यक्तियों की बुलाई जाने वाली बैठक में विचार किया जायेगा। अगला निर्णय आम सहमति के आधार पर किया जायेगा।

Demands for increase in Prices of Opium

2346. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the cost of production of opium has gone up due to increase in fertilizer prices, irregation rates, wages and increase in prices of other agricultural implements ;

(b) whether the cultivators have made a demand for increase in opium prices because of these factors ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) According to the reports received by the Government there has been some increase in the cost of production of opium on account of increase in the wages paid to the farm labour. These reports also show that the cost of other agricultural inputs like fertilizer, agricultural implements and irrigation rates have remained more or less steady.

(b) Yes, Sir Some representations have been rceived for fixation of higher prices for fixation of higher prices of opium for the crop year 1977-78.

(c) The question regarding increase in opium prices payable to cultivators for the year 1977-78 would be considered after taking account of all the relevant factors like the increase in the cost of production of opium and income from other comparable crops in the areas.

विदेशी सहायता का उपयोग

2348. **श्री अरविन्द वाला पजनौर :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारी विदेशी सहायता वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होती है;

(ख) विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पर नियंत्रण करने और उसके शीघ्र तथा प्रभावी उपयोग की वर्तमान पद्धति की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सहायता की प्राप्ति में और उसके उपयोग में असाधारण विलम्ब का पता लगा है;

(घ) इस पद्धति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस मामले में प्रशासनिक मंत्रालयों की ठीक-ठीक भूमिका क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) केन्द्रीय बजट में सम्मिलित सारी विदेशी सहायता वित्त मंत्रालय के माध्यम से दी जाती है।

(ख), (ग) और (घ). प्रत्येक वर्ष के बजट अनुमानों में उस वर्ष प्राप्त होने वाली अनुमानित सहायता के आंकड़े दिए जाते हैं। सहायता के उपयोग पर आर्थिक कार्य विभाग की आर्थिक सहायता लेखा शाखा द्वारा नियंत्रण रखा जाता है जो सहायता के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा तैयार करती है। सहायता के उपयोग की गति पर, प्रशासनिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित परियोजना कार्यान्वयन अधिकारियों के परामर्श से, आर्थिक कार्य विभाग के संबंधित ऋण प्रभाग द्वारा नजर रखी जाती है। आमतौर पर जो विदेशी सहायता किसी विशेष परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है उसका संवितरण जल्दी हो जाता है, जबकि जो सहायता किसी खास परियोजना से सम्बद्ध होती है उस का उपयोग संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है और उसका संवितरण अपेक्षाकृत धीरे होता है। जहां परियोजना के कार्यान्वयन की वास्तविक गति प्रत्याशित गति से धीमी होती है वहां अनुमानित संवितरण के मुकाबले कम रकम का संवितरण होता है, लेकिन ऐसे मामलों में कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के सहयोग से सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। मोटे तौर पर, नियंत्रण और समीक्षा की प्रणाली के अनुसार संतोषजनक रूप से काम हो रहा है।

प्रशासनिक मंत्रालय विदेशी सहायता के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने के काम में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जब कोई विदेशी एजेंसी विदेशी सहायता का वचन दे देती है, तो यह सुनिश्चित करना प्रशासनिक मंत्रालय का काम है कि विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहे।

पूंजी बाजार को पुनः सक्रिय बनाना

2349. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूंजी-निवेश करने में शिथिलता का वातावरण व्याप्त है और उद्यमियों को नई कम्पनियों की जोखिम पूंजी के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने में कठिनाइयां आ रही हैं ;

(ख) सरकार के अनुसार इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूंजी बाजार को पुन : सक्रिय बनाने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : सरकार को पूंजी बाजार में व्याप्त शिथिलता की जानकारी है, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 1970 से नए निर्गमों द्वारा जुटाई गई पूंजी किसी भी वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं बढ़ी। इक्विटी पूंजी में निवेश करने में कम रुचि होने का एक कारण यह है कि शेयरों में पूंजी लगाने पर अन्य प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों में पूंजी लगाने की तुलना में बहुत कम फायदा होता है ।

(ग) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शेयरों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहन देने और सामान्य शेयर पूंजी को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल में कई उपाय किये गए हैं जिनमें ये शामिल हैं। निवेश संबंधी छूट के क्षेत्र को व्यापक बनाना ताकि इसके अन्तर्गत लगभग सभी उद्योग आ सकें, पूंजी लाभ पर लगने वाले कर के उपबंधों को उदार बनाना और जहां लाभांश की रकम 250 रुपए से अधिक न हो, वहां कर की रकम स्रोत पर ही काट लेने की शर्त की समाप्त करना। पांच वर्ष तक के लिए सावधिक जमा रकमों के ब्याज की दर कम करने का भी आशय यही था कि जोखिम पूंजी के प्रति आकर्षण बढ़े ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वर्ण ऋण दिया जाना

2350. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक स्वर्ण-ऋण देने के अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपरोक्त ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सोने और चांदी के जेवरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(ख) ऋण प्रतिबंध की आम नीति के अनुसार और इस प्रकार के ऋण का कारोबार करने के लिए उचित व्यवस्था की कमी के कारण सोने और चांदी के जेवरों पर ऋण मंजूर करने में राष्ट्रीयकृत बैंक पहिले उदार नहीं थे। फिर भी, गांवों से महाजनों के समापन

के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) वाणिज्यिक बैंकों को दिसम्बर 1976 में सलाह दी थी कि वे अपनी शाखाओं को उचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करें ताकि जरूरतमंदों को ऋण आसानी से मिल सके।

कपड़े का वितरण

2351. **श्री आर० कोलनथाईवलु :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित मिलों द्वारा निर्मित कपड़े के वितरण की क्या पद्धति है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की अन्य मिलों द्वारा निर्मित कपड़े की तुलना में कपड़े की समान किस्मों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसा कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को यह कपड़ा आसानी से उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों द्वारा तैयार किया जाने वाला कपड़ा थोक व्यापारियों और देहाती एजेंटों के सुस्थापित माध्यमों द्वारा बेचा जाता है। यह कपड़ा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कुछ विभागों को भी सप्लाई किया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियंत्रक कंपनी) के विपणन प्रभाग ने अपने सीधे प्रबंध में अनेक खुदरा दुकानें स्थापित की हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के उत्पादन का कुछ अंश निर्यात भी किया जाता है।

(ख) विभिन्न किस्मों को देखते हुए, ऐसी तुलना संभव नहीं है।

(ग) तथा (घ). राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने देहाती क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक विशेष योजना आरम्भ की है। अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में अधिकृत स्टाकिस्ट नियुक्त करने के अलावा, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने उड़ीसा में जनजाति विकास निगम, बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि०, पटना तथा पंजाब, तमिलनाडु आदि के नागरिक पूर्ति निगमों के साथ अपनी खुदरा दुकानों को सम्बद्ध कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को उचित दरों पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये ऐसे माध्यमों में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

Export of Bhagalpuri Silk

2352. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Corporation** be pleased to state :

(a) the value of Bhagalpuri silk exported every year and whether there has been a fall in it ;

(b) whether Government are aware that there has been no development of Bhagalpur hand Spun Silk Mill during the past years and if so, the reasons therefore and the steps proposed to be taken by Government for its development ;

(c) whether many private institutions are engaged there in export and import of silk, and among them companies like J.S. Exporters and Hindustan Silk Mill, are retrenching workers in an illegal manner; and

(d) whether for the development of Silk Industry, Government are considering the question of opening a University in Bhagalpur connected with silk development and if so, by what time this is likely to be set up ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Separate figures of exports of Bhagalpuri silk are not maintained. However, exports of tasar silk texiles which are largely manufactured in Bhagalpur, rose from Rs. 1.97 crores in 1974-75 to Rs. 2.39 crores in 1975-76 and to Rs. 3.36 crores in 1976-77.

(b) There is no hand spun silk mill at Bhagalpur but there is a spun mill established and managed by Bihar State Industrial Development Corporation, a Government of Bihar undertaking. It is stated that the production of the mill has gone up during the year 1976-77 compared to the production in 1975-76.

(c) There are private parties engaged in export of silk. The management of J.J. Exporters has retrenched fiftythree workers. On the point of retrenchment there was a mutual agreement between the management and the union as a result of which the union has accepted the retrenchment. There is no information regarding retrenchment of the employees by M/s. Hindustan Silk Mill.

(d) There is no proposal under consideration at present for opening any University at Bhagalpur for silk development. However, the question of opening of degree course in silk technology at Government Silk Institute, Nath Nagar, Bhagalpur under Bhagalpur University is under consideration of Bihar Government.

Trade Transacted by MITCO

2353. Shri R.L.P. Verma : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the value of trade transacted so far by Mica Trading Corporation of India Ltd. since it started functioning from 1st June, 1974;

(b) the names of mica dealers from whom MITCO purchased mica and whether MITCO has rendered idle all the mica dealers in the weaker category and neglected them by giving priority to big exporters ; and

(c) whether the policies for which MITCO was constituted have been neglected thereby and if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The value of trade transacted by MITCO from 1st June, 1975 to 31st May, 1977 is as under :

(Rs. Crores)

Purchase	Sales
10.33	13.29

(b) MITCO has been purchasing mica from several hundred dealers. Its purchases are made from the weaker section of the trade only, unless certain items required by it to meet its sale commitments are not forthcoming from the weaker section. 63 per cent to 79 per cent of its purchases have been from the weaker section.

The list of dealers from whom purchases have been made is being compiled and will be placed on the table of the House as soon as it is ready.

(c) No, Sir.

MITCO has taken steps to help weaker section by placing orders directly with them, securing higher unit value realisation, securing timely payments for small suppliers and diversification of exports of mica.

Expenditure on Salaries of Chairmen of Public Enterprises of Central Government in Delhi

2354. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the amount disbursed per month by way of salaries of Chairmen of public enterprises of Central Government stationed at Delhi ;

(b) whether Government propose to appoint non-officials as honorary Chairmen of various undertakings to save this money ; and

(c) whether a statement showing the names and monthly salaries of Chairman and Directors of all Government Undertakings will be laid on the Table ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) Information in regard to the prescribed salary scales of Chief Executives of Central Government enterprises located in Delhi is given in annexure I. [Placed in Library. Please see No. L.T.-585/77].

(b) Presumably the Honourable Member is referring to the appointment of part-time Chairmen. Even where a part-time Chairman is appointed, there is a full-time Managing Director, who is the Chief Executive. Appointment of part-time Chairman is therefore, not done for the purpose of effecting economy but in order to meet certain special requirements of the enterprises.

(c) The required information is given in annexure II. [Placed in Library. Please see No. L.T.-585/77).

बरशी, महाराष्ट्र में राजेश कपड़ा मिल का बन्द होना

2355. **श्रीमती मृणाल गोरे :** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरशी, महाराष्ट्र में राजेश कपड़ा मिल बन्द पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस मिल को अपने नियंत्रण में लेने और कर्मचारियों की मंजूरी की बकाया राशि का भुगतान करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : बारसी स्थित राजेन टैक्सटाइल मिल (राजेश टेक्सटाइल मिल्स नहीं) वित्तीय कठिनाइयों के कारण जनवरी, 1977 में बन्द हुई । मिल को अपने हाथ में लेने की कोई भी प्रस्थापना केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही ऐसी कोई प्रस्थापना अब तक राज्य सरकार ने की है ।

कृषि भूमि को सम्पत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत लाना

2356. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि को स्पष्ट रूप से सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 की क्रियान्विति से बाहर निकाल दिया गया था, यदि हां, तो बाद में इसे इस अधिनियम के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में शामिल किया गया ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 का पुनरीक्षण करने का है, यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां, धन कर अधिनियम, 1957 में वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधन किये जाने से पूर्व किसी व्यक्ति के शुद्ध धन की संगणना करते समय उसके स्वामित्व की कृषि-भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता था। तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने अपने 1969–70 के बजट-भाषण में, संगत उपबंधों को सशोधित करने के कारणों का, निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया था :—

> "कृषि-धन अब तक धन कर से मुक्त रहा है। इससे अपेक्षाकृत अधिक धनी व्यवसाहियों तथा व्यापारी वर्ग द्वारा इस प्रकार की भूमि की खरीद की जाने को प्रोत्साहन मिला है। यद्यपि इससे अधिक कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्राय : सहायता मिली है, तथापि न्यायसंगति का कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें अन्य उत्पादक धन पर तो कर लगाया जाय लेकिन कृषि-भूमि के रूप में धन को कर से मुक्त रखा जाय।

(ख) : जी, नहीं। सरकार उपर्युक्त उपबंध की समीक्षा करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिये कार्यवाही

2357. **श्री पी० के० देव :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सी० एन० वकील ने प्रधान मंत्री को एक नोट भेजा है जिसमें केन्द्रीय सरकार को "मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ने" की घोषणा करने और "आपातकालीन अनुशासन" लागू करने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नोट की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां, प्रधान मंत्री को प्रोफेसर सी० एन० वकील से 'मुद्रास्फीति के निराकरण और गारंटीशुदा मूल्य-स्थिरता की नीति के संबंध में ज्ञापन' 'मेमोरेंडम आन ए पालिसी फार इन्फलेशन रिवर्सल एंड गारंटीड प्राइस स्टैबिलिटी" प्राप्त हुआ है।

(ख) ज्ञापन का सारांश संलग्न है। यद्यपि सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के उपाय किए हैं और करती रहेगी, लेकिन सरकार प्रोफेसर वकील के सुझावों से सहमत नहीं है।

"विवरण"

1. सरकार को आने वाले दो वित्त वर्षों में मार्च, 1977 के अंत में उपलब्ध 182 के चालू अंक के मूल्य स्तर में लगभग 10 प्रतिशत अथवा लगभग 18 अंक तक की कमी करने के लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए।

2. चालू वर्ष 1977-78 में उत्पादन की लगभग 3 प्रतिशत की सभांवित वृद्धि की दर को देखते हुए मुद्रा के स्टाक में लगभग 5 प्रतिशत की कमी कर दी जानी चाहिए, ऐसा करने से इस वर्ष मूल्यों में लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक की कमी की जा सकेगी, यह कमी इन उपायों से की जा उकती है : (क) सरकारी क्षेत्र को दिए जाने वाले निबल बैंक ऋणों में 750 करोड़ रुपए की कमी करना, (ख) औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों को वित्त वर्ष 1977-78 में लगभग 1000 करोड़ रुपए तक सीमित करना, (ग) मुद्रीकृत नए विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि को वर्ष 1977-78 में लगभग 500 करोड़ रुपए तक सीमित रखना, (घ) सावधिक जमा रकमों में लगभग 1500 करोड़ रुपए से 1750 करोड़ रुपए तक की वृद्धि करना और (ङ) रोक कर रखी गई निवल जमा रकमों में लगभग 250 करोड़ रुपए की वृद्धि करना। वर्ष 1978-79 के लिए मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि की दर 1977-78 के अंत में प्रत्याशित वास्तबिक उत्पादन की वृद्धि की दर से 2 से 3 प्रतिशत तक कम रखने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

3. बजट में अधिशेष के जरिए मुद्रा पूर्ति में कमी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के राजकोषीय कार्यों का पर्याप्त योगदान होना चाहिए। हमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के संयुक्त कार्यों से बजट में लगभग 500 करोड़ रुपए का अथवा कुल शेष राशि के परम्परागत रूप में परिलक्षित 750 करोड़ रुपए के प्रत्याशित अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

4. वर्ष 1977-78 के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी भुगतानों में, जो शायद लगभग 22,000 करोड़ रुपए के होते हैं, 5 प्रतिशत की सीधी कटौती करने से 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अनावश्यक मदों में दस प्रतिशत की कटौती करने से लगभग 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत होगी। इसमें भारी उद्योगों के लिए निर्धारित बड़े बड़े परिव्यय में कटौती करना अथवा पुनर्विचार किए जाने तक उन्हें स्थगित करना शामिल है।

5. आर्थिक सहायता जो इस समय लगभग 1000 करोड़ रुपए की बैठती है, इसमें कटौती करना और निर्यात के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 50 प्रतिशत की कटौती करना।

6. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को लगभग 500 करोड़ रुपए के नए कर लगाने चाहिएं, आयकर में छूट देने की न्यूनतम सीमा में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए और ऊंची आमदनी पर भी कर की दरों में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए।

7. भविष्य में सभी रियायतें इसी शर्त पर दी जाएं कि बचत स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकमों को बचतों की खास-खास स्कीमों में फिर से लगा दिया जाएगा।

8. सरकारों द्वारा लिए जाने वाले बाजार ऋणों की निवल राशि में 250 करोड़ रुपए की कमी की जानी चाहिए।

9. 3,000 रुपए और 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की वार्षिक परिलब्धियों वाले लोगों के लिए अनिवार्य जमा की दरें कुछ घटाकर अनिवार्य जमा योजना जारी रहनी

चाहिए, और इस योजना के अन्तर्गत वापस की जाने वाली और रकमों को अस्थायी रूप से रोक लिया जाना चाहिए, आयकर दाताओं के लिए अनिवार्य जमा योजना जारी रहनी चाहिए और वापस की जाने वाली रकमें अस्थायी रूप से रोक लेनी चाहिए, वर्ष 1977–78 के दौरान अदा किए जाने वाले लाभांशों की 25 प्रतिशत रकम की अनिवार्य जमा रकमों के रूप में निधि बना दी जानी चाहिए।

10. वित्त वर्ष 1977–78 में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों के विस्तार की अधिकतम सीमा लगभग 6 प्रतिशत निर्धारित कर दी जानी चाहिए, इस प्रकार 1977–78 के दौरान इस क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त रकम उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

11. खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त स्टाक की खरीद का वित्त पोषण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर अधिभार लगाकर और राज्य सरकारों के बिक्री कर पर लेवी लगा कर किया जाना चाहिए।

12. आठ सूत्री व्याज नीति, जिसमें ये बातें हैं (1) उधार की दरों, लाभांश की दरों और कम्पनियों की जमा रकमों के व्याज की दरों की अधिकतम सीमा को हटाना, (2) बैंक-दर में 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि, (3) जमा करमों की दरों, (4) अल्प बचतों की दरों और (5) पुर्नवित्त की मूल दरों में $1\frac{1}{2}$ से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि, (6) सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली प्राप्तियों को 9 से 10 प्रतिशत के बीच के स्तर तक यह पहूंचाने के लिए 3 से 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि, (7) राजकोष हुंडियों की दर को बढ़ा कर पिछले 3 महीनों की मांग देय मुद्रा की औसत के बराबर लाना और (8) व्याज सम्बन्धी सभी प्रकार की आर्थिक सहायता बन्द करना, शुल्कों आदि की वापसी के लिए एक अलग राष्ट्रीय-व्याज-आर्थिक सहायता आयोग द्वारा विचार किया जाना।

13. ऋण प्रबन्ध के सम्बन्ध में निम्नलिखित छह मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जो ये हैं :— (i) मध्यावधिक, आवर्ती और दीर्घावधिक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले निवेश में मुद्रा स्रोतों और सावधिक जमा रकमों के अनुपात में कमी करना, (ii) औद्योगिक वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा लिए जाने वाले अल्पावधिक उधार तालिकागत सामान के परिवर्द्धित मूल्य के अनुपात में 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, (iii) आवर्त्ती ऋणों पर दडात्मक दरें लगा कर उन्हें निरुत्साहित किया जाए, (iv) अधिक काम काज के मौसम में सरकारी उधार न दिए जाएं, (v) लम्बी अवधि के ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए मनाही कर दी जाए, (vi) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को 'मांग बाजार' (कालमार्केट) से उधार लेने की मनाही कर दी जाए और वाणिज्यिक बैंक राजकोष हुंडियों में धन न लगाएं।

14. हर फर्म को दिए जाने वाले ऋणों की जांच का काम जो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, अब बंद कर दिया जाना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक का काम केवल ऋणों के संबध में व्यापक नीति निर्धारित करने तक सीमित रहना चाहिए।

15. बचतों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं : (i) निर्धारित रूपों में घर-परिवारों की बचतों के लिए अतिरिक्त कर-राहत, (ii) व्यापार उपक्रमों के धारित लाभों पर कर राहत, (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में सोने के मुलम्मे वाले बांड मेडलों के द्वारा दस वर्षीय कर मुक्त, मूलधन और ब्याज-सूचकांक सम्बद्ध ऋण जारी किए जाएं। इन पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज मिले। इनसे हर साल 300–500 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं, (iv) भविष्य निधि की वृद्धियों, विशेष प्रकार की जमा रकमों की वृद्धियों के बांड मेडलों के रूप में की जाने वाली बचतों और संविदागत बचतों पर करों से पूरी छूट, (v) सभी श्रेणियों के कामगारों के बोनस का 50 प्रतिशत संबद्ध कंपनियों, अथवा उद्यमों में उन का विशेष जमा राशि में अंशदान के रूप में जमा रहे। ये जमा रकमें बीमाशुदा होनी चाहिएं और मूलधन तथा ब्याज दोनों ही कर से मुक्त होने चहिएं, (vi) 3000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की परिलब्धियों का 50 प्रतिशत उस उद्यम के लिए जमा राशि, (बीमाशुदा) के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें वे बचत की रकम रख रहे हों।

16. विदेशी मुद्रा को रुपयों में बदलने वाले सचिव एक्सचेंज डीलरों को 'चाहिए कि वे विदेशों से जाने वाली रकमों का 50 प्रतिशत भाग अवरुद्ध जमा रकमों के रूप में रखें, जिस पर विशेष दर से ब्याज दिया जाए, मूल धन और ब्याज दोनों सूचकांक से संबद्ध हो और कर मुक्त हो, विदेशी मुद्रा को जो भाग अवरुद्ध जमा रकमों के रूप में रखा गया हो, उसके रूपान्तरण की दरें ऊंची हों।

17. व्यापार नीति के संबंध में चार मार्गदर्शी सिद्धांत :— निर्यात कोटे को जारी रखा जाए जो लचीला हो, आयात कोटा जारी रखा जाए, यह भी लचीला हो, सोने के आयात की छूट दे दी जाए, रुपए को अपना मूल्य निर्धारित करने के लिए खुला न छोड़ा जाए, रुपए की विनिमय दर के निर्धारण की वर्तमान प्रणाली चलती रहे, किन्तु सरकारी विनिमय दरें निर्धारित करने का कुछ विशेकाधिकार सरकार के पास हो।

18. खाद्य वस्तुओं और अन्य अत्यावश्यक सामान के निर्यात पर पाबंदी।

19. प्रारक्षित निधि में से 500 से 600 करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा तेल और अनाज की वायदा-खरीद के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ प्रकार के उधार लेने के प्रयोजन से सहारे के रूप में और कुछ अच्छे चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय शेयरों में निवेश के लिए खर्च की जाएं। शेयरों में इस प्रकार लगाई गई पूंजी की देख रेख के लिए वित्तीय संस्थानों के संघ के माध्यम से एक अन्तर्राष्ट्रीय निवेश निगम की स्थापना करना, प्रारक्षित निधि की शेष राशि सामान्य प्रयोजनों के लिए रखी जाए।

20. अनाज के मौजूदा भंडार में से 40–60 लाख टन अनाज काम के बदले अनाज देने की स्कीम के द्वारा रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, चूंकि इस स्कीम के लिए अतिरिक्त बचतों के रूप में 1,200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, अतः इसे फिर से तैयार की जाने वाली नई आयोजना के साथ जोड़ दिया जाए।

21. अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बद्ध में नई आदर्श योजना की तैयारी का काम 1978–79 से शुरू कर दिया जाए जिसमें योजना की प्राथमिकताओं के ढांचे में

भारी परिवर्तन किए जाएं। भविष्य में निवेश का 45 प्रतिशत भाग कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए आबंटित किया जाए ताकि कृषि उत्पादन में 5 से 6 प्रतिशत तक की वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता

2358. **श्री जी० एम० बनतवाला:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से केरल सरकार ने राज्य में रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) जी नहीं। किन्तु केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स बलरामपुरम को, जो राज्य सरकार के प्रबंध में है, पुनः चालू करने और उसकी पुनः स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर विचार करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सिफारिश की गई है।

Purchase of Lac from Bhandara District by STC

2359. Shri **Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether lac growers could not get the price of lac at the rate of Rs. 300 per quintal as the State Trading Corporation did not start purchasing lac from Bhandara district;

(b) the reasons for not purchasing lac there; and

(c) whether his Ministry and State Trading Corporation have chalked out any programme for lac production for earning foreign exchange?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) The shellac procurement operations were confined primarily to West Bengal and Bihar only. We did not receive any request from Government of Maharashtra for the need to include Bhandara district in such operations.

(c) The present production of lac is much more than can be exported or sold within the country. State Trading Corporation, therefore, has no programme for lac production.

रुग्ण तथा बन्द चाय बागान

2360. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रुग्ण तथा बंद चाय बागानों के नाम क्या हैं जिनका प्रबंध सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है;

(ख) मार्च, 1977 तक उन पर कुल कितना व्यय किया गया और यदि प्रत्येक चाय बागान से कोई लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक चाय बागान में, सरकार द्वारा उन्हें अपने नियंत्रण में लेने से पूर्व श्रमिकों की कुल संख्या क्या थी, और इस के बाद यह संख्या क्या रही; और

(घ) 31 मार्च, 1977 को चाय बागान-वार कर्मचारियों को कितना ग्रेचुटी तथा भविष्य निधि देय था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) अब तक अधिगृहीत चाय बागानों के नाम निम्नोक्त प्रकार हैं :--

(1) पशोक टी एस्टेट, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल ।

(2) लक्सन टी एस्टेट, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल ।

(3) वा-टक वार टी एस्टेट, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल ।

(4) कुमाई टी एस्टेट, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल ।

पहले तीन बागानों को 12-10-1976 को अधिग्रहीत किया गया था । कुमाई टी एस्टेट को 18-6-77 को हाथ में लिया गया था तथा इस लिए इस विशेष एस्टेट के संबंध में भाग (ख) तथा (घ) से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं दी जा रही है ।

(ख) (रुपए में)

	लुक्सन	पशोक	बा-टुक-वार
व्यय . . .	14,85,736	10,59,069	7,91,637
घटाइए बिक्री से प्राप्त आय .	9,94,004	3,39,617	1,86,611
राजस्व में कमी .	4,91,732	7,19,452	6,05,026

पहले इन बागानों का उचित रूप से प्रबंध नहीं किया जा रहा था । पहले के प्रबंधकों द्वारा बागानों तथा फैक्ट्री दोनों की ही उपेक्षा की गई थी । अतः काट-छांट, नाली-व्यवस्था, जंगल की घासपात उखाड़ने, भारी ओवरहाल तथा मशीनों की मरम्मत पर खर्च करना पड़ा । इसके परिणामस्वरूप राजस्व से खर्च अधिक हो गया ।

आंकड़े अनन्तिम हैं तथा लेखा-परीक्षण के बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ग)

	लुक्सन	पशोक	वा-टुक-वार	कुमाई (18-6-77)
अधिग्रहण की तारीख को श्रमिकों की संख्या	960	1114	903	919
31-3-1977 को . .	960	1114	903	919
				(अधिग्रहण के बाद)

(घ)

	लुक्सन	पशोक	वा-टुक-वार
भविष्य निधि	8,54,000	8,27,000	3,45,000
ग्रेचुटी . . .	6,00,000	1,50,000	27,500

ये अधिग्रहण से पहले की अवधि से सम्बन्धित हैं तथा अनन्तिम हैं क्योंकि दावों का सत्यापन चल रहा है। अधिग्रहण से उत्पन्न भविष्य निधि की देय राशियों का नियमित रूप से भुगतान किया गया है।

आसाम को केन्द्रीय सहायता

2361. **श्री पूर्ण सिन्हा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम सरकार ने दिसपुर में आसाम की अस्थायी राजधानी के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार के योगदान/सहायता के रूप में 31 मार्च, 1977 तक कुल कितनी राशि ली है ;

(ख) क्या राज्य के मुख्य मंत्री को 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष की शेष अवधि के दौरान आसाम में विशेषकर विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए और दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकार ने उपरोक्त (ख) में उल्लिखित 5 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान से कितनी राशि खर्च की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिसपुर में अस्थायी राजस्थानी के निर्माण के लिए आसाम राज्य सरकार द्वारा निकाले गए धन से संबंधित लेख और विशेष अनुदान का विशे लेखा परीक्षण कराने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) असम सरकार को दिसपुर में राजधानी का निर्माण करने के लिए अभी तक 3.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

(ख) 1976–77 में असम को उनकी पर्वतीय क्षेत्र आयोजना के लिए 11.30 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस परिव्यय के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार केवल 5 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता की हकदार थी। विभन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता वर्ष के दौरान व्यय में की गई प्रगति के आधार पर दी जाती है। तदनुसार, असम की राज्य सरकार को वित्त पोषण की योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार 5 करोड़ रु० दिए गए थे।

(ग) असम के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1976–77 की वार्षिक आयोजना में झूम कृषि को रोकने और कृषि सिंचाई बिजली मध्यम दर्जे के उद्योगों, ग्रामीण और लघु उद्योगों, सड़कों और सामाजिक सेवाओं के विकास के लिए अन्य कार्यक्रमों की मिली जुली परियोजना शामिल थी। वर्ष के अन्त में असम सरकार ने बताया था कि 31–3–77 तक 11.30 करोड़ रुपए के प्रत्याशित व्यय होने की सम्भावना थी जिससे वह अपनी पर्वतीय क्षेत्र आयोजना के लिए 5 करोड़ रुपए की केन्द्रीय

सरकार की सहायता पाने की हकदार हो गई । वास्तविक व्यय के आंकड़े केवल कुछ समय के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

(घ) विशेष लेखा परीक्षा करने का कोई प्रस्ताव के विचाराधीन नहीं है ।

"फोर्ड एक्सट्रा" 3 सिलेण्डर वाले इंजनों का आयात

2362. **श्री सतीश अग्रवाल:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति रोड रोलर्स में फिट किया गया "फोर्ड एक्सट्रा" 3 सिलेण्डर वाले इंजनों का बिना आयात लाइसेंस के आयात किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) "फोर्ड एक्सट्रा" 3 सिलेंडर इंजनों के आयात के लिए मारुति फर्म को कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया है । वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बैंकिंग विभाग) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार बिना आयात लाइसेंस के आयात करने का ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Loss to Ayodhya Textile Mill

2363. Shri R.D. Ram : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the amount of loss being suffered by Ayodhya Textile Mill every month ;

(b) whether the Board of Management is responsible for this loss ; and

(c) if so, action being taken by Government to check this loss ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) :

(a) The mill has been suffering losses at the rate of Rs. 10 lakhs to 10.50 lakhs per month.

(b) The loss is attributable to the following factors:

(i) Obsolescence of the machinery ;

(ii) High cost of cotton which constitutes about 50 per cent of production cost ;

(iii) Slump in the textile trade resulting in lower realisation in sale proceeds of goods ;

(iv) High cost of labour ; and

(v) Higher incidence of interest charges.

(c) The following measures have been taken to improve the working of the mill ;

(i) modernisation renovation of the machinery ;

(ii) change in production programme to suit market demand and better realisation ;

(iii) proposed setting up of a laboratory for testing raw material ;

(iv) participation of labour in the management so as to ensure better production results ; and ;

(v) introduction of cost accounting/analysis/control.

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट लिया जाना

2364. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों ने, गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कितना ओवर ड्राफ्ट लिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया ओवर ड्राफ्ट उनकी दैनिक नकदी की स्थिति को दर्शाता है और उसमें दिन-प्रति-दिन भिन्नता होती है । इसलिए, केवल विशेष तारीख के संदर्भ में ही उनकी मात्रा को व्यक्त किया जा सकता है । 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के वित्तीय वर्षों के अन्तिम कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों के समायोजित ओवर-ड्राफ्टों का उल्लेख नीचे दिये अनुसार है :—

(करोड़ रुपए)

31 मार्च, 1975	271.27
31 मार्च, 1976	326.84
31 मार्च, 1977	351.88

विस्कोस फिलामेंट यार्न के वितरण में कदाचार

2365. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कताई करने वालों तथा बुनकरों की तमिलनाडु क्षेत्रीय समिति द्वारा विस्कोस फिलामेंट यार्न के वितरण में कदाचार किये जाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कताई करने वालों तथा बुनकरों की तमिलनाडु क्षेत्रीय समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां । विगत में कत्तिनों एवं बुनकरों की तमिलनाडु क्षेत्रीय समिति द्वारा विस्कोस फिलामेंट यार्न के वितरण में कदाचारों के बारे में कुछ शिकायतें हुई हैं ।

(ख) कत्तिनों एवं बुनकरों की तमिलनाडु क्षेत्रीय समिति के पास, जो पिछले दो वर्षों से निष्क्रिय थी, अब यार्न के वितरण का काम नहीं रहेगा । 1–4–77 और उस से आगे की अवधि के लिये नये करार में, जिस पर कत्तिनों एवं बुनकरों के बीच विचार विमर्श चल रहा है, यह प्रस्ताव है कि तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों को विस्कोस फिलामेंट यार्न उस प्रबन्ध के अनुसार आवंटित किया जाये जिसे हथकरघा विकास आयुक्त हथकरघा निदेशक, तमिलनाडु के साथ परामर्श करके तैयार करेगा ।

Number of Planes Hijacked during Emergency

2366. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Willl the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of aeroplanes of Indian Airlines and Air India hijacked during the last emergency and the reasons therefor ;

(b) the names of the countries of which the hijackers were the citizens in each hijacking case and the nature of action taken against them, separately ; and

(c) the number of hijacking cases still pending decision ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) An Indian Airlines Boeing 737 aircraft was hijacked to Lahore on September 10, 1976 while on a scheduled flight (No. 491) on the Delhi-Jaipur-Aurangabad-Bombay sector. The reasons for the hijacking are still not clear.

(b) The Government have not yet been able to establish the nationality of the hijackers. Government have also not been able to take any action against them as they were in the custody of Pakistan authorities. The Government of Pakistan announced on January 5, 1977 its decision to release the hijackers as, according to Pakistan press reports, it did not have enough evidence to prosecute them. Their present where abouts are not known.

(c) There was no other hijacking of Indian aircraft during the emergency.

रिजर्व बैंक आफ बम्बई के भूतपूर्व कर्मचारियों का अभ्यावेदन

2367. **श्री आर० के० महालगी:** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक, बम्बई के भूतपूर्व कर्मचारियों का अभ्यावेदन कई महीनों से सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है; और

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वित्त विभाग से रिज़र्व बैंक को स्थानान्तरित कर दिया था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के जिन कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवाएं आरंभिक रूप में 1935 में सरकार से बैंक को अंतरित कर दी गई थीं और जो नवम्बर, 1960 से पहले विभिन्न तारीखों को बैंक की सेवा से निवृत्त हो गये थे, उन्होंने अक्टूबर, 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक को एक अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें कृपापूर्ण पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाये। उनके अनुरोध पर बैंक विचार कर रहा है।

केरल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

2368. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कुल कितने और कौन-कौन से कपड़ा मिल बन्द पड़े हैं और उनमें कुल तकुओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इन मिलों के बन्द होने से कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल में बंद पड़ी हुई सूती वस्त्र मिलों के नाम तथा अंतर्ग्रस्त तकुओं की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

	मिल का नाम	तकुए
1.	त्रिवेन्द्रम स्पि० मिल्स लि०, बलरामपुरम . . .	25,200
2.	प्रभुराम मिल्स लि०, चैगान्नूर .	8,992
3.	कोट्टयम टैक्सटाइल्स लि०, कोट्टयम .	12,416
4.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर .	28,810
5.	जी० टी० एन० टैक्सटाइल्स लि०, अलवई .	25,104
6.	मालाबार स्पि० एंड वीविंग मिल्स, कालीकट . .	18,400
	योग	1,18,922

(ख) 2,767 कर्मचारी ।

Purchase of Boeing Planes

2369, Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are purchasing three Boeing planes worth Rs. 30 crores ;

(b) whether the previous Government had also deposited some of the amount for the purpose ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) With the approval of Government Indian Airlines have placed orders for the purchase of three Boeing 737 aircraft at a cost of Rs. 30.55 crores.

(b) and (c). In terms of the Purchase Agreement, 30 per cent of the price of three aircrafts equivalent to U.S. $7,209,975 (Rs. 6.48 crores) has been paid to the Boing Commercial Airplane Company by Indian Airlines. An order for the purchase of three spare engines has also been placed on United Technologies International, USA by Indian Airlines and 20 per cent of the price thereof i.e. U.S. $424,449 (Rs. 38.20 lakhs) has been paid to them.

गोवा, दमण और दीव से राजस्व

2370. **श्री एडुआर्डो फेलीरो** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय राजकोष को गोवा, दमण और दीव से अलग-अलग, आयकर, सम्पत्ति कर, सम्पदा शुल्क, अतिरिक्त लाभ कर, व्यय कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, के रूप में कितनी वार्षिक आय प्राप्त होती है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : केन्द्रीय राजकोष को गोवा, दमण और दीव से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, आयकर, धनकर, सम्पदा-शुल्क, अतिरिक्त लाभ कर, व्यय कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर और सीमा शुल्क खाते प्रतिवर्ष जो आय हुई है वह संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

	वर्ष	आयकर और निगम कर	धन कर	सम्पदा शुल्क	अतिरिक्त लाभ कर	व्यय कर	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	केन्द्रीय बिक्री कर	सीमा-शुल्क
			(लाख रुपयों में)						
गोआ . .	1974-75	599	92.87	5.12	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2,934	33.17	1,294
	1975-76	1,090	92.06	4.18	,,	,,	3,084	43.44	1,306
	1976-77	1,389	103.29	3.31	,,	,,	3,280	61.85	1,133
दमण . .	1974-75	5.60	0.61	0.29	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.49	0.0
	1975-76	11.75	0.60	0.02	,,	,,	,,	0.49	कुछ नहीं
	1976-77	5.77	0.83	0.05	,,	,,	156	0.87	,,
दीव . .	1974-75	1.14	0.06	0.001	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.006	कुछ नहीं
	1975-76	1.19	0.14	कुछ नहीं	,,	,,	,,	0.005	0.006
	1976-77	1.04	0.12	0.105	,,	,,	,,	0.002	कुछ नहीं

भारत से चांदी की तस्करी

2371. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मई, 1977 के 'पेट्रियट' में "स्मगलिंग आफ सिल्वर टू गल्फ" (खाड़ी के देशों को चांदी की तस्करी) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने भारत के पश्चिमी तट से तस्करी को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख). जी, हां। सरकार द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्टों से यह मालूम नहीं होता कि चांदी की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है।

(ग) हालांकि तस्करी को प्रभावी तौर पर रोका जा रहा है तथापि तस्करी-विरोधी उपाय सुदृढ़ कर लिये गये हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों को विधिवत् सतर्क कर दिया गया है और उन्हें तस्करों के विरुद्ध सामान्य कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करने के अनुदेश दे दिये गये हैं। इन उपायों में, निरीक्षण तथा गुप्त सूचना तन्त्रों को सुदृढ़ बनाना, संवेदनशील पत्तनों से आने वाले जलयानों की तलाशी लेना तथा समुद्रतट पर आसानी से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों और यातायात के मुख्य मार्गों पर गश्त लगाना शामिल है।

जापान में भारतीय माल की मांग

2372. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में भारतीय माल की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). विगत कुछ वर्षों में जापान को भारतीय माल के निर्यात लगातार बढ़े हैं। लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद, काफी, चमड़ा, लोहा तथा इस्पात, एल्यूमीनियम, सिले-सिलाये परिधान, अनिर्मित तम्बाकू, मोती तथा मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान रत्न जैसे उत्पादों के निर्यात विशेष रूप से बढ़े हैं।

सूखे मेवे, लौंग तथा दालचीनी के मूल्य बढ़ाना

2373. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे मेवे, लौंग तथा दालचीनी के कुछ आयातकर्ता मूल्यों में जान-बूझ कर वृद्धि कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख): 1976–77 वर्ष के अंत तक सुस्थापित आयातकों को मेवों के आयात की अनुमति थी, तथा लौंग, दालचीनी के सीमित मात्रा में प्रतिबंधित आधार पर आयुर्वेदिक दवाएं आदि बनाने के लिए आयात की अनुमति को छोड़ कर उनके आयात की अनुमति नहीं थी। ऐसी प्रतिबंधात्मक नीति के कारण आयातक इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर रहे थे।

1977–78 नीति के अधीन यह निर्णय किया गया है कि इन मदों के आयात को मुक्त लाइसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत कतिपय मुद्रा सम्बन्धी सीमाओं के भीतर अनुमति दी जाये। इससे कीमतों में कमी आई है।

शुष्क मेवा, लौंग तथा दालचीनी की तस्करी

2374. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क मेवा, जायफल, दालचीनी, लौंग की बड़ी पैमाने पर तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। प्राप्त रिपोर्टों से ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि शुष्क मेवा, जायफल, दालचीनी और लौंग की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है।

(ख) यद्यपि तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है, तथापि तस्करी विरोधी उपायों को सुदृढ़ कर दिया गया है और अधीनस्थ कार्यालयों को तस्करों के विरुद्ध सामान्य कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है। इन उपायों में जांच-पड़ताल तथा गुप्तचर्या व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, संवेदनशील पत्तनों से आने वाले जलयानों की तलाशी लेना और समुद्र तट पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों और परिवहन के भागों की गश्त लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, तस्करी की रोकथाम करने के उद्देश्य से, इन मदों के आयात को भी अभी हाल ही में उदार बनाया गया है।

कम्पनियों द्वारा जनता से सावधिक जमा राशियां प्राप्त करना

2375. **श्री बसंत साठे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी कम्पनियां जनता से अधिक ब्याज दर पर सावधिक जमा राशियां प्राप्त करती हैं और समय-समय पर ब्याज का भुगतान नहीं करती हैं तथा समयावधि के गुजर जाने के बाद यह जमाराशि वापस नहीं लौटाती हैं;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र में कार्यरत ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिये इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आम जनता से जमायें स्वीकृत करने वाली कुछ कम्पनियां देय तारीखों पर ब्याज और परिपक्व हो जाने पर जमा राशियां अदा नहीं कर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत जिन कम्पनियों के बारे में शिकायतें मिली हैं उसके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) यद्यपि किसी जमाकर्ता को उसकी जमा की गैर-अदायगी का मामला जमाकर्ता और जमा करने वाली कम्पनी के बीच हुए करार का विषय है, फिर भी जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय और विविध गैर-बैंकिग कम्पनियों के लिये जारी किये गये निदेश तथा कम्पनी कार्य विभाग द्वारा और बैंकिग, गैर-वित्तीय कम्पनियों के लिये जारी किये गये नियम इन कम्पनियों द्वारा स्वीकार्य जमा राशियों की मात्रा को निश्चित सीमा तक नियंत्रित करते हैं और उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति और प्रबन्ध से सम्बन्धित निर्धारित ब्यौरों को, जमाएं मांगने के लिये दिये गये विज्ञापनों और जमा के आवेदन पत्रों में दिखायें।

सरकार ने गैर-बैंकिग कम्पनियों से सम्बन्धित जेम्स राज अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि (1) गैर-बैंकिग, गैर-वित्तीय और गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों की कुछ अन्य श्रेणियों को अपनी जमा राशियों की मात्रा को धीरे-धीरे अपनी स्वामित्व की कुल निधि के 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तक लाना चाहिए, (2) गैर-वित्तीय कम्पनियों को एक वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमा देयताओं के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को नकद नकदी-जैसी परिसम्पत्तियों (हस्ते रोकड़ छोड़कर) के रूप में बनाये रखना चाहिए और (3) गैर-बैंकिग वित्तीय और गैर-वित्तीय कम्पनियों को जमायें मांगने से सम्बन्धित विज्ञापनों में कुछ और अधिक ब्योरे देने चाहिए, जैसे (क) निर्धारित सीमा विषयक प्रतिबन्धों के अन्तर्गत जमाओं की राशि जो वे स्वीकार कर सकते हैं, (ख) उनके द्वारा किसी हाल ही की तिथि पर वास्तव में प्राप्त जमाओं की राशि (ग) अतिदेय जमाओं की राशि (ऐसी जमाओं को छोड़कर जिनका कोई दावेदार नहीं) और (घ) उनके द्वारा इस आशय की घोषणा कि यथास्थिति कम्पनी के कार्य विभाग के नियमों अथवा रिजर्व बैंक के निदेशों का पालन किया गया है, और यह कि नियमों अथवा निदेशों के अनुपालन से यह अर्थ नहीं है कि जमाओं की अदायगी के लिये केन्द्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक प्रतिभूति देते हैं और यह कि उनके द्वारा स्वीकृत जमाएं कम्पनियों की असुरक्षित देयतायें हैं। जबकि इनमें से कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, शेष कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में है।

विवरण

महाराष्ट्र में राज्य में कारोबार करने वाली उन कम्पनियों के नाम जिनके विरुद्ध परिपक्व होने पर जमाओं की और/अथवा उन पर देय ब्याज की अदायगी न करने के बारे में शिकायतें मिली हैं

(क) गैर बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियां

1. एशियन काटन मिल्स लिमिटेड
2. अनिल हार्ड बोर्ड लिमिटेड
3. भोपाल ट्रंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड
4. एल्विन कोर्डिल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. दकन फार्म एण्ड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड
6. दादजी एण्ड धाकजी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
7. फोरेमोस्ट डायरीज लिमिटेड
8. गुजरात इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
9. जोली अनिल (इंडिया) लिमिटेड
10. खण्डेलवाल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
11. मास काम्यूनिकेशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
12. जोली ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
13. नागपाल स्टनेलेस लिमिटेड
14. सरस्वती सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
15. एस० बी० जोशी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
16. स्पून पाइप एण्ड कांस्ट्रक्शन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
17. शाह कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
18. ताहिरा इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19. ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड
20. खण्डेलवाल हरमन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
21. खंडेलवाल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
22. खंडेलवाल मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
23. सेंट्रोन इंडस्ट्रियल एलिएन्स प्राइवेट लिमिटेड
24. एम० जे० फर्टीलाइजर लिमिटेड
25. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड
26. साहिब सिंह मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड]

27. स्टेरिट (इंजि०) साटर ट्रेटमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
28. टी मानकलाल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
29. लैम्प कैप्स एण्ड फिलामेंटस लिमिटेड
30. लावकिन लिमिटेड

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां

1. स्टर्लिंग बेनिफिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2. शान्तिकम फाइनैंसियर्स एण्ड चिट फन्डस प्रा० लिमिटेड
3. नव भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
4. गुरुदेव फाइनैंस एण्ड सेविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
5. पिपुल्स यूजवल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड
6. नवजीवन चिट फण्डस प्राइवेट लिमिटेड
7. स्टार ग्राफ कोचीन चिट स्कीम्स प्राइवेट लिमिटेड
8. सौबिल्स चिट प्राइवेट लिमिटेड
9. भाग्यलक्ष्मी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड
10. मधु चिट फण्ड एण्ड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
11. उमा इन्वेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड
12. अमर फाइनेंस (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश में वृद्धि करना

2376. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में अब तक कितनी कम्पनियों को अपने पूंजी निवेश में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है;

(ख) गुजरात राज्य में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं; और

(ग) क्या अप्रैल महीने में किन्हीं पांच कम्पनियों की पूंजी निवेश में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1976–77 के वित्त वर्ष में पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत, 380 गैर-सरकारी कम्पनियों को प्रारम्भिक निर्गमों, अतिरिक्त निर्गमों, बोनस निर्गमों, ऋण पत्रों आदि के माध्यम से पूंजी जुटाने के प्रस्तावों के लिए स्वीकृतियां /अभि स्वीकृतियां दी गई थीं ।

(ख) उक्त कम्पनियों में से 34 कम्पनियां गुजरात राज्य में निगमित हैं ।

(ग) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय अप्रैल, 1977 में पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी की गई चार प्रैस विज्ञप्तियों से है जिनमें उन पांच कम्पनियों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है। अप्रैल, 1977 में कुल 26 कम्पनियों को पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी।

अलौह धातुओं पर अप्रत्यक्ष कर

2377. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु उद्योग ने अलौह धातुओं पर अप्रत्यक्ष करों को सरल और युक्तिसंगत ढांचे का आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

एक ही जगह पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिये आल इंडिया नान फेरस मेटल इंडस्ट्रीज एसोसियेशन से मांग

2378. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया नान-फैरस मेटल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से एक ही जगह पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या घटाने की कार्यवाही का विरोध

2379. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में 10 प्रतिशत कमी करने की सरकार की कार्यवाही का इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी संघों ने विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से वित्त सचिव के दिनांक 13-5-77 के अर्द्ध-शासकीय पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे विद्यमान कर्मचारी संख्या में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी करने की

सम्भावना का पता लगाने के लिए अपनी कर्मचारी-संख्या तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों की कर्मचारी-संख्या की समीक्षा करें। इस पत्र की एक प्रति 17–6–77 को अतारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई है। इन आदेशों के विरोध में कुछ संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) प्रशासनिक व्यय में अधिकतम किफायत करने की आवश्यकता को तथा जारी किये गये आदेशों के परिणामस्वरूप सामान्य रोजगार की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुये इन आदेशों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

नारियल और नारियल के तेल पर आयात शुल्क में कमी का प्रभाव

2380. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एम० एन० गोविन्दननायर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल और नारियल के तेल पर आयात शुल्क में काफी कमी करने का तथा इन वस्तुओं के बड़ी मात्रा में आयात को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में नारियल और नारियल के तेल के मूल्यों में भारी कमी के कारण केरल सरकार की वित्तीय स्थिति पर इससे पड़े गम्भीर प्रभाव की सरकार को जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) देश में खाद्य तेलों की कमी को दूर करने तथा उन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने खाद्य तेलों तथा तिलहनों, जिसमें नारियल का तेल तथा गरी भी शामिल है, के आयात को जनवरी, 1977 से उदार बना दिया है और नारियल के तेल पर 20–5–77 से सीमाशुल्क 75 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। गरी पर सीमाशुल्क के घटाने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) गरी तथा नारियल के तेल की कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं आयी है जिससे नारियल की काश्त की आर्थिक स्थिति पर गम्भीर असर पड़े।

अन्तर्राष्ट्रीय बोइंग खरीद घोटाले में भारतीयों के अन्तर्ग्रस्त होने के संदेह के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2381. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बोइंग खरीद घोटाले में भारतीयों के अन्तर्ग्रस्त होने के संदेह के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारम्भिक जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस समय जांच किस स्थिति में है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग घोटाले से सम्बन्धित रिकार्डों की प्रारम्भिक जांच का कार्य पूरा कर लिया है तथा मामले की और आगे जांच की जा रही है ।

दिल्ली में मूल्य सूची लगाये जाने सम्बन्धी आदेश का वापस लिया जाना

2382. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मूल्य सूची लगाये जाने सम्बन्धी आदेश वापस ले लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेईमान व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को ठगी न की जा सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र है ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली (वस्तु मूल्य प्रदर्शन) आदेश, जो सितम्बर, 1975 में भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत प्रख्यापित किया गया था, अभी भी लागू है । इस आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत इसी तरह के एक आदेश द्वारा शीघ्र ही बदला जा रहा है ।

आम खपत की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली प्रशासन अनाजों, दालों, गेहूं, हाइड्रोजनीकृत बनस्पति तेलों, कोयले, मिट्टी के तेल, ईंटों, सीमेंट, चीनी, आदि पर लाइसेंस नियंत्रण का तथा ब्रेड, सीमेंट, कोयले, मिट्टी के तेल ईंटों, एल० पी० गैस तथा लाइट डीजल तेल पर मूल्य नियंत्रण का प्रयोग कर रहा है । यह देखने के लिए एक संगठित प्रवर्तन तंत्र है कि व्यापारी विभिन्न कानूनों तथा आदेशों के उपबन्धों का पालन करें और अनुचित काम न करें ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम होटल परियोजना की समीक्षा

2383. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम से उन सभी नौ होटल परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिये कहा है, जिन पर कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) वित्तीय साधनों की कमी तथा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी अन्य प्राथमिकताओं के कारण, भारत पर्यटन विकास निगम ने फिलहाल कुछ योजनायें रोक दी हैं, जिनमें 9 ऐसी आवास परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जहां निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ था।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की समीक्षा

2385. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारतीय प्रवन्ध संस्थान, अहमदाबाद से कहा है कि वह भारतीय राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा करें ;

(ख) संस्थान द्वारा जांच किये जाने वाले मुद्दे क्या हैं; और

(ग) यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी हां। दि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम और उनके सहायक कार्यालयों की कार्यकुशलता तथा ग्राहकों के प्रति उनकी सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने तथा उन्हें कारगर बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने हेतु उनका अध्ययन करने के लिये कहा गया है। इंस्टीच्यूट से यह भी कहा गया है कि समग्र राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में इन संगठनों को जो भूमिका अदा करनी है उसके बारे में भी सिफारिशें करें।

(ग) संस्थान का अनुमान है कि आधारभूत रिपोर्ट मिलने में छः मास का समय लगेगा। किन्तु वे अन्तरिम सिफारिशें जल्दी भेजने के लिए राजी हो गये हैं।

देश की एयरलाइनों के जैट इंजिनों की एयर इंडिया द्वारा 'ओवरहॉलिंग' (मरम्मत)

2386. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया अपने बम्बई पत्तन वर्कशाप पर देश की एयरलाइनों के जैट इंजिनों को ओवरहॉलिंग (मरम्मत) करने के लिए अनिच्छुक थी अथवा करने में असमर्थ थी और पांच इंजिन विदेशों में भेजने पड़े थे और उनके पास केवल एक इंजन फालतू रह गया था, और परिणामतः इण्डियन एयरलाइन्स के दो इंजिन वाले 12 जैट बोइंग 737 विमानों का उड़ानकार्यक्रम अति व्यस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो जैट इंजिनों की ओवरहॉलिंग (मरम्मत) भारत में ही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विदेश में ओवरहॉलिंग कराने पर कितना खर्च आता है; और

(घ) विदेश में भेजे गये जैट इंजिन कब तक वापस प्राप्त हो जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स के जैट इंजनों की अपनी बम्बई की वर्कशाप में ओवरहॉल करने के लिए अनिच्छुक नहीं थे । एयर इंडिया की सुविधाओं का आयोजन इंडियन एयरलाइन्स के कारवेल तथा बोइंग 737 विमानों के इंजिनों की ओवरहॉल/मरम्मत को भी दृष्टि में रखते हुये किया गया है परन्तु,

(i) 737 विमानों के इंजनों पर यू० एस० उड़न-योग्यता प्रमाणीकरण प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित अनिवार्य निरीक्षण की आवश्यकता; तथा

(ii) अक्तूबर, 1976 के आरम्भ में बम्बई में कारवेल विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा समस्त कारवेल विमानों के इंजनों पर अनिवार्य रूप से अपेक्षित कतिपय सुधार कार्य से उत्पन्न कार्य-भार में असामान्य एवं आकस्मिक वृद्धि होने के कारण, एयर इंडिया की सुविधायें इंडियन एयरलाइन्स के परिचालनों के लिए 737 इंजनों की परिचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ थीं ।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुये, 5 बोइंग 737 इंजनों को मरम्मत के लिए यू० एस० ए० में उनके निर्माताओं के पास भेजा गया था ताकि इंडियन एयरलाइन्स के अनुसूचित परिचालनों को बनाए रखा जा सके । इन 5 इंजनों के भेजे जाने के बाद भी, अभी भारत में 4 फालतू इंजन बचे थे ।

(ग) विदेशों में ओवरहॉल कराने का प्रति इंजन व्यय अनुमानतः 19 लाख रुपये होता है जिसमें से 16.5 लाख रुपए विदेशी मुद्रा में होता है ।

(घ) सभी 5 इंजन ओवरहॉल होने के बाद पहले ही वापिस मिल चुके हैं ।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में निर्णय

2387. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण न करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) पटसन उद्योग में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). इस समय पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) पटसन उद्योग में सुधार लाने के लिये जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उनमें से कुछ निम्नोक्त है :—

1. सभी पटसन निर्मित माल पर निर्यात शुल्क हटाना ।

2. विकास परिषद् के जरिए अनुसन्धान एवं विकास कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु पटसन माल पर उपकर लगाना ।

3. पटसन के नये अन्तिम प्रयोगों को बढ़ाने तथा उत्पादन-लागत को घटाने के उद्देश्य से अनुसन्धान एवं विकास के लिये उदार सहायता प्रदान करना ।

4. संयंत्रों एवं उपस्करों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये पटसन उद्योग को उदार शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करना ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े तथा उत्पादन-लागत कम हो ।

5. पटसन वस्तुओं के निर्यातों को विदेशी बाजारों में अधिक प्रतियोगी बनाने तथा विनिर्माताओं को अधिक लाभप्रद बनाने के उपाय ।

Proposal to link Tourist Centres in Madhya Pradesh by Air

2388. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to link tourist centres of Madhya Pradesh with air service ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b). Important tourist centres in Madhya Pradesh are already linked by air services.

Khajuraho is served by Service No. IC-407/408 which operates on the route Delhi/Agra/Khajuraho/Varanasi. Gwalior, Bhopal (for Sanchi) and Indore (for Mandu) are connected with Delhi and Bombay by service IC-459/460 (Delhi/Gwalior/Bhopal/Indore/Bombay). Jabalpur (which is in close proximity to Kanha National Park) and Raipur have been linked to Delhi and Bombay on a twice weekly air service with effect from 5th May, 1977.

तस्करी को रोकने के लिये भारत और श्रीलंका के बीच विचार-विमर्श

2389. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका ने एक देश से दूसरे देश को होने वाली तस्करी को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में कोलम्बो में वार्त्ता आयोजित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मामलों पर विचार किया गया तथा इसमें किये गये निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तस्करी को रोकने के लिए सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां । दोनों देशों के बीच तस्करी को रोकने के लिए उपायों के सम्बन्ध में सीमा शुल्क तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने श्री लंका के समपदी अधिकारियों से कोलम्बो में 2, 3 तथा 4 जून, 1977 को विचार-विमर्श किया था ।

(ख), (ग) तथा (घ). चर्चा का सम्बन्ध आपसी हितों के मामलों और दोनों देशों के बीच सामान की तस्करी को रोकने के लिए सहयोग से था। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया गया था कि तस्करों की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से रोकने की दृष्टि से तस्करी सम्बन्धी गतिर विधियों तथा दोनों तरफ क्रियाशील तस्करों के गिरोहों की पहचान से सम्बन्धित सूचना का निरन्त- आदान-प्रदान होना चाहिए।

कोचीन के निकट नये हवाई अड्डे का निर्माण

2390. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री के० ए० राजन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे के विस्तार की गुंजाइश बहुत सीमित है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए कोचीन के निकट एक नया हवाई अड्डा बनाने का कोई सरकार का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) यद्यपि पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, ऊंची ऊंची क्रेनों, तथा समुद्र की समीपवर्तिता जैसी बाधाओं के कारण कोचीन के नौसैनिक विमानक्षेत्र के विस्तार की संभावनाएं कुछ सीमित है, तथापि वर्तमान विमानक्षेत्र को बोइंग 737 परिचालनों के उपयुक्त बनाने के लिये वहां के धावनपथ को 'रि-एलाइन', अधिक मजबूत व लंबा करके 70.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत से उसका विकास किया जा रहा है।

(ख) कोचीन में एक नये विमानक्षेत्र का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोज़ीकोड में हवाई अड्डा

2391. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोज़ीकोड में एक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) प्रस्ताव पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ). कोज़ीकोड (कालीकट) में एक विमानक्षेत्र का निर्माण करने की एक परियोजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया था। परन्तु, विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परिचालन की लागत में वृद्धि होने तथा विमान बेड़े की तंग स्थिति के कारण, इंडियन एयरलाइंस को अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण करना पड़ा और उन्होंने अपने आप को पांचवीं योजनावधि में कोज़ीकोड (कालीकट) के लिये परिचालन करने में असमर्थ पाया। अतः, परियोजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

मितव्ययिता के परिणाम

2392. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए किये गये बहुत से उपायों से चालू वर्ष में इच्छित परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि बचाई गई अथवा चालू वर्ष में बचाये जाने की आशा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). किफायत संबंधी विभिन्न उपायों के अपनाये जाने से प्रशासनिक व्यय में वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी । परन्तु, प्राप्त की जाने वाली बचत की मात्रा बताना सम्भव नहीं है ।

बन्द पड़ी दो पटसन मिलों के अधिग्रहण के बारे में निर्णय

2393. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्द पड़ी दो पटसन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन दो मिलों ने भारतीय पटसन निगम की तथा कर्मचारी भविष्य निधि की बहुत बड़ी राशि का दुर्विनियोग किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख). दो वन्द पटसन मिलों अर्थात् खारदाह कम्पनी लिमिटेड तथा यूनियन जूट कम्पनी का प्रबन्ध सरकार ने 16 मई, 1977 से अपने हाथ में ले लिया है ।

(ग) खारदाह कम्पनी लिमिटेड ने भारतीय पटसन निगम की लगभग 13.48 लाख रु० मूल्य की कच्ची पटसन का अभिकथित दुरुपयोग किया है ।

(घ) भारतीय पटसन निगम ने खारदाह कम्पनी के निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किए है जो न्यायालय में लम्बित है ।

बोइंग विमान सौदे के मामले में गांधी बन्धुओं का कथित रूप में अन्तर्ग्रस्त होना

2394. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1977 के 'बिलिट्स' में बोइंग विमान के कलित सौदों में गांधी बन्धुओं के कथित रूप में अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या इस आरोप के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : जहां तक रक्षा मंत्रालय के लिए दो बोइंग 737 विमान खरीदने के बारे में आरोपों का संबंध है, उस मंत्रालय ने इन विमानों को न खरीदने का निर्णय किया है । उच्चतम न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश श्री पी० जगन्मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित दो बोइंग विमानों की प्रस्तावित खरीद के बारे में सभी मामलों की जांच करेगा ।

जहां तक अन्य आरोपों का संबंध है, उनकी जांच की जा रही है ।

फ्लाइंग क्लब

2395 **श्री आर० के० अमीन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नये फ्लाइंग क्लब खोलने को प्रोत्साहन न देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) फिलहाल, जी, हां ।

(ख) इसके कारण ये है :—

(1) विमान ईंधन के मूल्य, फालतू पुर्जों की लागत, तथा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के परिणामस्वरूप विमानों के परिचालन की लागत में अत्यधिक वृद्धि ;

(2) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारियों की बेरोजगारी ; और

(3) फ्लाइंग क्लबों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में वित्तीय प्रतिबंध ।

पश्चिम जर्मनी को निर्यात

2396. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी को किये गये निर्यात में वर्ष 1976 में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या भारत-पश्चिम जर्मनी व्यापार में सुधार करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी ; हां ।

(ख) भारत-जर्मन व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए है :—

(1) विशिष्ट उत्पादों का बाजार अध्ययन ।

(2) अनूगा फूड फेयर, हैनोवर फेयर, पार्टनर फार प्रोग्रेस एग्जीविशन, "इलैक्ट्रानिक्स" एग्जीविशन आदि जैसे मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(3) बाजार अनुकूलन की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए प० जर्मनी को विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल भेजना । उदार आयात नीति को देखते हुए प० जर्मनी से आयातों के बढ़ने की भी संभावना है ।

Withholding of Loans Sanctioned be Nationalised Banks to Maruti Company

2397. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** b• pleased to state whether orders have been issued for withholding loans sanctioned by nationalised banks to Maruti Company and for realising immediately the loans already advanced ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : In accordance with the practice and usage customary among bankers and also in conformity with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Tr›nsfer of Undertakings) Act, 1970, the State Bank of India Act, 1955 and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, information relating to the individual constituents of these banks is not to be divulged. It is, therefore, not possible to furnish the information sought for by the Hon'ble Member. It may, however, be mentioned that Government have not isued any instruction to any nationalised bank in the matter.

Government of India have recently constituted a Commission of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952,to enquire into the affairs of Maruti Group of Companies. The terms of reference of this Commission, *inter-alia*, include all matters relating to the securing of accommodation, loans or assistance from nationalised banks and other institutions including the eligibility of these concerns to obtain the financial assistance sought for, the standard of care with which the applications were considered and the measure of conformity to the policies, practices, rules and directives for the time being in force in regard to the grant of such assistance.

Action Against Officers who Sanctioned Loans to Maruti Company

2398. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government are taking action against the officers of public financial institutions who sanctioned loans to Maruti Company in an improper manner ; and

(b) if so, the nature of the action being taken and the number of such officers ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) and b) :

None of the all-India long term public financial institutions has given any loans or advances to Maruti Ltd. The question of taking action against officers of these institutions for sanctioning loans to Maruti Ltd. does not, therefore, arise.

However, Government have recently constiuted a Commission of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952, to enquire into the affairs of Maruti Group of Companies. The terms of reference of this Commission, *inter-alia* include (i) all matters relating to the securing of accommodation, loans or assistance from nationalised banks and other institutions including the eligibility of these concerns to obtain the financial assistance sought for, the standard of care with which the applic›tions were considered and the mesure of conformity to the policies, practices, rules and directives for the time being in force in regard to the grant of such assistance ; and (ii) all matter pertaining to the role and part of any Director or Managing Director of the Maruti Concerns, or any friend or associate of such Director or Managing Director and all the facts and the circumstances relating to cases where any direct or indirect advantage was taken of any relationship or connection of any such Director or Managing Director with any Minister or other public servant as well as the role of any persons who directly or indirectly aided or assisted in taking or such an advantage.

पटसन के निर्यात को अस्त-व्यस्त होने से बचाने के लिये किये गये उपाय

2399. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 में कलकत्ता पत्तन के नाविकों दवारा की गई हड़ताल ने पटसन उदयोग को मुसीबत में डाल दिया है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो पटसन के निर्यात को अस्त-व्यस्त होने से बचाने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर 26 मई, 1977 को नाविकों की हड़ताल समाप्त हुई। यह सुनिश्चित करने के विचार से कि पटसन तथा अन्य माल के निर्यातों में दुवारा गड़बड़ी न हो, हुगली पर काम करने वाले नौका उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए श्रम मंत्रालय के तत्वावधान में एक समिति स्थापित की गई है।

कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

2400. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जिनके विरुद्ध गत चार वर्षों के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक की आयकर मांग लंबित थी लेकिन बाद में विभाग ने इस राशि को बटटे-खाते डाल दिया ;

(ख) प्रत्येक मामले में आयकर की राशि को बट्टे-खाते डालने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन मामलों की जांच करने का है जहां आयकर की राशि की मांग या तो राजनीतिक दबाव अथवा अन्य अप्रासंगिक कारणों से बट्टे खाते डाली गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों वित्तीय संस्थानों द्वारा कम्पनियों, व्यक्तियों तथा औद्योगिक गृहों को दिये गये 25 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋण

2401. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी कम्पनियों, व्यक्तियों तथा औदयोगिक गृहों ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी सरकारी ऐजन्सी से 25 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋण प्राप्त किये ;

(ख) क्या सरकार ने उन कुछ कम्पनियों, व्यक्तियों के विरुद्ध कोई जांच कराई है जिन्हें प्रक्रिया भंग करके और कुछ मामलों में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के निदेशों के विरुद्ध ऋण दिये गये;

(ग) क्या सरकार को किसी कम्पनी अथवा किसी व्यक्ति को अनियमित रूप में ऋण मंजूर किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों आदि के नाम क्या है और उन प सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) सरकार ने ऋण मंजूर करने वाले बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यथा सम्भव सूचना इकटठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ?

(ख) से (ङ) संभवत्या, माननीय सदस्य के ध्यान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध लगाये गये वे कुछ आरोप हैं जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली में "फाइनैंसियल इस्टीटयूशन्स-रेस्टोरिंग आर्डर" नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं । इसके अतिरिक्त सरकार को भी कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों दवारा अलग-अलग ग्राहकों को स्वीकृत कुछ सुविधाओं के बारे में शिकायतें मिली हैं ।

इन आरोपों के संबंध में और विशिष्ट शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं, तथा उन पर होने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बंध में स्थिति अतारांकित प्रश्न संख्या 1729 और 1734 (दोनों के उत्तर 24–6–77 को सदन में दिये जा चुके हैं) के मेरे उत्तरों में स्पष्ट की जा चुकी है ।

आयकर अधिकारियों को सेवा-निवृत्त करना

2402. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कितने आयकर अधिकारियों को समय से पूर्व सेवा-निवृत्त किया गया ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने का है जिन्हें बिना कोई कारण बताये सेवा-निवृत्त कर दिया गया था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : आपातकालीन स्थिति में, समुचित प्राधिकारी द्वारा, मूल नियमावली के नियम 56 के अनुच्छेद (ञ) (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश जारी करके, सहायक आयकर आयुक्त ग्रेड से निम्न-स्तरीय 10 आयकर अधिकारी (श्रेणी–I) और 16 आयकर-अधिकारी (श्रेणी–II) को सेवा-निवृत्त किया गया । इन आयकर अधिकारियों में से 23 आयकर-अधिकारियों ने इस प्रकार से सेवा निवृत्त किये जाने के खिलाफ अभ्यावेदन दिये और उनमें से 4 अभ्यावेदनों पर निर्धारित कार्यविधि के अनुसार विचार किया गया है तथा उनके अभ्यावेदनों को नामंजूर कर दिया गया है । शेष 19 आयकर-अधिकारियों के अभ्यावदनों की जांच की जा रही है ।

भारतीय चाय की उत्पादन लागत

2403. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के उत्पादकों की तुलना में भारत चाय के उत्पादकों की चाय पर उत्पादन लागत अधिक बैठती है ; और

(ख) विश्व बाजार में चाय के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चाय की उत्पादन लागत में हर इलाके में बहुत अन्तर रहता है । वस्तुतः एक ही इलाके में एक चाय बाग से दूसरे बाग के बारे में लागत में बहुत अन्तर रहता है । अतः इनमें सार्थक तुलना करना कठिन है । विदेशों में उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकड़े भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) मांग तथा पूर्ति स्थिति के फलस्वरूप चाय की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंची हैं, अतः इस अवस्था में कीमतों को प्रतियोगी बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के कृत्य

2404. **श्री शिव सम्पत : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या नेशनल फडरेशन नामक एक अन्य संगठन भी है जिसके कृत्य प्रायः वही हैं जो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के हैं ;

(ग) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होती है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संगठन को बन्द करने के लिए कदम उठाने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से निम्नलिखित के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना है :—

(1) कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, मुर्गीदाने तथा अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन, संसाधन विपणन, भंडारण, निर्यात तथा आयात करना ।

(2) अप्रधान वन उपज का संग्रह संसाधन, विपणन, भंडारण और निर्यात करना ।

विशष रूप से यह निगम निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) सहकारी समितियों को धन देने तथा सहकारी विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी रखने के लिए राज्य सरकारों को ऋण अथवा आर्थिक सहायता देना ;

(2) केन्द्रीय सरकार की ओर से कृषि उपज, खाद्य पदार्थ और अधिसूचित वस्तुएं खरीदने के लिए सहकारी समितियों को धन देने हेतु राज्य सरकारों को धन देना ;

(3) सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज के विकास के लिए बीज, खाद, उर्वरकों, कृषि-उपकरणों तथा दूसरी वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना;

(4) राष्ट्र-स्तरीय सहकारी समितियों तथा ऐसी दूसरी सहकारी समितियों को सीधे ऋण तथा अनुदान देना, जिनके उददेश्य दूसरे राज्य तक व्याप्त हों ।

(5) राज्य सरकारों की गारंटी पर सहकारी समितियों को अथवा केन्द्रीय सरकार की गारंटी पर संघ शासित क्षेत्रों में स्थित सहकारी समितियों को ऋण देना ;

(6) राष्ट्र-स्तरीय सहकारी समितियों तथा ऐसी दूसरी सहकारी समितियों, जिनके उद्देश्य दूसरे राज्यों तक व्याप्त हों, की अंशपूंजी में अंशदान देना ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पर किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यय नहीं किया जाता । तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1976-77 में 1621.29 लाख रुपये के ऋण तथा 455.19 लाख रुपये के अनुदान दिए गए ।

(घ) जी नहीं ।

राष्ट्रीय सहका विकास निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा लोगों के मनोरंजन/आदर सत्कार पर व्यय की गई धनराशि

2405. **श्री शिव सम्पत :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1977 तक लोगों के मनोरंजन/आदर सत्कार पर कितनी धनराशि व्यय की; और

(ख) इस खर्चे के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में आदर-सत्कार पर खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है :—

1974-75	21,090.50
1975-76	34,563.70
1976-77 . .	44,907.61

(ख) यह व्यय निगम द्वारा निर्धारित मानदण्ड की सीमा के भीतर है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

2406. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं;

(ख) क्या इन सभी आरक्षित पदों को इन वर्गों के व्यक्तियों से भरा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो किस हद तक आरक्षित कोटा अभी तक नहीं भरा गया है अथवा आरक्षित सीटों पर गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रतिशतताएं निर्धारित की जाती हैं जो कि इस समय सीधे भर्ती किए जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों के संबंध में 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के सम्बन्ध में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत हैं तथा कुछ श्रेणियों के पदोन्नति पद अखिल भारतीय आधार पर भरे जाते हैं।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है, ऐसी हिदायतें जारी की जाती हैं कि सभी आरक्षित रिक्तियों को केवल अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरा जाए और ऐसा न होने पर ऐसे पद रिक्त रखे जाएं।

वित्त तथा बैंकिंग विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

2407. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान वित्त तथा बैंकिंग विभाग के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति लेने के लिये कहा गया अथवा कितनों की सेवायें समाप्त की गयीं;

(ख) क्या उनमें से किसी ने इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 24 अधिकारी, मूल नियम 56(जे) के अन्तर्गत, निर्धारित समय से पहले सेवा-निवृत्त किये गये। दो अन्य अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अन्तर्गत दण्ड के रूप में अनिवार्य तौर पर सेवा-निवृत्त किये गये।

(ख) 19 अधिकारियों ने अभ्यावेदल दिए।

(ग) एक अधिकारी को उसके अभ्यावेदन पर विचार किए जाने पर बहाल कर दिया गया है, 8 अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं, और शेष 10 अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

विजय बैंक के बोर्ड में निदेशक

2408. **श्री बयालार रवि :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजय बैंक के बोर्ड में बहुत समय से रिज़र्व बैंक का कोई निदेशक नहीं था तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का एकमात्र यही बैंक था जिसके बोर्ड में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). गैर-सरकारी क्षेत्र के हर एक बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त करने की रिज़र्व बैंक की प्रथा नहीं है। रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी नियुक्ति केवल तभी की जाती है जब उसके विचार से बैंकिंग कम्पनी अथवा उसके जमाकर्ताओं के हित में अथवा जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय। ऐसी सभी नियुक्तियां बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन की जाती हैं। आजकल निजी क्षेत्र में सत्रह ऐसे बैंक कारोबार कर रहे हैं जिनके मामले में रिज़र्व बैंक ने कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया है।

मूल्य सूचकांक अंकों में वृद्धि

2409. **श्री बयालार रवि** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1960 को आधार वर्ष मानकर 1977 के जून माह में सामान्य मूल्य सूचक अंक क्या थे तथा पूर्व वर्ष की इसी अवधि में मूल्य सूचक अंकों की तुलना में इनकी क्या स्थिति है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : शायद प्रश्न का अभिप्राय अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) से है। अप्रैल 1977 को यह सूचकांक 313 था (ये सब से हाल के उपलब्ध आकड़े हैं) और इसमें अप्रैल 1976 के 289 के मुकाबले 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्वर्ण बैंक की स्थापना

2410. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोम्बे बुलियन एसोसियेशन लिमिटेड ने स्वर्ण बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख): 'इकानामिक टाइम्स' के 28 अप्रैल, 1977 के अंक में प्रकाशित एक समाचार में बम्बई बुलियन एशोसिएशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष का ऐसा एक सुझाव था। परन्तु सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है।

Export of Cement and Coarse Cloth

2412. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to export cement and coarse cloth during the current year and !

(b) if so, the percentage by which export thereof will increase as compared to the export made during last year ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Movernment are permitting the export of cement and coarse cloth.

(b) The quantity of cement which will be available for export during 1977-78 has not yet been finally determined. The quantity to be exported is determined even quarter, taking into account anticipated production and domestic requirements. Hence it will not be possible at this stage to indicate the percentage by which the exports of this year will compare to that of last year.

No separate statistics are kept for the exports of coarse cloth as against the total textile exports. It is therefore difficult to indicate any proportion.

स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा मालदा, पश्चिम बंगाल का दौरा

2413. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने अधिकारियों ने 15 जनवरी, 1977 से 16 मार्च, 1977 तक मालदा (पश्चिम बंगाल) का दौरा किया;

(ख) ऐसे दौरे का प्रयोजन क्या था और क्या यह सच है कि कुछ बैंक अधिकारियों ने भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री के चुनाव प्रयोजन के लिए धनराशि पहुंचाने के लिए ही मालदा का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और 4 अन्य अधिकारी तथा दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के 9 अधिकारी 15 जनवरी, 1977 से 16 मार्च, 1977 तक की अवधि में कार्यालय के काम से मालदा (पश्चिम बंगाल) गये थे। इन बैंकों ने इस बात की पुष्टि की है कि इनमें से किसी अधिकारी ने भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री को चुनाव कार्य के लिए सम्बन्धित बैंक की कोई राशि नहीं दी थी।

पश्चिम बंगाल में कुटीर उद्योग

2414. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में महेशतला, बज बज, संतोषपुर, मोतियाबज, गार्डन रीच के क्षेत्रों में वस्त्र बनाने वाले लगभग शताब्दी पुराने अत्यधिक कुटीर उद्योग हैं और जिन्हें, अल्पसंख्यक समुदाय चलाता है;

(ख) क्या सरकार ने उनसे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कराने के लिए कोई कदम उठाया है जिनकी निर्यात मण्डियों में तथा आधुनिक आंतरिक बाजार में आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस उद्योग को पुनर्जीवित करने तथा अधिक उत्पादन के रास्ते में त्रुटियों और समस्याओं को दूर करने तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार का तुरन्त कोई व्यापक योजना बनाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) : से (घ) वाणिज्यिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर परिधान बनाने की शुरुआत हाल ही में हुई है और विदेशी बाजारों से प्रोत्साहन मिलने से इसमें और आगे सुधार हो रहा है। परिधानों का निर्माण तथा निर्यात, जो अत्यधिक फैशन अभिमुख है, ऐसे उद्यमियों के हाथ में है जो स्वयं अपने पैटर्नों और डिजाइनों के या विदेशी खरीदारों द्वारा उन्हें दिये गये डिजाइनों के आधार पर निर्यात संविदाएं करते हैं।

परिधानों के निर्यात उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न हितों के प्रयत्नों को योजनाबद्ध करने और संघटित करने तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपेक्षित संस्था के गठन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने हाल ही में देश के परिधान हितों द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाए जाने का अनुमोदन करने का निर्णय किया है।

काफी बोर्ड के बारे में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

2415. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने काफी बोर्ड के बारे में लोक लेखा समिति के एक सौ तीसवें प्रतिवेदन (1973–74) का अध्ययन किया है;

(ख) क्या वह काफी बोर्ड के नियंत्रण में तुरन्त बनने वाली काफी (इन्स्टेन्ट काफी) का उत्पादन कराने की योजना बना रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) फिलहाल काफी बोर्ड द्वारा अथवा उसके नियंत्रणाधीन इंस्टेंड काफी तैयार कराने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण के परिणाम

2416. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण के क्या परिणाम रहे तथा इससे पूर्व वर्ष की तुलना में उनकी क्या स्थिति है;

(ख) उन मार्गों के नाम क्या हैं जिन पर उड़ानें अलाभप्रद हैं तथा उनके बारे में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी लागत में कमी करने के प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख): इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1976–77 के वित्तीय लेखों का अभी संकलन किया जा रहा है। परन्तु वर्ष

1976–77 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर, कारपोरेशन के वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

	1976–77 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	1975–76 (वास्तविक आंकड़े)
	(लाख रुपयों में)	
परिचालन राजस्व	12,225.00	10,911.60
परिचालन व्यय	10,499.00	9,794.35
परिचालन लाभ	1,726.00	1,117.25
कुल राजस्व	12,375.00	11,117.98
कुल व्यय	11,237.50	10,338.51
शुद्ध लाभ	1,137.50	779.47

1976–77 के दौरान परिचालित विभिन्न मार्गों की आर्थिक स्थिति का अनुमान कारपोरेशन द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही लगाया जाएगा। तथापि, वर्ष 1975–76 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित 93 मार्गों में से, 25 मार्गों ने कुल परिचालन लागत की पूर्ति करने के पश्चात् अतिरिक्त लाभ (सरप्लस) कमाया। शेष 68 मार्ग कुल परिचालन लागत की पूर्ति नहीं कर सके ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस में व्यय की प्रमुख मदें कर्मचारी तथा विमानन ईंधन हैं, जोकि कुल व्यय की लगभग क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत हैं। कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के मामले में, कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं तथा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का एक पूर्ण पुनरीक्षण प्रारम्भ किया है। जहां तक विमानन ईंधन की खपत का संबंध है, इंडियन एयरलाइंस ने अपनाये जाने वाले उड़ान तकनीकों तथा ईंधन की खपत में कमी करने के लिये किये जाने वाले अन्य उपायों के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं। ईंधन की खपत पर लगातार निगरानी रखी जाती है, तथा जहाँ भी सुधार की संभावना होती है, उपचारी कार्यवाही की जाती है।

मुद्रास्फीति की दर

2417. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1977 के पूर्वार्द्ध में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर तथा अनुमानित दर क्या है; और

(ख) वर्ष 1974, 1975 और 1976 की तत्सम्बन्धी अवधियों में इसकी तुलनात्मक दरें क्या थीं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) और (ख): थोक मूल्यों के सूचकांक (1970-100) का सब से हाल का मासिक औसत मई, 1977 का और अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) का अप्रैल, 1977 का है। पहले सूचकांक के मामले में 1974 से 1977 तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष के पहले 5 महीनों की और दूसरे सूचकांक के मामले में पहले चार महीनों की प्रतिशत घटबढ़ के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	थोक मूल्य सूचकांक (दिसम्बर और मई के के बीच प्रतिशत घटबढ़)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (दिसम्बर और अप्रैल के बीच प्रतिशत घटबढ़)
1973–74 . .	+16.4	+8.3
1974–75 . . .	+1.0	(—)0.9
1975–76 . . .	+0.1	(—)5.6
1976–77 . . .	+5.2	+2.3

एवरो विमानों की उड़ानें बन्द करना

2418. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी 'एवरो' विमानों की उड़ानें हाल ही में बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का विचार उक्त विमानों को, उनकी आवश्यक जांच करने के पश्चात् और उनमें यदि कोई सुधार किया गया है तो, उसके पश्चात् अपनी आंतरिक उड़ानों के लिए उपयोग करते रहने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग). जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स के 'एवरो' एच० एस०–748 विमानों के वेड़े को हाल ही में भूमिस्थ नहीं किया गया है। परन्तु, इन विमानों को विमान के निर्माताओं अर्थात् मैसर्स हॉकर सिडले एवियेशन लिमिटेड, यू० के०, द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार अनिवार्य संरचनात्मक निरीक्षण करने के लिए, एक बार में एक-एक करके, अस्थायी आधार पर सेवा से हटाया गया था। अनिवार्य निरीक्षण करने के पश्चात्, जिसमें किसी खराबी का पता नहीं चला, ये विमान इस समय परिचालन कर रहे हैं।

आमों का निर्यात

2419. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्तिगत और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा मौसम में ताजे आमों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975, 1976 और 1977 के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा आमों का निर्यात किन देशों को किया जाता है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) ताजा आमों के कुल निर्यात लगभग 4000 मे० टन है जो 89 लाख मे० टन के कुल अनुमानित उत्पादन का नगण्य अंश ठहरते हैं। ताजा आमों में मुख्यत: अल्फेंजों किस्म का निर्यात होता है। विवरण संलग्न [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-586 77] है जिसमें देशवार निर्यात तथा उपार्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े दिये गये हैं।

C.B.I. Enquiry into Rent paid for Kanchanjanga Building by Indian Airlines

2420. Shri Ishwar Choudhary: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the work of conducting enquiry into the irregularities committed in regard to the rent paid for Kanchanjanga building by the high officials of the Indian Airlines was entrusted to the C.B.I. ;

(b) if so, when ; and

(c) the outcome of the enquiry and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b). The Central Bureau of Investigation on their own information, registered a preliminary enquiry on 22nd December, 1976.

(c) The enquiry was taken up by the Central Bureau of Investigation on 22nd December, 1976 and is in progress.

Seizure of Charas, Ganja and Opium

2421. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the quantity of 'charas', hemp (ganja) and opium seized in each State during the emergency ; and

(b) the number of foreigners and Indians found to be engaged in this clandestine trade and the sources from which they procured these things and who were the buyers ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (b). A statement showing the quantities of opium, ganja and charas seized and number of foreigners and Indians arrested (State-wise) during the period from 1-7-1975 to 31-3-1977 as reported to the Narcotics Intelligence Bureau by various Central and State enforcement agencies, is annexed. [Placed in Library. *See* No. L.T.-587/77]

As regards the source of procurement of the above-mentioned narcotic drugs and its buyers, the information is as under :

(i) *Opium :* The bulk of the quantity seized originated from the poppy growing States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Small quantity was also seized at the Indo-Pak border. Most of the opium seized was, apparently meant for illicit consumption within the country.

(ii) *Charas :* Most of the quantity seized originated from Nepal, Pakistan, Afghanistan, Jammu and Kashmir and interior areas of Himachal Pradesh. This traffic was reported to be transit traffic to other foreign countries.

(iii) *Ganja :* Almost the entire quantity seized originated from Nepal, Himalayan Tarai areas of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Manipur. Consumption of ganja for non-medical purposes has been banned in all the States in India except Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa and Uttar Pradesh where consumption of ganja is permitted within certain prescribed limits.

गुड़ का निर्यात

2422. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ का अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रीलंका को कितना गुड़ निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विदेश स्थित भारतीय समुदाय की आवश्यकता पूरी करने के लिए गुड़ का मामूली सा कोटा अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 (अप्रैल––फरवरी) के दौरान श्रीलंका को गुड़ का कोई निर्यात नहीं किया गया था ।

रात्रि विमान डाक सुविधा

2423. **श्री बसन्त साठे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर को केन्द्र मानकर रात्रि विमान डाक सुविधा पुनः आरम्भ करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी नियंत्रण में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के असन्तोषजनक प्रबन्ध

2424. **श्री बसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई संकटग्रस्त कपड़ा मिलें उपयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रही हैं जिससे श्रमिकों को देय राशि और बोनस नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के प्रबन्ध और कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को विरासत में मिली समस्याओं अर्थात् पुरानी मशीनें तथा बेशी श्रमिक आदि को देखते हुये सरकार यह नहीं समझती कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय वस्त्र निगम का काम असन्तोषजनक है । कुल मिलाकर मजदूरों की मजूरी तथा अन्य देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ।

(ख) मिलों के कार्यकरण में सुधार के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं :

मशीनों का आधुनिकीकरण नवीकरण, वेशी श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण, केन्द्रीकृत आधार पर कच्चे माल की भारी मात्रा में खरीद, उत्पादन के ढांचे का विविधीकरण और विपणन नीति में परिवर्तन ।

पूंजी निवेश में वृद्धि की योजना

2425. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक गतिविधियों के सभी स्रोतों में पूंजीनिवेश में भारी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार को एक सात सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने 23 अप्रैल, 1977 को हुयें संघ के स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन में, जिसमें प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे अपने भाषण में पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए एक 7 सूत्री प्रस्ताव रखा था। सरकार बजट तैयार करने से पहले उन सभी प्रस्तावों पर विचार करती है, जो इसके सामने रखे जाते हैं और बजट प्रस्तावों में ऐसे विचार-विमर्श का संकेत मिलता है ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

2426. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोवलम समुद्रतटीय दर्शनीय स्थल को आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संभावित बड़ी संख्या को देखते हुयें त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिवेन्द्रम विमानक्षेत्र को बोइंग-737 के नियमित परिचालनों तथा बी-707 प्रकार के विमान से कभी-कभी चार्टर उड़ानें करने के उपयुक्त बनाने के लिए वहां 64.79 लाख रुपए की अनुमानित लागत से धावनपथ को अधिक लम्बा और मजबूत करने तथा अन्य सम्बद्ध विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । टर्मीनल भवन का 12 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विस्तार करने की योजनाओं को भी अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

Payment of Income Tax by Former Central Ministers

2427. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax outstanding against Shri Sanjay Gandhi ;

(b) the annual amount of income-tax paid by each Minister of the former Central Cabinet on his income wh n holding the office as Cabinet Minister as on 9th February, 1977 ;

(c) the names of former Ministers out of them against whom amount of income-tax is outstanding ; and

(d) the action being taken by Government to ascertain full information about movable and immovable property of these former Ministers ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) Nil.

(b) Details of income-tax paid by such Ministers in respect of assessment years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are given in Annexure I.

(c) Names of such Ministers against whom income-tax demand was outstanding as on 31-3-1977 are given in Annexure II.

(d) Under the Code of Conduct for Ministers, the former Cabinet Ministers were expected to submit statements of their assets and liabilities, annually to the then Prime Minister. Such information is also required to be furnished in the return of net wealth to be filed by every person liable to wealth-tax under the Wealth-tax Act, 1957.

Statement I

	Name of the former Cabinet Minister holding office as on 9-2-1977	Amount of income-tax paid in respect of assessment years 74-75 75-76 and 76-77 Rs.		
		1974-75	1975-76	1976-77
1.	Smt. Indira Gandhi	49940	47081	40250
2.	Shri Y.B. Chavan	6321	9785	8151
3.	Shri Kamlapati Tripathi	The income-tax returns for the three years have not so far been filed.		
4.	Shri Bansi Lal	7895	14523	9553
5.	Shri D.P. Chattopadhayaya	5336	4860	4239*
6.	Shri Hitendra Desai	5660	9114*	12046*
7.	Dr. G.S. Dhillon	5520	6109*	5713*
8.	Shri H.R. Gokhale	21682	4063	2914*
9.	Shri Keshav Deo Malaviya	520	4890*	4719*
10.	Shri T.A. Pai	16232	13791	7809*
11.	Shri Syed Mir Qasim	1482**	1211**	Nil
12.	Shri K. Raghu Ramaiah	11765	12688	9581
13.	Shri K. Brahmananda Reddy	11478†	16203*	17083*
14.	Shri P.C. Sethi	3679	3000*	3432*
15.	Shri Shankar Dayal Sharma	5180	2143	76008
16.	Dr. Karan Singh	95712	107058*	147840*
17.	Shri C. Subramaniam	5686	5999	7485

*Regular assessments for these assessment years are pending. The figures given herein represent pre-paid taxes (*e.g.* tax deducted at source, self-assessment tax etc.)

†A further payment of Rs. 5078 by way of tax deduceted at source is under verification.

**Taxes to be paid by the Government of Jammu and Kashmir.

STATEMENT II

		Remarks
1.	Shri Syed Mir Qasim .	
2.	Shri Kamlapati Tripathi	Some amount is outstanding pending verification of payment under Compuslory Deposit Scheme.
3.	Dr. Karan Singh .	Some demand was outstanding on 31-3-1977, but it had not fallen due for payment on that date.
4.	Shri K. Brahmananda Reddy ;	Some amount was outstanding on 31-3-1977 pending verification of pre-paid taxes.

Reduction of Staff in the Ministry

2428. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether there is now only one Secretary in place of two Secretaries in his Ministry ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to reduce the strength of other posts also *i.e.* Joint Secretary, Deputy Secretary etc.

(d) whether the number of employees in the Ministry and its autonomous corporations is far in excess of the work-load there ; and

(e) the time by which Government propose to effect economy in this regard ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) Prior to June, 1977, there were three Secretaries in the Ministry of Commerce, namely, Secretary (Commerce), Secretary (Foreign Trade), and Secretary (Textiles), Since then the Ministry has been restructured with a view to ensuring better coordination of work and keeping in mind the need for economy. Presently, there are two Secretaries only, namely, Commerce Secretary, who looks after the work of Export Production and Foreign Trade, and Secretary (Textiles), who looks after the work relating to all textiles, including cotton textiles, woollen textiles, man-made fibres and jute textiles. He also looks after the work relating to handicrafts.

(c) No, Sir.

(d) and (e) The work-load of the Ministry and its autonomous corporations are periodically reviewed by the work study units. As per the last report of the Work Study Group, the number of employees in the Ministry of Commerce is not in excess as compared to the work-load. These reviews will continue to be conducted periodically and the staff strength adjusted accordingly, with a view to economise.

Opening of Hotels by ITDC

2429, Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the annual income earned from ITDC hotels in Delhi during the last three years ;

(b) whether the Corporation proposes to open hotels in hill towns and at tourist centres in Agra, Allahabad and Varanasi in Uttar Pradesh ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The ITDC operates 6 hotels in Delhi. The annual total sales turn-over from these hotels during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 was Rs. 832·08 lakhs Rs. 924·95 lakhs and Rs. 1081·43 lakhs (provisional) respectively.

(b) and (c) The Corporation has at present no plans to open hotels at Allahabad and in hill towns in Uttar Pradesh . The Corporation has a proposal to construct at 100-room Reception Centre-cum-Hotel at Agra but on account of constraints on financial resources and other priorities, the implementation of this project has been deferred for the time being. At Varanasi, the Corporation is already running a 50-room hotel since September 1973.

आयात व्यापार नियंत्रण के फरीदाबाद कार्यालय द्वारा आयात लाइसेंस जारी करना

2430. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात व्यापार नियंत्रण के फरीदाबाद कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना संख्या 140/70, दिनांक 11 सितम्बर, 1970 के अन्तर्गत कुछ पार्टियों को टिन प्लेट अथवा टिन प्लेट डब्ल्यू०, डब्ल्यू० के लिये कुछ अतिरिक्त आयात लाइसेंस दिए थे यद्यपि उक्त सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत उस मद के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती थी ;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किसे दिये गये तथा प्रत्येक लाइसेंस का मूल्य क्या था;

(ग) क्या अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई;

(घ) क्या उन पर कोई मुकदमा चलाया गया ; और

(ङ) क्या उन पार्टियों के नियमित लाइसेंसों में कोई समायोजन किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) फरीदाबाद कार्यालय की सदाशय गलती की वजह से कुछ मामलों में टिन प्लेट वेस्ट छीजन आयात की अनुमति यह क्योंकि यह मद सार्वजनिक सूचना में गैर-अनुमेय रूप में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई थी । इसकी अनुमति न देने का विनिश्चय बाद में लिया गया था ।

(ख) 1.	मैसर्स एरो इंजीनियरिंग वर्क्स लुधियाना	रुपया	23,63,995/-
2.	मैसर्स जीवन इंजीनियरिंग वर्क्स, लुधियाना	रुपया	26,89,827/-
3.	मैसर्स जिको इंजीनियरिंग वर्क्स, लुधियाना	रुपया	2,29,292/-
4.	मैसर्स एस० टी० सी० इंडस्ट्रीज, लुधियाना	रुपया	16,51,615/-

टिन प्लेट वेस्ट छीजन इन लाइसेंसों के अधीन अनुमति प्राप्त 10-12 इस्पात मदों में से एक थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी हां । दो मामलों में पूरी तरह से समायोजन किए जा चुके हैं और बाकी दो मामलों में आंशिक समायोजन किए गए हैं । बाद के दो मामलों में समायोजन तब पूरे किए जाएंगें जब ये पार्टियां और आगे लाइसेंस लेने के लिए आएंगीं ।

एशियन केबल कम्पनी

2431. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन केबल कम्पनी लगभग डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की आयातित वस्तुओं के भारी कालाबाजार में अन्तर्ग्रस्त थीं ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक मालिकों तथा दोषी व्यक्तियों, जिन्हें इस कालाबाजारी से लाभ हुआ था, के विरुद्ध अब तक क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी की भूतपूर्व सरकार अपने दलगत चुनाव खर्चों के लिए इस काले धन से भारी राशियां प्राप्त करती रही थी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सुनिश्चय करने का है कि आयातित वस्तुओं के काला बाजार से वस्तुतः लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को यथासंभव कठोर दण्ड दिया जाए ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०/ 588 77]

(ग) इन तथ्यों का उपलब्ध रिकार्डो से पता लगाना संभव नहीं है ।

(घ) सरकार उनके विरुद्ध गंभीर कार्यवाही करेगी, जो आयातित वस्तुओं का दुरुपयोग करेंगे ।

Balance of Trade

2432. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether trade surplus of Rupees seventy two crores in foreign trade depends on revenue figures from custom duty ; and

(b) whether the position of profit in the current balance of foreign trade would continue during the year 1976-77 after excluding the amount of foreign exchange remitted by the Indians residing abroad, and if so, the amount thereof ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The trade surplus of Rs. 72 crores is on merchandise account and is based on customs data.

(b) The above surplus on merchandise account excludes the foreign exchange remittances by Indians residing abroad.

Inflation due to withdrawals from Reserve Bank of India

2433. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn by way of loan a sum of Rs. 850 crores from the Reserve Bank of India during the period from 25th March to 13th May, 1977 ;

(b) whether only a sum of Rs. 671 crores was taken during the same period in 1976 ;

(c) whether this has pushed up inflation resulting in 3·2 per cent increase in the price of primary products ;

(d) whether the prices are likely to go up by more than 20 per cent by the end of the year in case this tendency continues ; and

(e) if so, the measures proposed to be taken by Government to check this ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Batel) : (a) and (b). The Reserve Bank of India's net credit to the Government (Centre and States) recorded an increase of Rs. 850 crores between March 25 and May 13, 1977 as compared to an increase of Rs. 671 crores during the corresponding period last year.

(c) The wholesale price index of primary articles increased by 3·8 per cent between March 26 and May 14, 1977 as against an increase of 7·1 per cent in the comparable period in the previous year.

(d) and (e). There is no direct relationship between the increase in Reserve Bank credit to Government and the increase in the price level of primary commodities. The Government maintains a close watch on price situation and suitable measures are taken as and when situation demands.

India's Share in World Exports

2434. Shri Ramanand Tiwary : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the percentage of India's share in the world exports during the year 1976-77 ;

(b) whether the percentage of India's share in the World exports has been continuously going down since 1963 itself ; and

(c) if so, the efforts being made by Government to check it and the time by which improvement in the position is expected ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) In the period between January-September, 1976, the latest period for which data is available, India's share in the world exports was 0·57 per cent.

(b) India's share in world exports has been continuously going down from 1·2 per cent in 1963 to 0·51 per cent in 1974. However, thereafter our share has started gradually improving.

(c) Among the measures taken by the Government to check the decline in India's share, mention may be made of market development assistance, duty drawback, cash compensatory support, provision of export finance at concessional rates for longer periods. Liberal import licensing for strengthening the production base of export oriented industries, identification of area and items with export potential etc. Import of inputs and raw materials as also machinery, spares and components have been liberalised. Special emphasis is being placed on the products and exporters of small scale sector. The share in world trade of a country like India, which is substantially dependent on primary and traditional exports, will continue to be low until better diversification is achieved.

Foreign Trade by Central Silk Board

2435. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the progress made by Central Silk Board in regard to foreign trade during the last three years ; and

(b) the additional measures being taken to improve the functioning of Central Silk Board after assessing its performance

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The table below shows the export earnings from natural silk products during the last three years :—

Year	Export earnings
	(Rs. in crores)
1974—75	12.66
1975—76	17.52
1976—77	23.87

(b) Additional measures under consideration are :

(i) to strengthen and reorganise the Secretariat of the Central Silk Board ;

(ii) To strengthen and expand the research, training and extension work of the Research Institutes of the Central Silk Board.

(iii) to introduce and Implement Centrally sponsored intensive sericultural developmental schemes to increase the production of raw silk, in the country.

These measures are expected to improve the functioning and performance of the Central Silk Board. With a view to initiate these measures the plan outlay for sericulture has been increased to Rs. 4 crores for 1977·78 as against of Rs. 2 crores for the year 1976-77.

Non-provision of Facilities to Employees of Ayodhya Textile Mill in N.T.C. (D.P.R.)

2436 **Shri R. D. Ram :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether some employees of Ayodhya Textile Mill have been posted in the Head Office of National Textile Corporation (D.P.R.).

(b) whether they are not being given pay scale and other facilities even now ;

(c) whether other employees, who have been appointed after the posting of these employees, are being provided with many facilities ; and.

(d) if so, the reasons for making this discrimination ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) Out of the 12 employees transferred to the National Textile Corporation (Delhi, Punjab and Rajasthan) Limited, two employees have already been extended the pay scales of the Corporation. The cases of the remainng 10 employees are under consideration. In the mean time they are allowed to have their original emoluments.

(c) Some of the employees appointed after the posting of employees on transfer from Ayodhya Textile Mills have been given the prescribed scales of pay in the Corporation.

No extra facility is allowed to them.

(d) Does not arise.

इण्डियन एयर लाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विमान परिचारिकायें

2437. **श्री के० रामर्मूति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग, विमान परिचारिकाओं की राज्यवार संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

राज्य	विमान परिचारिकाओं की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(1) आंध्र प्रदेश	5	–
(2) मेघालय	——	6
(3) असम	3	1
(4) पश्चिम बंगाल .	10	13
(5) हिमाचल प्रदेश .	1	1
(6) मध्य प्रदेश . . .	1	1
(7) महाराष्ट्र	15	3
(8) पंजाब .	2	——
(9) तमिल नाडू . . .	——	2
(10) उत्तर प्रदेश . .	1	——
(11) दिल्ली .	7	——
(12) मिजोरम	——	2
(13) गुजरात . .	2	——
(14) कर्णाटक	1	——
	48	29

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : महोदय, उस मामले का क्या हुआ जिसे मैं उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र आधा घंटे पहले ही मिला है । पत्र सभा पटल पर रखे जाने के बाद आपको मैं अनुमति दूंगा । लेकिन यह बहुत गलत उदाहरण रखा जायेगा । कोई भी मझे कल कागज भेज कर किसी भी सूचना के बगैर चर्चा करना चाहेगा । मैं आप को कल समय दूंगा । लेकिन अगर आप आज ही चर्चा करना चाहेंगे तो यह गलत उदाहरण होगा ।

(**व्यवधान**)

अगर सभी लोग जोर-जोर से बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा । मैं तो मंत्रीजी को सूचना ही दे सकता हूं । उत्तर उन्होंने ही देना है ।

(**व्यवधान**)

आप बैठ जाइये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई के कार्यकरण की समीक्षा, महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा, महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां आदि

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष, 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 561/77]

(दो) (क) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 562/77]

(3) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नाशीकीटमार तथा उसके निरुपणों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1242 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) ढले लोहे से बने नालों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1270 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) चीनी मिट्टी के स्वच्छता उपकरणों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां आ० 1553 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 11 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1888 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल० टी० 563।77]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I beg to lay on the Table:

A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Health and Family Welfare for 1977-78.

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 564 77]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां, केन्द्रीय उत्पाद तथा लवण अधिनियम, 1944 के अधीन अधिसूचनायें और व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त और राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक ग्राफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य-करण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छ:) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) यूनाइटेड बैंक ग्राफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्राठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक ग्राफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक ग्राफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य करण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 565 77]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1984 से 1996 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 566 77]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (14वां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 281 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (14वां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 316 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 567 77]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 310 (ङ) और 312 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 568 77]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 362 (ङ) से 383 (ङ) जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सा० सां० नि० 387 (ङ) जो दिनाक 20 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय मे रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी 569 77]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 771 जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 280 (ङ) जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 282 (ङ) से 309 (ङ), 311 (ङ), 313 (ङ) से 315 (ङ) और 317 (ङ) से 361 (ङ) जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 570 77]

(7) अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 282 (ङ) से 383 (ङ) जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 571 77]

वर्ष 1977–78 के लिए ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(8) वर्ष 1977–78 के लिए ऊर्जा मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 572, 77]

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तम्बाकू बोर्ड

श्री मोहन धारिया : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

श्री मोहन धारिया : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अ यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री वयालार रवि (चिरंदिकील) : एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे स्वयं उठा रहा हूं।

श्री वयालार रवि : श्री एस० बी० चव्हाण और श्री पी० के० सावंत के बीच वार्ता हुई है। (**व्यवधान**) यह बात महत्व की हो गई है क्योंकि सरकार दल बदल को रोकने का विधेयक ला रही है। परन्तु स्वयं प्रधान मंत्री दल बदलुओं को उत्साहित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले ऐसे उठायेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं। कि शून्य काल में समय न लगाया जाये। सभा के प्रत्येक मिनट का उचित उपयोग होना चाहिये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैंने नियम 377 के अधीन एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सूचनाएं जो प्राप्त हुई है, मेरे पास हैं।

श्री समर मुखर्जी : महोदय, एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। मुझे कई ध्यान आकर्षण और अल्प सूचना प्रश्न प्राप्त हुए हैं। फरीदाबाद में झगड़े के बारे में मुझे 20 सूचनाएं मिली हैं। यह मामला राज्य सरकार का है। वहां कत्ल हुआ है। **(व्यवधान)** हत्या तो हत्या है चाहे किसी की हो। यदि राज्य में कोई घटना घटती है तो विधान सभा में विपक्षी दलों को चाहिए कि वहां मामला उठायें। यहां अपराध और झगड़ा हरियाणा में हुआ है। इसलिए मैंने इस पर चर्चा के लिए अनुमति नहीं दी।

श्री वसंत साठे (अकोला): मैं मामले को आज उठा दूंगा। सरकार चाहे अपनी स्थिति कल ही स्पष्ट करे।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह आज ही कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें कल अवसर नहीं दूंगा। आप इस मामले को कल क्यों नहीं उठाते। कल इसे नियम 377 के अधीन उठाया जा सकता है। पर यदि आज ही उठाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री वसंत साठे : मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सूचना मेरे पास है। मैं इसे मंत्री जी को भेज दूंगा। यदि वह इसका कल जवाब दें तो ठीक है नहीं तो मैं उसे नियम 377 के अधीन गृहीत कर लूंगा जो मेरे अधिकार में है।

अनुदानों की मांगें 1977–78—जारी
DEMANDS FOR GRANTS 1977-78—Contd.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय—जारी

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण बात सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। कृषि में सिंचाई और पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई वर्षों से हम विभिन्न नदियों को जोड़ने की बात पर विचार करते आ रहे हैं। लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है और भयंकर क्षति होती है। कई बार सुझाव दिया गया है कि गंगा को कावेरी के साथ नहरों के माध्यम से जोड़ने से न केवल बाढ़ बल्कि सिंचाई की समस्या भी हल हो जायेगी।

यह बहुत बड़ी योजना है जिस पर अत्यधिक व्यय होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इस पर विचार करके सिफारिश की थी कि इसे क्रियान्वित करना सम्भव है। रिज़र्व बैंक आर्थिक

1966 एल० एस —7

[श्री वसंत साठे]

सहायता देने को तैयार है। हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति है। यदि हम इसका उपयोग करें और देश का 60 प्रतिशत भाग को सिंचित कर पायें तो खाद्य समस्या हल हो जायेगी। आज हम केवल 26 प्रतिशत भाग की सिंचाई करते हैं।

इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो जायेगी। इतनी जनशक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए हमें गंगा कावेरी योजना को पूरा करना चाहिए। महाराष्ट्र में एकाधिकार रुई योजना है। यह अच्छी योजना थी जिसके अनुसार कृषकों को न्यूनतम मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित था। अब पता चला है कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से पैसा न देने की बात कही है। इसके लिए बहाना यह किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की एकाधिकार योजना से बड़े रुई उत्पादकों को ही लाभ हुआ है। यह बात गलत है। महाराष्ट्र में शुष्क खेती होती है और यहां अधिकांश छोटे तथा मझले कृषक हैं जिनकी नकदी फसल रुई है।

इस बारे में बताया जाये कि सरकार की नीति क्या है। यदि महाराष्ट्र को सहायता न दी गई तो रुई उत्पादकों को बहुत हानि होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*.]

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : Sir, for the last thirty years we have not been spending on agriculture as much as it should have been spent. That is why even now 80 per cent of our population depends on agriculture and we are not able to feed our entire population.

There is no doubt that the land of our country is very fertile. Climate is also conductive to production and we can harvest many crops. Our production capacity is much more. The labour is hard working. But because our policies were faulty so we have not succeeded in developing our agriculture.

Our irrigation potential has not increased to the desired extent. We have not provided irrigation facilities for all the crops. There are many dams which depend on rains. If we want to increase the agricultural production, we will have to irrigate every inch of our land.

For this purpose we should lay more emphasis on minor irrigation schemes. These will be less expensive and the farmers will derive the maximum benefit.

The previous Government was a puppet in the hands of bureaucracy.

It will be better if we give priority to the small schemes. They will require less capital and yield quicker results.

Along with irrigtion. fertilizers also very necessary for agriculture. If their prices go up, naturally the cost of production also goes up. During the last two years, the prices of fertilizers have beeome almost prohibitive. This is evident from the fact that the consumption of fertilizers have gone down. If the prices of fertilizers are not reduced, it will possible to develop agriculture.

So far as the question of prices of foodgrains is concerned, great injustice has been done to the farmers. While fixing the prices of foodgrains, the Agricultral prices Commission does not keep in view the cost of production. Accordingly, the farmers do not get remunerativs prices for their produce and their economic condition has become very week. If we want to improve their lot, we will have to lay down a policy in regard to prices of agricultural production.

It is also very necesary to lay emphasis on agricultural research. In other countries, agricultural research gets top priority. But in our country the position is very pitiable. The working conditions in the Indian Council of Agricultural Research are far from satisfactory and that is why one research Scientist, Shri Shah commited suicide. It is time for the Government to pay attention to it and take some remedial measures.

श्रीमती रशीदा हक चौधरी (सिलचर) : कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है। हमारा विकास समग्र रूप से कृषि उत्पादन पर निर्भर है। आसाम मुख्यतः कृषि-प्रधान क्षेत्र है। हालांकि वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है, फिर भी भयंकर बाढ़ों के कारण वहां के किसानों को लाभ नहीं होता। ब्रह्मपुत्र घाटी में काफी बाढ़ें आती हैं और लगभग हर वर्ष भूमि कटाव होता है।

अपर आसाम के जोरहाट सब-डिवीजन में हाल की भयंकर बाढ़ों से कई व्यक्ति मर गए हैं और मुर्गी तथा कृषि उत्पादन और खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

वरक नदी कछार के लोगों के लिए दुख देने वाली नदी है। वर्ष 1976 में कछार जिले का आधे से भी अधिक भाग कई महीनों तक जलमग्न रहा जिसमे जिले को काफी नुकसान हुआ। इस वर्ष मौनसून जल्दी शुरू हो गया है और खड़ी 'बोरों' फसल बिल्कुल बरबाद हो गई है।

हर वर्ष राज्य सरकार बाढ़ से हुए आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए राशि का आवंटन करती है, लेकिन यह राशि हमेशा कम रहती है।

इस क्षेत्र की नदियों में गाद जम जाने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे नदियों की बाढ़ वहन करने की शक्ति काफी कम हो जाती है।

आसाम जैसे निर्धन राज्य के लिए समस्या को हल करना तो दूर उसे छूना ही असम्भव है। अतः केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

कछार जिले में वरक बांध परियोजना के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि वहां के लोगों को बाढ़ प्रकोप से बचाया जा सके।

श्री चरण नरजरी (कोकराझार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। खेद की बात है कि मार्च, 1975 से अब तक आसाम में लगभग 10 हजार आदिवासी किसान परिवारों को उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना बेदखल कर दिया गया। आपात-स्थिति से पूर्व एवं आपात स्थिति के दौरान तथा उसके बाद भी इन लोगों ने अकथनीय अत्याचार सहे हैं।

दारंग के तथाकथित गोहपुर रिजर्व वन क्षेत्र में से 2000 आदिवासी किसान परिवारों को बेदखल किया गया। गोलपाड़ा जिले के कोकराझार सब-डिवीजन में हालटुगांव वन प्रखंड में लुनसुंग, अमटेका, बंगटोल में 3000 आदिवासी परिवारों को बेदखल किया गया और बेदखली में आसाम सशस्त्र पुलिस बटालियनों तथा आसाम होम गार्डों की सहायता ली गई। गरीब आदिवासियों के मकान जला दिये गये, उनकी औरतों को छेड़ा गया, उनकी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और लूटा गया और उनको इधर उधर छितरा दिया गया।

अब भी वे बिना सहारे, अन्य एवं कपड़े के रह रहे हैं। इन बेदखल किये गये आदिवासियों में से 200 व्यक्ति जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, विभिन्न बीमारियों के कारण मारे गये हैं। यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो मेरा यहां रहना व्यर्थ है। मेरे पास त्याग-पत्र देने और वापिस चले जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह जाता।

बेदखली का कारण यह बताया गया कि ये लोग रिजर्व वन प्रान्त पर अवैध कब्जा किए हुए थे। लेकिन वास्तव में यह क्षेत्र नाम मात्र से वन क्षेत्र है। वहां कोई उपयोगी वृक्ष नहीं है। क्षेत्र में केवल धान की खेती हो सकती है।

[श्री चरण नरजरी]

आसाम सरकार ने राज्य में भूमिहीन किसानों की समस्या हल करने के लिए कृषि फार्म निगम बनाये। इन पर करोड़ों रुपये व्यय किय जा चुके हैं। लेकिन एक भी निगम कार्य नहीं कर रहा।

हजारों किसान परिवारों की बेदखली तथा अन्य कमजोर वर्गों की समस्या का अनुमान लगाने के लिए कृषि मंत्री को संसदीय समिति गठित करनी चाहिए। यदि कृषि मंत्री राज्य सरकार से कुछ रिपोर्ट मांगें तो उन्हें नहीं मिलेगी। राज्य सरकार केवल झूठे सच्चे आंकड़े देगी जिससे सरकार समस्या को हल नहीं कर पाएगी।

आसाम राज्य में भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि सीमा कानून बनाये थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका क्रियान्वयन मौके पर जाकर जांच किए बिना किया गया। परिणामस्वरूप राज्य में एक नया वर्ग पैदा हो गया। जमींदारों से तो भूमि नहीं मिली और छोटे किसानों से उनकी भूमि छीन ली गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी (नटसापुर) : भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है अतः कृषि का प्रमुख स्थान है। ऐसी अफवाह है कि जनता सरकार उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं का उत्पादन कम करेगी। यदि यह सही है तो यह कृषि के क्षेत्र के लिये विनाशकारी कदम होगा।

हालांकि सरकार ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनके परिणामस्वरूप काफी एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकी है फिर भी तथ्य यह है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अब भी हुआ है क्योंकि इसे मौनसून पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः जिन क्षेत्रों में इस समय सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां छोटी तथा मध्यम दर्जे की योजना शुरू करने के लिए राज्यों को अधिक सहायता दी जानी चाहिए। अब भी कई एकड़ उर्वरक भूमि असिंचित पड़ी है क्योंकि वर्ष भर बहने वाले पहाड़ी झरनों एवं पहाड़ी नदी नालों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। यदि इनका प्रयोग किया जाए तो काफी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इन योजनाओं पर लागत भी कम आएगी और इनका विस्तार बड़े क्षेत्रों में किया जा सकेगा।

आधुनिक कृषि तकनीकों के क्षेत्र में तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन प्रशिक्षित युवकों को रोजगार मिलेगा जिन्हें नौकरी की तलाश में शहरों में या विदेशों में जाना पड़ता है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है और 87 प्रतिशत लोग कृषि से आजीविका कमाते हैं। अतः सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को कम करने का कदम कृषि क्षेत्र से ही उठाया जा सकता है। अतः कृषि मत्री किसानों एवं जमींदारों के बीच की खाई को पाटने के लिए भूमि सुधार कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अविलम्ब रचनात्मक कार्यवाही करें।

जहां तक गन्ने के मूल्य निर्धारण की जोनल प्रणाली का संबंध है, विभिन्न जोनों को दी जाने वाली राशि के निर्धारण में काफी विषमताएं हैं। वस्तुतः इस प्रणाली से देश के कुछ हिस्सों के किसान प्रोत्साहित हुए हैं। हमें एक ही मूल्य निर्धारित करना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के बीच किये जा रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए।

इस समय मंडी में कृषि उपकरणों के मूल्य काफी ऊंचे हैं। कर लगाने से ये उपकरण और भी महंगे हो गये हैं अतः इन उपकरणों को कर-मुक्त किया जाना चाहिए। कृषि उपकरणों का मूल्य कम करना जरूरी है ताकि वे औसत सीमान्त कृषक को आसानी मे मिल सकें। किसान को उत्साहित करने के लिए तथा उसे अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि-आधारित उद्योगों को उत्साहित करना चाहिए।

श्री एस० ननजेश गौडा (हसन) : गत 30 वर्ष में हुए विकास कार्यों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु इन सबके बावजूद बहुत से गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक में ही ऐसे 5000 गांव हैं जहां पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। चार पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने पर भी पिछली सरकार केवल 110 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था कर सकी और उसने इसके लिये 3020 करोड़ रुपया खर्च किया। जनता सरकार ने 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा देने के लिए 3080 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 10 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर भूमि की भूमिगत जल से भी सिंचाई की जा सकती है। मंत्री महोदय आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

अब तक की योजनाओं में गांवों की उपेक्षा स्पष्ट है क्योंकि उनकी अवस्था पहले की अपेक्षा गिरी ही है। उनकी भलाई के लिए बहुत कम किया गया है। अतः मंत्री महोदय देश के गांवों की ओर अधिक ध्यान दें।

केवल कुछ ही गांवों को ये सुविधायें उपलब्ध हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या, जो कि किसान हैं और में रहते हैं, को ये सुविधाएं उपलब्ध हीं हैं। गांवों में योजना कायक्रमों, लक्ष्यों तथा निष्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह गांवों की ओर विशेष ध्यान दें। हमारे किसानों को सिचाई सुविधायें, ऋण तथा समय पर बीज आदि उपलब्ध किया जाना चाहिये। जब कभी किसान को इन सब सुविधाओं की आवश्यकता होती है तो उसे विभिन्न कार्यालयों की खोक छाननी पड़ती है। किसानों को सिचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है।

15—20 वर्ष पूर्व मेरे राज्य कर्नाटक में लगभग 20 छोटी बड़ी परियोजनायें आरम्भ की गई थीं किन्तु उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये। इन परियोजनाओं के पूरा होने में कई जल विवाद उठ खड़े हुये हैं। इन जल विवादों को शीघ्र हल किया जाना चाहिये।

अतः खाद्य समस्या तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि देश में सिचाई की पूरी सुविधायें उपलब्ध की जायें। इससे हमारे कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी मिलेगा। इतना ही नहीं इससे गांवों की और तत्पश्चात समूचे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

कहा गया है कि कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में जोनल प्रणाली दूर करने से कुप्रभाव बढ़ेंगे। और व्यापारी इसका लाभ उठायेंगे। दो वर्ष पूर्व बहुत अच्छी फसल हुई थी किन्तु क्षेत्रीय प्रणाली की वजह से उस समय जवार को एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं ले जाने दिया गया जिससे कि लोगों को अपना जवार 40 रुपये प्रति क्विटल बेचना पड़ा। बोते समय ज्वार 180 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था।

[श्री एस० ननजेश गौडा]

कावेरी को गंगा से मिलाने का जो रचनात्मक सुझाव दिया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजन पर विचार करें।

अब मैं कॉफी, चाय काली मिर्च आदि के बारे में कहना चाहूंगा। कॉफी से बहुत सी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। किन्तु समस्या यह है कि सी० आर० सी० प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य कलेक्टर या उपायुक्त को सौंपा गया है जिनके पास पहले अधिक कार्य होता है। एक ही जिले में सी० आर० सी० प्रमाणपत्र जारी करने में लगभग 1000 मामले निलम्बित पड़े हुये हैं। यह कार्य कॉफी बोर्ड का सौंप दिया जाना चाहिये। मुझे बताया गया है कि काफी में सुधार करने की एक योजना योजना आयोग के पास है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना को यथाशीघ्र संभव कार्यान्वित किया जाये।

योजनायें दिल्ली में बनती हैं किन्तु ये गांवों तक कभी नहीं पहुंचती। मेरा आपसे निवेदन है कि आप गांवों में राजस्व निरीक्षक, या जूनियर इंजीनियर को अपेक्षित सुविधायें प्रदान करें जिससे कि वह इन योजनाओं को कार्यर्यान्वित कराने में पूरा सहयोग दे सकें।

श्री पी० के० कोडियान (अडूर) : वर्तमान सरकार ने विकास कार्यों में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की स्पष्ट घोषणा की है। इस पर ठोस रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये। किन्तु बजट प्रस्तावों से यह स्पष्ट नहीं होता। सरकार ने वर्तमान कृषि व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने की सर्वथा उपेक्षा की है। अधिकतम भूमि सम्बन्धी कानूनों को लागू करने की दिशा में पिछली सरकार ने भी कोई अधिक प्रगति नहीं की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्त मंत्री के भाषण में भी कृषि अर्थ व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

ग्रामीण समस्याओं को हर करते समय वहां की वास्तविकताओं, वहां की विद्यमान दशा और कृषि अर्थव्यवस्था की असाधारणता पर भी विचार किया जाना चाहिये। भारतीय कृषि की एक समस्या यह यह भी हैं कि यहां छोटी-छोटी जोतें हैं और खेत बिखरे हुये हैं। अतः छोटे और सीमन्त किसानों को हर आवश्यक सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। जिससे कि वह अपना व्यवसाय चालू रख सकें। आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वर्तमान ऋण व्यवस्था उनके अनुकूल नहीं है। कृषि के लिए आवश्यक खाद, बीज आदि उन्हें समय पर नहीं मिलते। उनका शोषण उत्पादक के तौर पर ही नहीं वरन् खरीददार के रूप में भी किया जाता है। फसल के समय जान कर मूल्य कम रखे जाते हैं और किसान को मजबूरन कम मूल्य पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। जनता सरकार उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर विचार करे और उनके हितार्थ नीति में परिवर्तन करे। जब तक आप अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक किसानों का भला नहीं होगा।

जब आप योजनायें तैयार करते हैं और ग्राम विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं तो लाखों किसानों का हित ध्यान में रखा जाना चाहिये। योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में उनसे भी सहयोग लिया जाना चाहिए। प्रायः इन योजनाओं को नौकरशाही के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। किन्तु किसानों को भी इन कार्यों में हाथ बंटाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए पहले की अपेक्षा अधिक राशि का आवंटन किया गया है । यह कृषि प्रधान बजट है ।

मध्य प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य समस्या पीने के पानी की है । अधिकांश गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । उन्हें 5 से 7 किलोमीटर तक की दूरी से पानी लाना पड़ता है । इस क्षेत्र का विकास किस ढंग से किया जायेगा । सरकार इसके लिए कौन सी व्यवस्था करने जा रही है । सौभाग्य की बात है कि कुछ क्षेत्रों में जनता सरकारें बन गई हैं । गरीब किसानों की आवश्यकताएं पूरी हों इसके लिए समन्वित रूप से मिल जुलकर प्रयास किये जाने चाहिये ।

लघु सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं किन्तु उन्हें अभी भी आरम्भ नहीं किया गया है । इस अल्प विकसित क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । यहां पर बिजली भी नहीं पहुंचाई गई है और बहुत से गांवों से नलकूप भी नहीं हैं । केवल राशि के आवंटन करने से काम नहीं चलेगा, अपितु इसके लिए कारगर ढंग में योजना बनानी भी आवश्यक है । मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि वह राज्य सरकारों के परामर्श से एक सर्वेक्षण समिति या सतर्कता समिति का गठन करें, जिसमें संसद् सदस्य तथा विशेषज्ञ भी हों । यह समिति यह देखे कि किस तरह किसानों तक पहुंच कर उनके लिए साधन जुटाए जायें । समेकित ग्रामीण विकास अर्थ पूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिये ।

दस्तूर योजना एक अति-महत्वाकांक्षी योजना है । आने वाले वर्षों में जब हम कुछ प्रगति कर लें उसके बाद हम उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने की बात सोच सकते हैं । वर्तमान समस्या तो लघु सिंचाई परियोजनाओं की है । इस सतर्कता या सर्वेक्षण समिति का यह उत्तरदायित्व होना चाहिये कि कृषि विभाग के कर्मचारी वास्तविक रूप से कार्य करें । आशा है कि आने वाले वर्षों में हम अल्प विकसित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके हम उन्हें देश के अनाज भंडारों में परिणत करने की ओर अग्रसर होंगे ।

मत्स्य पालन भी सहायक भोजन का एक बड़ा स्रोत है : गहरे समुद्र में या बीच समुद्र में मछली पकड़ने की योजनायें मच्छेरों के लिए बनाई गई हैं । किन्तु ये योजनायें उनके लिए उपयोगी नहीं हैं । उन्हें यांत्रिक नौकायें आदि देकर ही उनकी कठिनाई दूर नहीं हो जाती । उनकी मुख्य कठिनाई तो यह है कि उन्हें प्राप्त होने वाले समुद्री खाद्य के विक्रय और उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी चाहिये । मछलियों के निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है किन्तु बेचारे मछेरों को कोई लाभ नहीं पहुंचता । मछली पकड़ने से लेकर उसके विपणन तक उन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं है ।

मीठे पानी में मछली पकड़ने के बारे में एक परीक्षण किया गया था । वहां हमने इस प्रयोजनार्थ मीठे पानी में मत्स्य बीजारोपण किया तथा कुछ तालाबों तथा नदियों का विकास भी किया और यह योजना सफल भी हुई है ।

Shri Hargovind Verma (Sitapur) : It is for the first time that Government have made the largest budget allocation for the development of agriculture. There is no dearth of land in the country but the main fact is that land has not been equitably distributed.

In order to bring about speedy development of agriculture and the rural economy, irrigation facilities have to be increased and the Government should see that the investments made in this connection give good dividends.

Then the farmers should be given fertilizers at cheaper price. The prices of fertilizers should be brought down so that even the small farmers could afford to use them. Measures should also be taken to provide improved seeds to farmers at cheaper rates.

Government should also ensure that the farmers get remunerative price for their agriculture produce.

Government should also withdraw the taxes imposed on agricultural implements.

The means of transport and communications should be improved in rural areas. Special attention should be paid to the improvement of roads in villages to facilitate the movement of foodgrains and other commodities.

Steps should be taken to provide credit to farmers at cheaper rates of interest.

Government machinery should be properly utilised to obtain the best results from the expenditure of budget allocations for agriculture development. The Minister should pay special attention to see that the fund allocated for a particular purpose are utilized in the best possible manner.

***Shri Lahanu Shidava Kom** (Dahanu) : In our country there is a large number of agricultural workers and small farmers. They are the most exploited section of our society. Our agricultural production largely depends on these people. In order to increase our agricultural production we should improve their lot. This problem cannot be solved till land is distributed among the landless.

Banks were nationalised to provide credit facilities to small farmers and landless people, but these people do not get any help. Big farmers take advantage of credit facilities provided by these banks. To some extent medium farmers are benefited. Small farmers have to take loan from money lenders and they lose their land in paying off their debts.

Minimum wages fixed for agricultural workers by the States under the Minimum Wages Act are very low. Although cost of living has gone up their wages have not been raised correspondingly. Agricultural workers in Thana District of Maharashtra are going on strike, as their wages are lower than those of workers in Gujarat and Nagar Haveli. Their wages should be increased.

During emergency Maharasthra Government had given an assurance that land which have been taken away from the tribals will be restored to them. But that assurance has not been implemented so far. Not only this but even the law relating to restoration of adivasi's land has been abrogated. The Minister should take steps to see that these adivasi's land which had been occupied by landlords are restored to them.

The Government have always been saying that they are doing a lot for improving agriculture. But the fact is that our agriculture mainly depends on rainfall. If there is good rainfall our production is good, but if there is unsatisfactory rainfall our production also falls and the poor farmers is ruined.

There is lot of good forest land under the control of Adivasi Department of Maharashtra. But in the name of preservation of forests that land has not been given to the Adivasis. After an agitation by adivasis of Thana district 40 thousand acres of land has given to them.

They are required to sell their products at lower prices whereas they have to buy their requirements at higher prices. Onion producers hardly get 20-25 paise per kilogram whereas businessmen earn hundreds of rupees per quintal. This loot of the farmers should be stopped.

*मराठी में दिये गये भाषण के हिन्दी अनुवाद का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on Hindi version of the speech delivered in Marathi.

The problem of distribution of land should also be solved. It would be necessary to establish committees of landless farmers so that it may find out lands c ncealed by Zamindars. These committees will make the land records upto dat‵.

I hope that the Janata Government would remove the deficiencies of the formerco ngress Government.

Shri D.N. Tewari (Gopalganj) : The Ministry of Agriculture has various departments *viz*. Food, Agriculture and Scientific Research. There are a lot of malpractices in the sphere of Agricultural Research. Long back Dr. Shah had committed suicide. After that Gajendragadkar committee was appointed but the report of that committee was not implemented. The Hon. Minister should state the reasons for not implementing that report. During discussions on the report in both Houses of Parliament it had been pointed out that the attitude of the Research Institutes is such that the atmosphere in these institutes has no congenial atmosphere for Research.

Scientific research should be based on precise data. But in I.C.A.R. no attention is paid to the fact whether data is correct or not. There are certain highs ups in the Administration who present the wrong data in order to achieve their selfish ends. I, therefore, stress upon the hon. Minister to fully implement the Gajendragadkar report. If that is not done incidents like suicide of Dr. Shah would recur when the frustration among the scientists increases suicides do take place.

The Minister should go into the whole matter and take measures to remedy the situation. Some scientists have got awards, though they do not deserve it.

Gandak Project has been under execution from the last 15 years. In the beginning it was estimated that the project would cost Rs. 64 crores. But now the estimate has gone beyond Rs. 200 crores. whatever work has been done on the project is causing harm instead of good steps should be taken to complete this project early. Large sums are being spent on the staff and the actual work is very slow.

Small farmers cannot afford to purchase tractors. In every block two tractors should be provided so that the small farmers could avail of those tractors by making small payments. There should be stores of seeds and fertilisers also at the block level to meet the needs of farmers. Where there are canals but no command areas there tube wells should be provided for irrigation. The farmers should be provided credit facilities.

Soil testing is very important.

Farmers should be told as to which land is suitable for cultivation of a particular crop. It will be of great benefit to the farmers.

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग): इस वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन का 12 करोड़ 50 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु यह भी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है और हमें 200 करोड़ रुपए के अनाज का आयात करना होगा। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें नई कृषि नीति अपनानी पड़ेगी। हमें उचित कृषि आयोजना, फसल पद्धति अपनानी होगी तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास करना होगा। खाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं आदि की व्यवस्था करनी होगी।

हमें पिछड़े, सूखाग्रस्त और पहाड़ी इलाकों का भी विकास करना होगा। हमें बाढ़ों को रोकना चाहिए और कृषि पर आधारित उद्योग चालू करने चाहिए।

हमें पानी की उपलब्धता, भूमि की उर्वरकता तथा प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार कृषि के विकास की योजना बनानी चाहिए। हमारे किसान अनपढ़ हैं। वे पुराने तरीके ही अपनाये हुए हैं। हमें उनको आधुनिक ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए।

हमारे किसान बड़े पुरातनपन्थी हैं। वे धान, ज्वार और अन्य फसलें उगाते हैं। इस कारण भूमि की उर्वरकता कम हो रही है। मंत्री महोदय फसल पद्धति लागू करने का प्रयत्न करें।

कृषि के लिए सिंचाई का बहुत महत्व है । मंत्री महोदय को सिंचाई सुविधाओं के उपलब्ध करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

अनेक अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद उठ खड़े हुए हैं । इन विवादों पर ध्यान देना चाहिए । चित्रदुर्ग के लाल्लुक तालुक की अनदेखी क्यों कर दी गई है ? यह एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है । इसे डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है । यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ ताल्लुक है । हिरीपुर ताल्लुक को भी उक्त कार्यक्रम में शामिल किया जाये ।

रायल सीमा में डेरी विकास योजना आरम्भ की जानी चाहिए । इससे वहां अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।

मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए अप्पर बदरा से पानी प्राप्त हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए वहां सर्वेक्षण भी हो रहा है । चित्रदुर्ग चुनाव क्षेत्र के लिए पानी प्राप्त करने के लिए सरकार को इस परियोजना को मंजूरी देनी चाहिए ।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi): The Government deserve congratulations for removing zonal restrictions on the movement of foodgrains. This step has benefited both the producer and the consumer.

The Development levy is charged from farmers if they get small benefit for irrigation etc. Income tax exemption limit has been raised upto Rs. 10,000/- Development levy should be imposed only if the income of a farmer is more than Rs. 10,000/- a year.

[**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए**
Shri Dhirendernath Basu in the Chair]

Agro-Industries should be set up in rural areas. Processing of Agricultural produce should be done in the rural areas itself. That way farmers would be benefited a lot.

At present we do not have adequate capacity for storing foodgrains. The solution of the problem of disposed of old stocks should be enough storage capacity.

Flood control work should be given top priority. Schemes for linking various rivers should be expeditiously implemented. This work should also be accorded top priority.

The Government should pay more attention to the completion of old projects instead of taking up new projects. It is no use to take up a number of projects without adequate funds for all of them. If minor irrigation projects have more potential for providing irrigation facilities, we should pay more attention to it.

There is a scheme of Rajghat Dam over the Betwa river. Foundation stone for this work was laid in 1975, but no work has been done so far. Lot of money has gone waste. Such old schemes should be completed by the Government.

We have been able to achieve 46 per cent of our target of providing irrigation facilities in the last 30 years. The hon. Minister should prepare a scheme so that we are able to achieve our target of providing irrigation facilities to 107 million hactares of land during the next 5 to 10 years. For the remaining unirrigated land during the next 5 to 10 years. Attention should be paid to dry farming. More research work should be done for that.

Our forests are being destroyed in a reckless manner. This is causing a lot of damage. We should lay more stress on afforestation.

Flood control Board was set up in 1976. There has been undue delay in the working of this board. Even now the board is not working as efficiently as it should. Its work should be speeded up.

There is need to give more attention to lift irrigation. Lalitpur is a dry area. Lift irrigation should be provided there.

Today we talk of the welfare of farmers and poor people but we do not provide them facilities. For instance a farmer borrows money and then installs a pumping set, but he cannot bring it in use, because he is not supplied electricity. There is a law in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh under which a farmer is forced to use a certain quantity of electricity and he has to pay minimum charges which are fixed. But actually it happens that he is not given electricity and they charge the minimum charges from him. In this way farmers are being exploited there.

We should remove all the obstacles which come in the way of creating more opportunities of employment.

Besides agriculture and irrigation we have to pay our attention towards animal husbandry. In order to get more milk from our cows and buffaloes, we shall have to improve their breed. Besides this we may get more and more manure from our cattle. We should make maximum use of our natural resources. Special attention should be paid in this direction.

Remunerative prices should be given to farmers for their produce. We have to examine that which land is suitable for producing various commodities.

Land reform laws should be expeditiously implemented so that we may increase our food production.

रुग्ण हथिनी सुन्दर कली के उपचार के बारे में

RE: TREATMENT BEING GIVEN TO SUNDERKALI, A SICK ELEPHANT

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : दिल्ली में सुन्दरकली नामक हथिनी कई दिनों से बीमार पड़ी हुई है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। समाचार पत्रों में भी लिखा गया है कि सरकार को उसका उपचार करना चाहिए। मंत्री महोदय को रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और इस हथिनी की रक्षा करने के लिए तत्काल एक क्रेन भेजी जानी चाहिए।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : कुछ पशु चिकित्सक वहां भजे गए हैं और वे हथिनी की डाक्टरी परीक्षा कर रहे हैं। हमारा विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि क्या इस हथिनी की चिकित्सा की जा सकती है। कुछ सप्ताह पूर्व उसके पांव की हड्डी टट गई थी। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इसे बचाया जा सकता है। हम क्रेन के लिए सेना अधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं ताकि वहां से हथिनी को उठाया जा सके।

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

MENTAL HEALTH BILL

डा० सुशीला नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने, उनकी सम्पत्ति तथा कामकाज के सम्बन्ध में और तत्संगत अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए अधिक अच्छा उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल सम्बन्धी विधि

को समेकित और संशोधित करने, उनकी सम्पत्ति तथा कामकाज के सम्बन्ध में और तत्संगत अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए अच्छा उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० सुशीला नायर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं ।

भारतीय कृषि कर्मकार विधेयक

INDIAN AGRICULTURAL WORKER BILL

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में कृषि कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत में कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री चित्त बसु : श्रीमान मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

जीवन बीमा निगम (समझौते का प्रत्यावर्तन) विधेयक

LIFE INSURANCE CORPORATION (RESTORATION OF SETTLEMENTS) BILL

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : (कोयम्बतूर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम और अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी परिसंघ तथा अन्य संघों के बीच हुए समझौतों का प्रत्यावर्तन करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम और अखिल भारतीय बीमा निगम कर्मचारी परिसंघ तथा अन्य संघों के बीच हुए समझौतों का प्रत्यावर्तन करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : श्रीमान मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा विधेयक

COMPULSORY ADULT EDUCATION BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधियों तथा सुविधाओं और आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

निरक्षरता के उन्मूलन का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है ? इस समस्या को इस रूप में देखना चाहिये कि यह गरीबी का दूसरा रूप है । सन् 1961 में देश में 15 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग में 481 लाख निरक्षर व्यक्ति थे । 1971 में यह संख्या बढ़कर 506 लाख हो गई । और इसी प्रकार इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई और 1976 में इनको संख्या बढ़कर 526 लाख हो गई । इस तरह इन आंकड़ों से पता चलता है कि 13 वर्षों की अवधि में ही इनकी संख्या में लाखों की वृद्धि हुई है । हमें यह महसूस करना चाहिये कि हमारे देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या विश्व की निरक्षर जनसंख्या का 50 प्रतिशत है । यह समस्या अत्यधिक गम्भीर रूप धारण कर रही है ।

अतीत में अनेक सुझाव दिए गए थे । श्री सी० डी० देशमुख ने कहा था कि इस सम्बन्ध में एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये । उन्होंने कहा कि यदि हमें यह समस्या 15 वर्षों में हल करनी है तो इस पर 450 रुपए व्यय करने होंगे । तत्पश्चात शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए गहन कार्यवाही करनी होगी । 20 वर्ष की अवधि का समय-बद्ध कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया था । सम्भवतः 12 वर्ष तो व्यतीत हो गए है लेकिन निरक्षरता में वृद्धि ही हुई है।

वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए एक जनता कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिये । उन्होंने कहा है कि इस देश में प्रत्येक शिक्षक से 10 अतिरिक्त छात्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया जायेगा और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा । यदि यह कार्यक्रम आरम्भ कर दिया जाएगा तो अच्छा ही होगा ।

श्री मोरारजी देसाई ने चुनाव अभियान में भाग लेते हुये कोयम्बतूर में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषण दिया था । उन्होंने कहा था कि जनता पार्टी 5 या 6 वर्ष की अवधि के अन्दर निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध है । ऐसे कार्यक्रम समय समय पर बनाए गए हैं । प्रश्न यह नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम कम संख्या में बनाए गए है, प्रश्न तो केवल यह है कि क्या इन कार्यक्रमों को कभी कार्यान्वित भी किया गया हैं ताकि देश से निरक्षरता का उन्मूलन किया जा सकता और हम गर्व से यह कह सकते कि हमारे देश में कोई निरक्षर नहीं है । इस सम्बन्ध में अधिक घोषणायें करने से काम नही बनेगा ।

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

जनता में इस बात की जागृति नहीं आई है कि निरक्षरता का उसी स्तर पर सामना किया जाये जिस तरह किसी भयंकर रोग का किया जाता है ? वास्तविकता तो यह है कि देश के शासकों ने सचमुच में निरक्षरता का सामना करने के लिए जनता को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया है ।

हमारे देश में महिलायें अधिक निरक्षर हैं । जब देश में 1974 में औसत साक्षरता 29.34 प्रतिशत थी तो इसमें पुरुषों की प्रतिशतता 39.1 और महिलाओं की प्रतिशतता 18.44 थी । ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 12.96 प्रतिशत महिलायें साक्षर थीं । इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में 87.04 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं । इसका एक सामाजिक कारण भी है । हमारा रूढ़िवादी समाज महिलाओं को शिक्षा देने के हक में नहीं है । अतः इस परम्परा या रूढ़ि का सामना करना होगा ।

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि हरिजनों और खेतिहर मजदूरों तथा भंगियों जैसे समाज के पिछड़े वर्गों में निरक्षरता सर्वाधिक व्याप्त है । हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे कि हम युद्ध स्तर पर निरक्षरता का सामना कर सकें ।

निरक्षरता की समस्या को देश के सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में लेना चाहिये । हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम बालक को इसलिए शिक्षा देते हैं कि वह जागरूक नागरिक बने और जीवन की समस्याओं एवं यंत्रणाओं का पूरी तरह से सामना कर सके । हमें इस समय को इस संदर्भ में देखना होगा ।

हमें ऐसे प्रयास भी करने चाहियें कि लोग शिक्षित होकर भी नीरस और अपशिष्ट न हो जायें यदि हमने उन्हें 6 महीने या एक वर्ष तक शिक्षा देकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय के बाद वे फिर निरक्षर बन जायेंगे । अतः यह हमारा अनवरत प्रयास होना चाहिये ।

इस विधेयक में एक सदस्यीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है । ऐसे केन्द्र प्रत्येक कारखाने, प्रत्येक पंचायत, बड़े शहरों के प्रत्येक क्षेत्रों तथा प्रत्येक कस्बे में होने चाहियें । एक सदस्यीय साक्षरता केन्द्र देश के निरक्षर व्यक्ति समाज में फैला दिए जाने चाहियें । इन केन्द्रों का कार्य उनको शिक्षा देना होगा ।

इस योजना पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो सकते है । इस प्रयोजन के लिए एक साक्षरता निधि बनाई जा सकती है । वर्तमान बजट आवंटन में से राशि आवंटित की जानी चाहिये ताकि इस योजना पर कार्य आरम्भ किया जा सके ।

इस देश में शिक्षकों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों को इस योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये । अनेक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं । उन्हें न्यूनतम वेतन देकर इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये और उनसे निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए कहा जाना चाहिये ताकि एक सदस्यीय साक्षरता केन्द्रों के लिए शिक्षकों की कमी महसूस न हो । यदि हम समस्या का समा-

धान करने के लिए गम्भीर हैं तो हमें इसके बारे में विचार करना होगा । यह जनता योजना है । अतः हमें इसके बारे में लड़ना नहीं चाहिये ।

दूसरा प्रश्न केन्द्र में तथा राज्यों में बोर्ड की स्थापना के बारे में है । बोर्ड पूरे कार्य का समन्वय करेगा । उसे पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी होंगी, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा और देश में साक्षरता आन्दोलन व्यापक पैमाने पर शुरू करना होगा ।

यदि हम करोड़ों रुपये व्यय करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा ? 'यूनेस्को' ने इस बारे में अनुमान लगाया है । यदि किसानों को शिक्षा दी जाएगी तो वे वज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और देश का उत्पादन बढ़ेगा । औद्योगिक क्षेत्र में यदि मजदूरों को शिक्षित किया जाये तो उत्पादकता बढ़ेगी । यदि साक्षरता बढ़ेगी तो राजनीतिक जागरूकता भी आएगी । यदि लोग साक्षर होंगे तो देश मे प्रजातंत्र भी मजबूत होगा । साक्षरता से स्वेच्छा से परिवार नियोजन की भावना भी आएगी ।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये मैंने यह विधेयक पेश किया है और मैं सदन के प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें और इस चुनौती को स्वीकार करें । इसे दलगत मामले के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें । सभी लोकतांत्रिक विचारधाराओं को एक मत से नई जनचेतना पैदा कर भारतीय जनता की समस्या का युद्ध स्तर पर मुकाबला करें । इसके साथ ही मैं विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निधियों और सुविधाओं का तथा आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Laxmi Narayan Nayak (Khajuraho) **:** It has been rightly emphasised that illiteracy should be removed from the country. The previous Government should have taken proper steps to bring down illiteracy.

Mention has been made in the Bill about providing necessary finances. The teachers should devote one hour for educating the illiterates, in the spirit of service and there is no need to pay them for it. Although the Bill mentions only the adults, it would be better if the children are also included in this scheme. Therefore, whether one is an adult or a child, education should be compulsory for him and Government should take up the responsibility of educating him as suggested above. Imposition of any tax for this purpose in our opinion would be a burden on the people.

श्री सरत कार (कटक) **:** देश में अशिक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं । हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा है कि हम अगर लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न भी करेंगे तो वे लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे । इस सम्बन्ध में कई राज्यों में प्रयास किये गये हैं लेकिन कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई । यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों मे शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है फिर भी हम इसे अनिवार्य नहीं बना सके हैं ।

[श्री सरत कार]

इसका कुछ समाधान ढूंढ़ा जा सकता है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के कार्य में लगाया जा सकता है। यदि कुछ क्षेत्रों में भागवत, महाभारत तथा अन्य पौराणिक साहित्य का उच्चारण कराया जाए तो लोग इसमें रुचि लेंगे। शिक्षित युवकों को यह कार्य सौंपा जाए तथा थोड़ा बहुत वेतन भी उन्हें दिया जाए।

श्री सी० डी० देशमुख ने संविधान सभा में सुझाव दिया था कि मतदाता निरक्षर नहीं होने चाहिएं और सभी राजनीतिक दलों को उन्हें साक्षर बनाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करनी चाहिए। लेकिन इस सुझाव को तब स्वीकार नहीं किया गया लेकिन अब इसको परीक्षण के तौर पर शुरू कर सकते हैं। निस्संदेह यह आसान काम नहीं है फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में शिक्षित और विद्वान लोगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए और उन्हें उचित सुझाव देने के लिए कहा जाए। सरकार इस मामले को कानूनी तौर पर नहीं अपितु सामाजिक परिस्थितियां बदल कर साक्षरता का आन्दोलन शुरू कर सकती है और यह कार्यक्रम सफल हो सकता है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं।

प्रौढ़ निरक्षरता देश की एक मुख्य समस्या है। हमारी जनसंख्या 60 करोड़ के लगभग है। देश में लगभग 46 करोड़ लोग निरक्षर हैं। इसमें निरक्षर प्रौढ़ों की संख्या सबसे अधिक है। यह उचित समय है कि इस मामले को युद्ध स्तर पर लिया जाए।

कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि इस सम्बन्ध में वैधानिक उपाय आवश्यक नहीं है लेकिन इस उद्देश्य हेतु हम गांधी जी द्वारा सुझाए गए सामाजिक आन्दोलन का अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार में उचित विधान और उचित प्रशासनिक निकाय के अभाव में प्रौढ़ साक्षरता की योजना सफल नहीं हो सकती।

खेद की बात है कि यद्यपि नए शिक्षा मंत्री ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है, फिर भी वर्तमान बजट में शिक्षा के लिए समुचित आवंटन नहीं किया गया है।

मंत्री महोदय ने प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किया है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन यह काफी नहीं है। अब तक इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य स्तर पर अधिक प्रशासनिक उपाय नहीं किए जाते और उचित विधान नहीं बनाए जाते और जो लोग पैसा दे सकते हैं, उनसे अपेक्षित राशि वसूल नहीं की जाती तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती।

इस सम्बन्ध में लातीनी अमरीकी देशों के अनुभव न केवल स्वागत योग्य हैं अपितु हमें इस सम्बन्ध में अपनी खामियों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। निस्संदेह शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जा सकता है।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य दल ने सुझाव दिया है कि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप म रखी जानी चाहिए।

लेकिन अभी तक इस महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय विषय को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। यह उचित समय है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

निरक्षरता की गंभीर समस्या का सामना करने के लिए राज्य स्तर पर तथा स्वैच्छिक रूप से उपाय किए जाने चाहिएं क्योंकि इसके कारण हमारा देश समाप्त प्रायः हो रहा है।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेरिया) : हमने संविधान में कहा गया था कि 10 **वर्षों** की अवधि के अन्दर देश में निरक्षरता दूर कर दी जायेगी। हमारी कांग्रेस सरकार ने ऐसा करने की बजाय रक्षा तथा पुलिस पर अधिक व्यय किया और बजट में हमेशा ही शिक्षा के लिए अपर्याप्त धन रखा। उनकी हमेशा यही नीति रही।

पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में प्रौढ़ शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में कुछ सामाजिक कार्य आरम्भ किये गये हैं। लगभग 2000 लोगों को प्रौढ़ शिक्षा दी गई है। किन्तु पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कि लोगों को शिक्षा दे रहे थे। इस तरह पुलिस ने इस अभियान को रोक दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं किन्तु साथ ही उनके मां-बाप यह चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ कमायें। क्योंकि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय पूरा नहीं कर सकते।

हमारी जनता सरकार निरक्षरता दूर करने के लिए उत्सुक है। हमें ग्रामीण लोगों में एक नये जीवन के लिए उत्साह का संचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमें सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि कृषि का सर्वांगीण विकास हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो सके। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता तथा निरक्षरता दूर की जा सके।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में केवल उद्योगों की ही स्थापना नहीं करनी वरन् हमें वहां भूमि सुधारों में आमूल परिवर्तन भी करने हैं। यदि ग्रामीण जनता में आवश्यक उत्साह का संचार कर दिया जाये तो सरकार देश से निरक्षरता दूर करने और समग्र ग्रामीण विकास के अपने सभी उपायों में सफल होगी।

भूतपूर्व सरकार ने कुछ भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाये थे किन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। इन भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई गई।

यदि शिक्षा का विकास करना है तो इसे कृषि और उद्योगों के विकास द्वारा ग्रामों के लोगों के जीवन का नव-निर्माण करने वाले आन्दोलन का अनिवार्य अंग बनाना होगा, इस उद्देश्य हेतु एक नई विचारधारा का विकास करना होगा।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर): खेद की बात है कि हमारे देश में 22–23 करोड़ अशिक्षित और 2300 लाख गूंगे लोग हैं। इस बात से अत्यधिक दुख होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के पश्चात् भी आज देश में ऐसी स्थिति चल रही है।

[श्री समरेन्द्र कुण्डू]

जब हम स्वयं विद्यार्थी थे तो हमें बताया गया था कि 5–10 वर्षों के भीतर निरक्षरता दूर कर दी जायेगी और इस कार्य के लिए सभी छात्रों को काम में लाया जायेगा और कुछ अवधि के अन्दर यह समस्या हल कर दी जायेगी ताकि समाज शिक्षित हो सके। किन्तु वर्ष बीतते गये आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों ही है। हमारे युवा वर्ग को इस दिशा की ओर आकर्षित करने की बजाय प्रशासन में अधिकाधिक नौकरशाही चल रही है। निदेशक सिद्धान्तों में यह व्यवस्था करने के बावजूद भी कि 10 वर्षों के अन्दर निरक्षरता दूर कर दी जायेगी, निरक्षरता की दर अधिक ही होती जा रही है।

निरक्षरता के विरुद्ध हमें युद्ध स्तर पर लड़ना चाहिए। अशिक्षित लोगों से हम अपने लोकतंत्र का सुदृढ़ और बढ़िया ढांचा नहीं बना सकते। शिक्षा के बिना देश में लोकतंत्र राष्ट्रीयता, धर्म-निरपेक्षता तथा समाजवाद नहीं आ सकता। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि इस समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार किया जाये।

यह सही है कि यह कोई दलीय मामला नहीं है। निश्चय ही यह एक राष्ट्रीय मामला है। इससे बढ़कर और कोई बड़ा राष्ट्रीय मामला नहीं हो सकता। यदि हम ने कैंसर रूपी निरक्षरता की समस्या को हल नहीं किया तो समूचा देश ही नष्ट हो जायेगा। श्री चन्द्रप्पन ने इस समस्या को हल करने के लिए जो उपाय सुझाए हैं वे सराहनीय हैं।

वियतनाम में ग्रामीण लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था है और उनका यही प्रयास है कि सारा राष्ट्र शिक्षित बने, उन्हें यह भी पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए। उन्हें यह पढ़ाया जाता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। मानव के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।

गांधी जी कहा करते थे कि यदि आप समूचे भारत को जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप गांवों में रहने वाली जनता को जानें। जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाया था तो उन्होंने स्वैच्छिक प्रौढ़ शिक्षा भी आरम्भ की थी। मेरी मंत्री जी से अपील है कि यदि निकट भविष्य में नहीं तो कुछ समय पश्चात् एक वर्ष के लिए स्कूल तथा कालेज बन्द करके छात्रों को गांवों में भेजें ताकि वे वहां प्रौढ़ शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर सकें। वर्तमान शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

कुछ विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों को कम से कम 4 महीने तक बन्द रखा जाना चाहिए और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को गांवों में जाकर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना चाहिए। यदि इस प्रयोजन के लिए शिक्षित बेरोजगारों की सेवाओं का उपयोग किया जाये तो इस कार्यक्रम को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। अतः हमें इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना चाहिए हमें एकद्रुत कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या देश के 23 करोड़ निरक्षर लोगों को पांच वर्षों के भीतर साक्षर बनाया जा सकता है। यह सारा कार्यक्रम स्वैच्छिक होना चाहिए। साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या इस उद्देश्य हेतु लोगों पर दबाव डाले बिना कुछ धन एकत्र किया जा सकता है अथवा क्या शिक्षा कर के रूप में कुछ वसूल किया जाये।

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : प्रस्तावक ने सभा के समक्ष एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला उठाया है। समझ में नहीं आता कि जब तक सरकार यह आश्वासन नहीं देती कि वे भी इस समस्या के प्रति समान रूप से चिंतित है, तथा वे इस दिशा में कुछ ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं, मेरे से पूर्व के वक्ता ने यह विधेयक वापस लेने के लिए क्यों कहा। किसी भी विकासशील देश के लिए निर्धनता, निरक्षरता, कमजोर स्वास्थ्य तथा बेरोजगारी एक प्रकार का अभिशाप है। हमने पाकिस्तान तथा चीन से युद्ध किया किन्तु अन्त में समस्या हल करने के लिए हमने समझौता किया किन्तु इस सम्बन्ध में देश की जनता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा पर करोड़ों रुपए व्यय किए गए, किन्तु उसके बावजुद भी आज हमारा देश अशिक्षित लोगों से भरा पड़ा है।

श्री सोनूसिंह पाटिल पीठासीन हुए

Shri Sonu Singh Patil in the Chair

साक्षर लोगों की प्रतिशतता 14 से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है किन्तु जन संख्या की वृद्धि के साथ-साथ निरक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। किसी राज्य में साक्षर लोगों की प्रतिशतता अधिक है जबकि कई राज्यों में यह बहुत ही कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निरक्षरों की संख्या उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि आज है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत में आने से पूर्व भारत में लगभग सभी-लोग शिक्षित थे किन्तु लार्ड मैकाले द्वारा चलाई गई शिक्षा नीति के फलस्वरूप हमारे देश में अशिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई। यदि हमारे देश में अधिकांश लोग शिक्षित हो जायें तो उससे हमारे कई सामाजिक बंधन तथा बाधाएं दूर हो जायें।

हम एक समाजवादी देश की स्थापना करना चाहते है। किन्तु समाजवाद तथा सामन्तवाद एक साथ नहीं चल सकते। आज हमारे देश में ऊंच-नीच का बोल बाला है क्योंकि देश के करोड़ों लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं है। अतः यह परमावश्यक है कि समूची शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाये। आज हमें यह देखना है कि कुछ थोड़े से लोगों को शिक्षित करके हम करोड़ देशवासियों को अशिक्षित नहीं छोड़ सकते। देश की शिक्षा नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो। हमें देश के समक्ष मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस देश में हमने हमेशा आदमी की उपेक्षा की है क्योंकि हम अभी भी यह नहीं समझ पाये कि आम आदमी कौन है। आखिर विकास होता किसके लिए है, मनुष्य के लिए। इसलिए सर्व प्रथम हमें उसका विकास करना है। यदि रूस, चीन तथा अन्य देशों के उदाहरण सामने रखे जायें तो हमारी आंखें खुल जायेंगी। क्योंकि इन देशों ने सर्वाधिक महत्व मनुष्य को दिया है। किन्तु हमने हमेशा उसकी बात ही की है, उसके लिए किया कुछ नहीं है। मैं इस विधेयक का पूरे जोरों से समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : प्रौढ़ लोगों में निरक्षरता का आयाम बहुत बढ़ा है और यह अत्यधिक चिन्ताजनक बात है। एक सरकारी एजेंसी के अनुसार देश में 15 से 25 वर्ष तक के आयु वर्ग वालों में 5,26,00,000 लोग निरक्षर है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 12 वयस्क काम करने वाले लोगों के पीछे एक आदमी अनपढ़ है। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जनशक्ति देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति मानी जाती है।

मंत्री महोदय ने अपने पहले के नीति विवरण में कहा है कि 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों में अभी भी 20 करोड़ लोग निरक्षर है। मंत्री महोदय ने उन उपायों का उल्लेख नहीं किया जो

[श्री चित बासु]

सरकार इस सम्बन्ध में करना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि जनता पार्टी इस सम्बन्ध में ऐसी नीति तैयार करेगी जो कि इस बुराई को दूर करेगी।

यद्यपि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रौढ़ लोगों में साक्षरता क प्रचार के लिए कुछ कदम उठाये गए है फिर भी वास्तविकता यह है कि वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत हम 5,26,00,000 लोगों में से मुश्किल से 20 लाख लोगों को इसका लाभ प्रदान कर सकेंगे। अतः इस समस्या को एक निर्धारित अवधि के भीतर दूर करने के लिए हम केवल संगठनों पर निर्भर नहीं रह सकते।

विधेयक के प्रस्तावक ने एक नई बात पेश की है। यदि हम निर्धारित समय के भीतर लोगों को साक्षर बनाना चाहते है तो इसके लिए अनिवार्य रूप से एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : There is no uniformity in education. The children of the rich read in public schools whereas those of the poor read in the schools in very bad condition. There are no teachers there. The school buildings are delapilated ones. The discrimination in education must go. Education must be made uniform for all persons irrespective of their status. There are schools in Bihar where there are no teachers.

The Directive Principles of our Constitution have provisions of compulsory education for all people. But the fact is that education has been given secondary place. Dr. Ram Manohar Lohia once suggested that we should organise a brigade of Educated people which should be entrusted the task of adult education particularly in the rural areas. Only then we can eradicate illiteracy from the country. Thousands of educated youngmen in the rural areas can be put to this task of adult education.

In Bihar teachers are appointed only to contain unemployment, but the student must not be hungry. Therefore, if we want to preserve democracy in the country the courge of illiteracy must be eradicated.

Cess has been imposed for education expenses in Bihar which is realised with the land revenue. But the illiteracy has not been eradicated from the State. This is most unfair on the part of State Government. It is a fraud. I would, therefore, request the hon. Minister to bring a comprehensive Bill which may cover all aspects of education.

There should be uniform standard of education and it should be made compulsory for all irrespective of their social status so that poor students may compete rich students in the open competition. There must not be any discrimination in the field of education. All the public schools should be closed and education should be imparted in Government schools only.

सभापति महोदय : वक्ता बहुत अधिक हैं और मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय चाहिए। किन्तु गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए समय नहीं बढ़ाया जाता है। फिर भी यदि सदस्यों की सम्मति है तो हम आधा घण्टा अधिक ले सकते है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : देश में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या किया जाये? प्रतिवर्ष हमारी जन संख्या में 1.3 करोड़ की वृद्धि होती है जो आस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यदि जन संख्या इसी गति से बढ़ती रही तो कोई भी सरकार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने में समर्थ नहीं होगी। राज्य सरकारें पहले ही अपने बजट का 25 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय कर रही है। यह कोई छोटी सी समस्या नहीं है। सर्व प्रथम जन्म दर पर नियंत्रण करना होगा। जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होनी चाहिए तभी हम अपने विकास कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

मेरे अपने राज्य में हरि सर्वोत्तम राव नाम के एक व्यक्ति ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाये। यदि इस नीति को अपनाया जाये तो बिना पैसा खर्च किए समूचे राष्ट्र को शिक्षित बनाया जा सकता है।

शिक्षा पर बहुत अधिक धन राशि खर्च की जा रही है। आखिर धन आयेगा कहां से। मंत्री महोदय को सभी स्वैच्छिक संगठनों को बुलाना चाहिए और उन्हें यह कहा जाये कि वे जनता को शिक्षा देना आरम्भ करें ताकि लोगों को कुछ सीमा तक शिक्षित बनाया जा सके। हमें गांवों में जाकर लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। संसद् के 750 सदस्य है। यदि प्रत्येक सदस्य 10 व्यक्तियों को पढ़ाये तो प्रति वर्ष 7500 व्यक्ति साक्षर बनाये जा सकते है। इससे अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पब्लिक स्कूल समाप्त करने से कोई लाभ नहीं होगा।

Shri Ambica Prasad Pandey (Banda) : I support this Bill and congratulate the hon. member who has introduced this Bill. But I regret that the previous Government had ignored education all these years. It is the bounden duty of the Government to provide food and education to the people of the country. Illiteracy is the main reason of slavery and this has resulted in exploitation of our masses by a handful of persons. The previous Government had not discharged their duty in this regard.

With a view to keep the democracy preserved in the country and to accelerate its development special attention should be paid towards discrimination of education. Government should give adequate funds to provide education to our people.

The system of education should be uniform throughout the country as the present system does not suit the requirements of our time. Therefore this system has to be changed to serve the national interest otherwise it would result in disadvantages to the masses of the country. It should be the responsibility of the Government to impart education to all people in the country.

By imparting education to our people we can increase our production in both the farms and the factories. If the farmers and cultivators are educated then they can bring about revolution in the country. It is only education which can instill courage to protest against injustice and excesses. Our present Government should bring about such a system of education in the country.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Sir, the heading "Compulsory Adult Education Bill", of the Bill is contradictory. There is difference between education and literacy. It should be called a Compulsory Adult Literacy Bill.

So far as compulsory education is concerned, it is impossible to provide compulsory education to all the people in a country where 68 per cent of the population live below poverty line. Right to work should precede 'right to education'.

The problem of education should be looked into from a wider perspective. A piece-meal legislation like this will not serve the purpose.

The present system of education requires basic changes. Our education should meet the changing requirements of our times. It should not only increas the number of unemployed persons.

If we really want to provide compulsory adult education to our people, we shall have to organise an education army. Every member of that army should take a plegde to educate at least one person. The curriculum of these literacy schools should include cultural and social subjects also. Besides, some aspects of nomination, personal hygiene should also be taught. If such a campaign is organised, we can contribute substantially towards the eradication of illiteracy from our adult population.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं श्री चन्द्रप्पन को बधाई देता हूं कि वह यह विधेयक लाये हैं। यह विधेयक सदन और देश का ध्यान उस गम्भीर समस्या की ओर दिलाता है जिसे गत 30 वर्षों में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली है। हम इसकी गम्भीरता को समझ नहीं पाये है।

निरक्षरता की व्यापकता हमारे लिए शर्म की बात है और इससे भी अधिक शर्म की बात यह है कि हम इसे बहुत समय से सहन करते आ रहे है। निरक्षरता की समस्या और प्रौढ शिक्षा के अभाव की समस्या को दूर करने के लिए हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि यह बहुत ही घृणास्पद है। वस्तुत: निरक्षरता और निर्धनता एक ही सिक्के के दो पहलू है। निर्धनता की तरह निरक्षरता भी एक अभिशाप है और हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। अत: यह विधेयक ठीक ही पेश किया गया है।

निरक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों के अभाव में यदि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या पिछड़ी रहे तो हम लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र समाज के रूप में जीवित नहीं रह सकते।

शिक्षा मंत्री यह कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की समस्या का समाधान करना राज्य सरकारों का कार्य है और केन्द्रीय सरकार तो केवल स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता ही दे सकती है। लेकिन इस बड़े देश में भारत सरकार को मार्गदर्शी परियोजनाओं एवं व्यापक शिक्षा एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से कई राज्यों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस समय लगभग 200 स्वैच्छिक संस्थाएं कार्य कर रही है। किन्तु 60 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यह संख्या बहुत ही कम है। हमें इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। हमें ब्रिट्रेन, फ्रांस, कनाडा, रूस, चीन, यूगोस्वाविया तथा अन्य कई समाजवादी देशों के अनुभव से लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। ब्रिटेन में नागरिकों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में बाहय विभाग है। इसके अतिरिक्त मजदूर शिक्षा संगठन गत 50 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहा है। हमें भी अपने देश में मजदूरों तथा अन्य लोगों के लाभ हेतु बाहय विभाग तथा मजदूर शिक्षा संगठन खोलने चाहिएं।

रूस में ऐसी कई स्वैच्छिक तथा सरकारी संस्थाएं हैं जो प्रौढ़ शिक्षा के कार्य में लगी हुई हैं। वहां प्रौढ़ विश्वविद्यालय भी है। व्यस्कों को यह शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण किस ढंग से करें। रूस में संस्कृति विश्वविद्यालय तथा रोजगार-प्राप्त ग्रामीणों के लिए स्कूल एवं प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं। कनाडा, रूस, ब्रिटेन या चीन या कोई भी अन्य देश हो, उनकी सरकारें, स्वैच्छिक संस्थाएं कालेज, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएं एकजुट होकर संयुक्त प्रयास करती हैं।

हमारे देश में निरक्षर लोग हैं लेकिन वे समझदार हैं और ऐसे भी लोग हैं जो साक्षर हैं परन्तु अशिक्षित हैं। हम साक्षर, शिक्षित एवं समझदार लोगों का समन्वय चाहते हैं और यह प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

पूछा जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य क्यों होनी चाहिए ? यदि हम इसे अनिवार्य नहीं करते और इसे स्वेच्छा के आधार पर रखते हैं तो केवल वही लोग इसका लाभ उठा पायेंगे जो ऐसे खर्च कर सकते हैं। अन्य लोग जिनका इरादा भी है और मष्तिक भी परन्तु वे पैसे खर्च नहीं कर सकते, इस का लाभ नहीं उठा पायेंगे। यदि हम इसे अनिवार्य बना देते हैं और राज्य जिम्मेदारी लेते हैं तो हम इस ओर प्रगति कर सकते हैं और यह अच्छी बात होगी। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय को साहित्य, पर्चे तथा ऐसी पुस्तिकाएं तैयार करने के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। यह किसी भी विकासशील देश की आधारभूत गतिविधि है। हम तर्कयुक्त, अच्छी

तथा विचारपूर्ण शिक्षा, राजनीतिक तथा प्रजातांत्रिक शिक्षा चाहते हैं जिससे सबके लिए समान अवसर पैदा हों ताकि देश आन्तरिक संसाधनों की सहायता से प्रगति कर सके।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : प्रौढ़ शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये बहुत से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें शिक्षित युवकों को काम में लगाने के साधन ढूंढने पड़ेंगे और इस उद्देश्य के लिए पंचायतें तथा अन्य संगठन बनाने होंगे।

आन्ध्र प्रदेश में गत 20 वर्षों से शिक्षा कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन इसे क्रियान्वित करना असंभव हो रहा है। इसका कारण यह है कि वहां गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि पति-पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। और उनके बच्चे अपने से छोटे बच्चों की देख-रेख करते हैं। अनिवार्य शिक्षा को क्रियान्वित करना बड़ा कठिन है।

अनिवार्य शिक्षा को क्रियान्वित करने का कार्य पंचायतों पर छोड़ देना चाहिए। इस काम में शिक्षित बेरोजगार युवकों की मदद ली जानी चाहिए। उन्हें रोजगार में प्राथमिकता तभी दी जानी चाहिए जब वे कम से कम एक वर्ष स्कूल में पढ़ा चुके हों। इस तरह हम शिक्षा के विस्तार पर होने वाले व्यय को कम कर सकेंगे। इस कार्य में ऊपर से नीचे सभी लोगों को लगना चाहिए। इस प्रकार के आन्दोलन से ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : इस बात में दो राय नहीं हो सकतीं कि यह विषय महत्वपूर्ण है और यह समस्या विचलित कर देने वाली है और हमें इसका ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे इस समस्या को सही रूप से एवं सफलतापूर्वक हल किया जा सके। हमें निरक्षरता समाप्त करने तथा प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने के लिए उपाय करने चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने की ओर काम नहीं करते तो इससे प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। अतः प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या तभी दूर हो सकती है जब प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाया जाए और संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के द्वारा इसे हमारा कर्त्तव्य बनाया जाए।

श्री चन्द्रप्पन ने समाजवादी देशों में अपने अनुभव के बारे में बताया। रूस में निरक्षरता दूर करने के लिए लोगों ने जो कार्य किया, वह प्रशंसनीय है। लेकिन हमारे देश की तुलना में उन्होंने अच्छी शुरूआत की।

जब सोवियत सरकार बनी उस समय जनसंख्या का तीन चौथाई भाग न तो पढ़ ही सकता था और न ही लिख सकता था। जब सोवियत सरकार सत्ता में आई, उस समय 25 प्रतिशत लोग साक्षर थे। इधर जब हमें आजादी मिली, केवल 10 प्रतिशत लोग साक्षर थे। यह सच है कि लेनिन ने 1919 में व्यापक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्य में डाक्टरों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, वकीलों, मजदूरों एवं किसानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और माध्यमिक स्कूलों के वरिष्ठ छात्रों को शिक्षण के कार्य में लगा दिया गया। हमें भी निरक्षरता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देना चाहिए। जब तक हम इस महत्वपूर्ण कार्य में सभी लोगों को नहीं लगाते, तब तक इस समस्या को हल करना संभव नहीं।

इस विधेयक की धारा 8 में प्रस्तावक ने कहा है कि सभी निरक्षर प्रौढ़ कर्मकारों और कृषि कर्मकारों को शिक्षा के लिए एकल व्यक्ति साक्षरता केन्द्रों में एक वर्ष के लिए अनिवार्यतः प्रवेश लेना

[श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र]

होगा । अगली धारा में कहा गया है कि प्रौढ़ निरक्षर कर्मकारों या कृषि कर्मचारों से भिन्न सभी प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों को एकल व्यक्ति साक्षरता केन्द्रों में अनिवार्यतः प्रवेश लेना होगा ।

अनिवार्य शब्द का प्रयोग करते समय यह नहीं बताया गया है कि यह अनिवार्यता किस प्रकार संभव होगी । जब तक इस अनिवार्यता को लागू करने के लिए व्यवस्था नहीं की जाती, विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा । निरक्षर खेतिहर मजदूरों एवं कारखानों में काम करने वाले निरक्षरों की संख्या बहुत कम है । शेष प्रौढ़ निरक्षर इस विधेयक की परिधि में नहीं आते ।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम संविधान के अन्तर्गत प्रौढ़ लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम रख सकते हैं । अनुच्छेद 45 में 14 वर्षों के बच्चों का उल्लेख है । 15 वर्ष से ऊपर वालों का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

अनुच्छेद 41 में कार्य करने, शिक्षा, कुछ मामलों में सरकारी सहायता के बारे में अधिकार सम्बन्धी नीति निदेशक सिद्धान्त हैं ।

अनुच्छेद 41 में सरकार की आर्थिक क्षमता की सीमाओं का उल्लेख है । अब हमें देखना है कि क्या यह योजना आर्थिक संसाधनों के समनुरूप है । श्री चन्द्रप्पन ने वित्तीय ज्ञापन में कहा है कि इसमें 120 करोड़ लगेंगे । लेकिन यदि विधेयक में उल्लिखित वृत्ति का की अदायगी की गई तो एक वर्ष में 19,479 करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

मैं प्रस्तावक की इस बात से सहमत हूं कि हमें निरक्षरता से निपटने के लिए ठोस कार्यवाही करनी होगी । फिर भी अनुच्छेद 41 को ध्यान में रखते हुए हम इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सके । केन्द्रीय या राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं है ।

हमारे पास स्कूल तो हो सकते हैं लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित न कर सकें । प्रौढ़ों को स्कूलों में दाखिल करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पढ़ना भी चाहेंगे अथवा नहीं । ऐसी स्थिति में काफी धन बरबाद हो सकता है ।

मैंने इस क्षेत्र में रुचि लेने वालों तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की दो महत्वपूर्ण अनौपचारिक बैठकें बुलाई थीं । स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था । दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो नीतियां बनाने के उपायों का पता लगाएगा और इस समस्या से निपटने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सुझाव देगा ।

कहा गया है कि शिक्षा राज्य का विषय है । हमारा विचार राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाने का है । हम उनसे सलाह लेने के बाद उन्हें निरक्षरता की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर बल देंगे । इसके बाद इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) प्रसन्नता की बात है कि मंत्री ने विधेयक में किए गए बुलाने विभिन्न प्रस्तावों पर अपना रचनात्मक दृष्टिकोण प्रगट किया है तथा इस बात से सहमति प्रकट की है कि एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा और सरकार युद्ध-स्तर पर इस समस्या से निपटने का प्रयास करेगी । अनिवार्य तत्व के बिना कोई भी विधान, चाहे उसके पीछे हमारी शुभ आकांक्षाएं क्यों न हों, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता । अनिवार्य तत्व का होना आवश्यक है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 25,000 करोड़ रुपये लगेंगे। इससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। इस समस्या को हल किया जाना चाहिये। मेरे विचार में मंत्री महोदय मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं विधेयक को वापस लेने के उनके सुझाव से सहमत हूं।

मैं विधेयक को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये निधियों और सुविधाओं का तथा आवश्यक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक

PUBLICATION AND IMPORT OF POLITICAL LITERATURE BY FOREIGN MISSIONS IN INDIA (REGULATION) BILL

श्री समर गुह (कॅन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात विनियमित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : वह अपना भाषण फिर आरम्भ कर सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 2 जुलाई, 1977/11 आषाढ़, 1899 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday the 2nd July, 1977/Asadha 11, 1899 (Saka)

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस III 1966 एल० एस०—27-9-77—200